खण्ड-110, अंक-3
बुधवार, 2 आश्विन, शक संवत् 1874
(24 सितम्बर, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 110 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विधान पुस्तकालय
१ अप्रैल १९५०
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २४ सितम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
एजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टन्डन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुलजार, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसी राम, श्री
तुला राम, श्री
तुला राम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीन दयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्द कुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा ,श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबू राम गुप्त, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मित्तल, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम,श्री
ब्रह्म दत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल,श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन मिश्र, श्री
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुजरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेश चन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री

रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राम भजन , श्री
राममूर्ति, श्री
रामराज शुक्ल , श्री
राम लखन , श्री
राम लखन मिश्र , श्री
रामलाल , श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर रा , श्री
राम सुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर , श्री
रामस्वरूप , श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराज कहार, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लतीफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ट नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भर नाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भू नाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रसन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव , श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री

सच्चिदानन्द त्रिपाठी , श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम [illegible]वार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी , श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पित्तल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
होती लाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

खाद्य-पदार्थों में मिलावट का दूषित परिणाम

*१--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या अन्न मन्त्री को यह विदित है कि खाद्य-पदार्थों में मिलावट बढ़ रही है और उससे जनता के स्वास्थ्य को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)--जी हां ।

*२--श्री देवकी नन्दन विभव--क्या अन्न मंत्री ने कोई ऐसे प्रयोग कराये हैं जिनसे यह मालूम होता हो कि घी, वनस्पति घी और सफेद मिट्टी के तेल में पके हुए भोजनों का स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला ?

श्री बनारसी दास--जी नहीं ।

गंगोह नोटीफाइड एरिया, जिला सहारनपुर के चेयरमैन के विरुद्ध शिकायतें

*३--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार के पास गंगोह नोटिफाइड एरिया के चेयरमैन के खिलाफ कुछ शिकायतें आयी हैं ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--जी हां।

*४--श्री दीन दयालु शास्त्री--क्या यह सच है कि सहारनपुर जिले के जिलाधीश तथा मेरठ के कमिश्नर ने सिफारिश की है कि गबन के कई मामलों के कारण गंगोह नोटिफाइड एरिया कमेटी को खतम कर दिया जाय और उसका प्रबन्ध हाकिम इलाका को सौंप दिया जाय ?

श्री मोहनलाल गौतम--सरकार और स्थानीय अधिकारियों के बीच इस तरह के पत्र-व्यवहार साधारणतः गोपनीय होते हैं और जनहित की दृष्टि से सरकार इस सम्बन्ध में कोई सूचना देना नहीं चाहती।

*५--श्री दीन दयालु शास्त्री--सरकार इन सिफारिशों को कब तक अमल में लाना चाहती है ?

श्री मोहन लाल गौतम--मामला सरकार के विचाराधीन है।

तारांकित प्रश्न

आगरा नगर की गृह समस्या

*१--श्री देवकीनन्दन विभव--क्या सरकार आगरा की गृह समस्या को हल करने के लिए कम सूद पर रुपया उधार देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री बनारसी दास--अभी तक सरकार के सामने ऐसी कोई योजना नहीं है।

शुद्ध खाद्य अधिनियम

*२--श्री देवकी नन्दन विभव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि Pure Food Act (शुद्ध खाद्य अधिनियम) इस प्रान्त में कब से चालू किया जायगा ?

श्री बनारसी दास--प्योर फूड ऐक्ट के अन्तर्गत बने नियमों को विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है और ८ सितम्बर, १९५२ ई०, तक इस सम्बन्ध में जनता से सुझाव मांगे गये हैं। इस तिथि के बाद सरकार प्राप्त सुझावों पर विचार करेगी और फिर उक्त ऐक्ट को इस प्रदेश में लागू करेगी।

श्री देवकी नन्दन विभव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह ऐक्ट किस सन् में पास हुआ और अभी तक क्यों नहीं लागू किया गया ?

श्री बनारसी दास--यह गत वर्ष पास हुआ था। उसके अन्तर्गत उपनियम बनाने की बात थी और उसके बाद विज्ञप्ति करनी थी और लोगों से इसके सम्बन्ध में आपत्ति आनी थी। यह हो जाने के बाद इस पर अमल किया जायगा।

श्री देवकी नन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि इस समय यह मिलावट बड़ी तेजी से चल रही है और खाने-पीने की चीजें बिना मिलावट के मिलना मुश्किल हो गया है ?

श्री बनारसी दास--जी हां।

*३-४--श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--[१० अक्तूबर १९५२ के लिए संख्या ६०-६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

आय-व्ययक स्वीकृत हुए बिना लखनऊ जिला बोर्ड द्वारा व्यय

*५--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या यह सच है कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिना कोई बजट पास किये ही अपना कार्य चला रहा है ?

श्री मोहन लाल गौतम--जी हां।

श्री नेक राम शर्मा--डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लखनऊ बिना बजट बनाये जो खर्च कर रहा है उस संबंध में सरकार कोई कार्यवाही कर रही है या करने का विचार करती है ?

श्री मोहनलाल गौतम--समस्त कमिश्नरों, जिलाधीशों और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्षों को यह चेतावनी दे दी गयी है कि वे इस विषय में विहित नियमों के पालन करने के लिये पूर्णतया कटिबद्ध रहें और माननीय अध्यक्षगण भविष्य में बजट पास हुए बिना एक पाई भी खर्च न करें।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा बजट पास न करने की सूचना सरकार को न देने में सेक्रेटरी का उत्तरदायित्व कहां तक है तथा उसने कहां तक उसका पालन किया है ?

श्री मोहन लाल गौतम---सेक्रेटरी की बहुत कुछ जिम्मेदारी इस तमाम अनियमित कार्यवाही के लिये आ जाती है। मामला इस प्रकार है कि जिला बोर्ड ने अपना १९५२-५३ का बजट कमिश्नर की स्वीकृति के लिए २५ जनवरी सन् १९५२ के स्थान में ४ अप्रैल सन् १९५२ को लगभग ढाई माह का विलंब करके प्रेषित किया। इसके अतिरिक्त सन् ५१-५२ का रिवाइज्ड बजट भी कुछ कारणोंवश अब तक स्वीकृत नहीं हो पाया था। इस कारण से ५२-५३ के बजट को स्वीकृति प्रदान न की जा सकी। अब दोनों वर्षों के बजटों की स्वीकृति प्रदान किये जाने के बारे में निदेश जारी किये जा चुके हैं।

*६---श्री नेकराम शर्मा---क्या यह सत्य है कि लखनऊ जिला बोर्ड सेकिंड क्लास होते हुये भी उसके अफसरान फर्स्ट क्लास बोर्ड की तनख्वाह ले रहे हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हां।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---सेकिंड क्लास की म्युनिसिपैलिटी फर्स्ट क्लास की म्युनिसिपैलिटी की भांति व्यय कर रही है, क्या इससे जनता के रुपये का अनुचित व्यय नहीं हो रहा है ?

श्री मोहन लाल गौतम---बोर्ड को यह भ्रम था कि उनका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट की धारा ८० के अनुसार ऐसा कर सकता है। परन्तु अब यह आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने नियत वेतन से अधिक वेतन दे दिया है वह वापस लिया जाय।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)---लखनऊ बोर्ड जिसने इन नियमों का उल्लंघन किय है, क्या उसको खत्म करने का विचार सरकार नहीं रखती ?

श्री मोहन लाल गौतम---जो कार्यवाही सरकार कर चुकी है उतनी ही वह उचित समझती है और ज्यादा कार्यवाही करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती।

*७---श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार के पास जिला बोर्ड के खिलाफ कुछ शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हां, दो शिकायतें अध्यक्ष, जिला बोर्ड लखनऊ, के विरुद्ध आई थीं। ये दोनों शिकायतें अध्यक्ष के विरुद्ध सिद्ध नहीं हुईं अतः उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो शिकायतें आई थीं वे क्या थीं और किनके द्वारा उनकी जांच कराई गई ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसको खोलना मैं मुनासिब नहीं समझता।

*८---श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)---[१३ अक्तूबर, १९५२, के लिये संख्या २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जौनपुर जिले में विभिन्न औषधालय

*९---श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या अन्न मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में सरकार द्वारा कितने आयुर्वेदिक, यूनानी तथा एलोपैथिक अस्पताल चल रहे हैं ?

श्री बनारसी दास---१३, जिनमें ४ एलोपैथिक, ६ आयुर्वेदिक और ३ यूनानी है।

श्री रमेशचंद्र शर्मा---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर में सन् ५२ में कोई नया औषधालय खुल रहा है ?

श्री बनारसी दास---इस संबंध में अभी कोई निश्चय नहीं किया गया।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो यूनानी और आयुर्वेदिक अस्पताल खोले गये हैं वे किन-किन स्थानों पर खोले गये हैं?

श्री बनारसी दास--आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी नीचे लिखे स्थानों में हैं--

बक्सी, सिकरारा, चन्दवक बाजार, पट्टी नरेन्द्रपुर, महाराजगंज, बाजिदपुर।

यूनानी डिस्पेंसरीज नीचे लिखे स्थानों में हैं :--

तिलौरा, मानीकलाँ और कलापुर।

श्री रमेशचंद्र शर्मा--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि गोपालपुर के वैद्य को प्रति वर्ष कितने रुपये की सहायता दी जाती है?

श्री बनारसी दास--इसके लिये तो सूचना की जरूरत है।

*१०--श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या अन्न मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहू तहसील के किन-किन ग्रामों में सरकारी औषधालय चल रहे हैं?

श्री बनारसी दास--जौनपुर जिले की मड़ियाहू तहसील में एक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, ग्राम बाजिदपुर में चल रहा है। गोपालपुर ग्राम में एक सहायता प्राप्त वैद्य कार्य करते हैं।

*११-१२--श्री बसंतलाल शर्मा (जिला बहराइच)--[७ अक्तूबर, १९५२, के लिये संख्या १००-१०१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गए।]

खाद्य एवं पूर्ति विभाग के अधिकारियों का वेतन

*१३--श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि कितने खाद्य एवं पूर्ति अधिकारियों का वेतन ग्रेड की अन्तिम सीमा तक पहुंच गया है?

श्री बनारसी दास--२९ गजटेड अधिकारी ग्रेड की अन्तिम सीमा पर पहुंच गये हैं।

*१४--श्री गंगा प्रसाद सिंह--क्या सरकार खाद्य एवं पूर्ति अधिकारियों के कर्तव्य-भार एवं उत्तरदायित्व को देखते हुए उनके ग्रेड को और बढ़ाने पर विचार कर रही है?

श्री बनारसी दास--जी हाँ।

श्री गंगा प्रसाद सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इनके ग्रेड के मुताल्लिक कब तक सरकार निश्चित रूप से सोच सकेगी?

श्री बनारसी दास--इसके संबंध में तो अभी कहना बड़ा अनिश्चित है क्योंकि यह विभाग ही स्वयं अनिश्चित है लेकिन जैसा उत्तर में कहा गया है यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और इस संबंध में फाइनेंस डिपार्टमेंट तथा अन्य डिपार्टमेंट्स से विचार विमर्श किया जा रहा है।

*१५--श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उसका इरादा कुछ योग्य खाद्य एवं पूर्ति अधिकारियों को पी० सी० एस० में लेने का है?

श्री बनारसी दास--यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

*१६-१८--श्री राम दुलारे मिश्र (जिला कानपुर)--[८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१९-२०--श्री देवमूर्ति राम (जिला बनारस)--[१३ अक्तूबर, १९५२, के संख्या २७--२८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गए।]

मऊ (आजमगढ़) में महिला औषधालय की आवश्यकता

*२१--श्री श्रीनाथ राम (जिला आजमगढ़)---क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह ज्ञात है कि मऊ कस्बा, आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया जिले के ठीक केन्द्र में स्थित है, जिसकी जनसंख्या लगभग ४० हजार है ?

श्री बनारसी दास--जी हाँ।

*२२--श्री श्रीनाथ राम--क्या यह सत्य है कि वहाँ की स्त्रियों को अपनी खतरनाक बीमारियों में विवश होकर आजमगढ़ या बनारस जाना पड़ता है ?

श्री बनारसी दास--जी हाँ, ऐसा होता ही होगा।

*२३--श्री श्रीनाथ राम--क्या सरकार वहाँ की स्त्रियों की इस कठिनाई को दूर करने के लिये महिला अस्पताल खोलने की आवश्यकता समझती है, जब कि सम्पूर्ण जनता पूर्णरूपेण सहयोग देने के लिये तैयार है ?

श्री बनारसी दास--जी हाँ, अवश्य। यदि इमारत मिल जाय तो अस्पताल शीघ्र खोलने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री श्रीनाथ राम--क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि यह कस्बा घना आबाद होने के कारण यहाँ अस्पताल के योग्य मकान मिलना कठिन है ?

श्री बनारसी दास--जी हाँ, इसका उत्तर तो दिया जा चुका है कि यदि अब तक कोई इमारत मिल जाती तो वहाँ पर अस्पताल कायम कर दिया गया होता।

श्री श्रीनाथ राम--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे इस महिला अस्पताल के लिये कोई नयी इमारत बनाने की आवश्यकता नहीं समझते हैं ?

श्री बनारसी दास--जी हाँ, इसकी आवश्यकता है लेकिन सरकार चाहती है कि सभी लोगों की तरफ से इमारत के बनाने में कुछ सहायता की जाय क्योंकि सरकार की स्थिति आज इस प्रकार की नहीं है कि वह भवन के निर्माण के लिये काफी रुपया व्यय कर सके।

*२४--श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---[देखिए आगे पृष्ठ- २०३ - पर

*२५-२६--श्री नारायण दास (जिला फैजाबाद)---[२२ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

भीषण वर्षा से आगरा में मकानों की हानि

*२७--श्री देवकीनन्दन विभव---क्या सरकार को विदित है कि इस वर्षा में आगरा में गरीब बस्तियों में सैकड़ों मकान ढह गये हैं ? क्या सरकार इसके लिये कुछ सहायता देगी ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हाँ। इस प्रकार की माँग आने पर सरकार विचार करेगी।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में आगरा चुंगी की कोई रिपोर्ट प्राप्त की है ?

श्री मोहनलाल गौतम--इस संबंध में कुछ रिपोर्ट आयी है।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी उस रिपोर्ट का कुछ आशय बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसके बतलाने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा।

जौनपुर की सोशलिस्ट पार्टी के तत्वावधान में म्युनिसिपैलिटी के विरुद्ध सत्याग्रह

*२८--**श्री राम सुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि सोशलिस्ट पार्टी, जौनपुर, के तत्वावधान में २६ जुलाई, सन् १९५२, से कोई सत्याग्रह चल रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हाँ, सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से म्युनिसिपैलिटी के विरुद्ध २६ जुलाई को एक आन्दोलन आरम्भ किया गया था जिसे सत्याग्रह कहना उचित नहीं क्योंकि उन लोगों ने बोर्ड के आफिस में जबरदस्ती घुस कर फाइल, रजिस्टर और कलम वगैरह छीना था, जिसके लिये ६ व्यक्तियों पर अदालत में १४७,४४७,३५३, १८६ ताजीरात हिन्द की धाराओं के अनुसार मुकदमा चल रहा है।

*२९--**श्री राम सुन्दर पांडेय**---क्या सोशलिस्ट पार्टी की ओर से म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन, कलेक्टर और प्रान्त के स्वायत्त शासन मंत्री को माँगों और सत्याग्रह की सूचना पहले से दी गयी थी? यदि हाँ, तो सरकार ने इस पर क्या कार्य-वाही की ?

श्री मोहन लाल गौतम---सोशलिस्ट पार्टी की ओर से केवल बोर्ड के चेयरमैन और कलेक्टर को ही सूचना दी गयी थी, स्वायत्त शासन मंत्री को नहीं। अतएव प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री राम सुन्दर पांडेय---क्या माननीय स्वशासन मंत्री जी को जिलाधीश जौनपुर और चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड जौनपुर ने कोई सूचना सत्याग्रह की दी थी ?

श्री मोहन लाल गौतम---इस प्रकार की सूचनायें बाकायदा गवर्नमेंट के पास डिपार्टमेंटली आती ही रहती हैं।

श्री राम सुन्दर पांडेय---क्या माननीय स्वशासन मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह सूचना क्या थी ?

श्री मोहन लाल गौतम---समय-समय पर उसके संबंध में जो भी वहाँ कार्यवाहियाँ होती हैं उनकी सूचना आती रही है।

*३०--**श्री राम सुन्दर पांडेय**---इस संबंध में अब तक कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं और वह लोग किस श्रेणी में रक्खे गये हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---९ सितम्बर तक इस संबंध में ५९ व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके थे। इन ५९ व्यक्तियों में से केवल ५ या ६ व्यक्ति जौनपुर म्युनिसिपैलिटी के निवासी हैं और बाकी बाहर के और इन ५ या ६ व्यक्तियों में से एक भी टैक्स पेयर नहीं है और ये सब सी श्रेणी में रखे गये थे। इसके बाद की सूचना सरकार को नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि २० अगस्त को २० सत्याग्रहियों के हथकड़ी पहनने से इंकार करने पर पुलिस ने उनकी छाती पर चढ़कर और मारपीट कर उनको हथकड़ी पहनाया ?

श्री मोहन लाल गौतम--अखबारों में इस तरह की बात जरूर देखने में आयी लेकिन जो रिपोर्ट मेरे पास आयी है उसमें मारपीट का जिक्र नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस बोर्ड की आर्थिक दशा कैसी है ?

श्री मोहन लाल गौतम---अच्छी है ?

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन आन्दोलनकारियों की माँगें क्या थीं ?

श्री मोहन लाल गौतम--इन आन्दोलनकारियों की माँगें जो चेयरमैन साहब ने जनता के सामने रखी हैं वह इस प्रकार हैं --

१--शहर के अन्दर और बाहर की साइकिलों के टैक्स के बारे में यह कहा गया था कि बाहर से जो लोग आते हैं उन पर टैक्स न लिये जायं इसके संबंध में चैयरमैन साहब का कहना यह है कि यह टैक्स सड़क को इस्तेमाल करने के लिये होता है इसलिये बाहर और अन्दर का कोई फर्क नहीं होना चाहिये। लेकिन बाहर से आने वालों के लिये यह सुविधा है कि वह एक आना रोज भी टैक्स दे सकते हैं।

२--म्युनिसिपैलिटी की लाइसेंस फी दूनी कर दी गयी है ऐसा उनका कहना है। यह बात बिल्कुल गलत है।

३--हाउस टैक्स एक आना बढ़ाया गया था जिसके खिलाफ यह आन्दोलन था। यह हाउस टैक्स गवर्नमेंट की अनुमति से बढ़ाया गया था।

४--वाटर टैक्स के खिलाफ उनका आन्दोलन था। वाटर टैक्स वहीं पर लगता है जहाँ पानी की सुविधा है और इस पर म्युनिसिपल बोर्ड घाटा उठा रही है तिस पर भी रुपये में केवल एक पैसा प्रतिवर्ष टैक्स में वृद्धि की गई थी।

५--बोर्ड के स्कूल जो प्राइमरी एजूकेशन के हैं उस पर कोई फी नहीं है और जूनियर हाई स्कूल में जो सरकारी और गैरसरकारी स्कूलस में फीस है उनके मुकाबिले में बहुत कम है।

६--आक्ट्राय की जगह टर्मिनल टैक्स हो, यह भी उनकी माँग थी। यह टर्मिनल टैक्स का सब्जेक्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है और इस पर भी प्रान्तीय सरकार विचार कर रही है और केन्द्रीय सरकार से इस पर विचार विनिमय हो रहा है।

श्री सीताराम शुक्ल--किस-किस श्रेणी के लोगों को जेलों में नीचे क्लास में रखा जाता है ?

श्री मोहन लाल गौतम--मैं पहले कह चुका हूं कि सब लोग सी क्लास में थे। पाँच आदमी म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर के रहने वाले हैं जिसमें कोई भी टैक्स पेयर नहीं है। बाकी म्युनिसिपैलिटी के एरिया के बाहर के हैं।

श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि उसने अखबारों में पुलिस द्वारा अत्याचार होने की खबर पाकर कोई जाँच की ? यदि की तो जो अखबारों में खबर निकली थी वह सही थी या नहीं ?

श्री मोहन लाल गौतम--उसके बारे में सरकारी तौर से सूचनाएं आती रहती हैं और जो खबर अखबारों में निकली थी वह सत्य नहीं थी।

चीफ सेनिटरी इन्सपेक्टर तथा सेनिटरी इन्सपेक्टरों का वेतन-क्रम

*३१--**श्री पारिपूर्णानन्द वर्मा** (जिला गोरखपुर)--क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर तथा सैनिटरी इंस्पेक्टरों के वेतन की दर क्या है तथा किस स्केल में हैं ?

श्री बनारसी दास--चीफ सैनिटरी तथा सैनीटरी इंस्पेक्टरों का वेतन-क्रम इस प्रकार है --

१--चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर रु० १५०-७ १/२--२१० (प्र० अ०) १०--३००।

२--सैनिटरी इंस्पेक्टर रु० १२०--५--१५०-(प्र० अ० ७ १/२--२१०।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी नियमों के अनुसार लोअर ग्रेड की जो मैक्सिमम सैलरी होती है वह हायर ग्रेड की मिनिमम हुआ करती है ?

श्री बनारसी दास--जहाँ तक यह प्रश्न है इसके बारे में सरकार ने एक पे कमेटी लोकल बाडीज के लिये नियुक्त की थी और उसी की सिफारिश के अनुसार सैनिटरी इंस्पेक्टर्स का वेतनक्रम नियत किया गया था। जहाँ तक अन्य कर्मचारियों का सवाल है लोकल बाडीज के कर्मचारियों पर वह नियम तो लागू होता नहीं ?

*३२--श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--क्या यह सत्य है कि चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर केवल सैनिटरी इंस्पेक्टरों में से लिये जा सकते हैं ?

श्री बनारसी दास--जी हां। चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर सैनिटरी इंस्पेक्टरों में से ही लिये जाते हैं।

*३३--श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--इस संबंध में सैनिटरी इंस्पेक्टर्स असोसियेशन के आवेदन-पत्र पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्री बनारसी दास--प्रस्ताव अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सैनिटरी इंस्पेक्टर्स असोसियेशन का आवेदनपत्र किस वर्ष प्राप्त हुआ था ?

श्री बनारसी दास--१९५० में यह आवेदनपत्र प्राप्त हुआ था।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री यह बतायेंगे कि उसमें कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री बनारसी दास--यह प्रश्न अभी तक स्वशासन सचिवालय के विचाराधीन है।

उत्तर राप्ती तहसील डुमरियागंज में हताहतों की चीरफाड़ की व्यवस्था

*३४--श्री राम लखन मिश्र (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर राप्ती तहसील डुमरियागंज में हताहतों की चीरफाड़ किस अस्पताल में होती है ? उस स्थान की उपरोक्त राप्ती क्षेत्र से दूरी क्या है ?

श्री बनारसी दास--डुमरियागंज थाने के हताहतों की चीरफाड़ बस्ती के अस्पतालों में होती है। डुमरियागंज थाने से बस्ती अस्पताल ३८ मील की दूरी पर है।

*३५--श्री राम लखन मिश्र--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बांसी अस्पताल तथा बस्ती क्रमशः ३० मील और ४० मील उत्तर राप्ती क्षेत्र से पड़ते हैं ?

श्री बनारसी दास--जी हां।

श्री राम लखन मिश्र--क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि डुमरियागंज थाने से बस्ती पहुंचते-पहुंचते शव विकृत हो जाते हैं और शल्यपरिणाम ठीक नहीं हो पाता ?

श्री बनारसी दास--३५ में इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं दिया गया है। उसमें यह है, "क्या सरकार को ज्ञात है कि बांसी अस्पताल तथा बस्ती क्रमशः ३० मील और ४० मील उत्तर राप्ती क्षेत्र से पड़ते हैं।"

श्री रामलखन मिश्र--मेरा प्रश्न पोस्ट मार्टम के संबंध में था। यदि वह ३५ में नहीं आता है तो ३४ के उत्तर से उसका संबंध होगा। प्रश्न यह था कि डोमरियागंज थाने से बस्ती तक के शव जो भेजे जाते हैं, वह पहुंचते-पहुंचते क्या विकृत नहीं हो जाते और उनका जो शल्य-परिणाम होता है वह ठीक नहीं हो पाता ?

श्री बनारसी दास--फिलहाल इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार यह प्रबन्ध किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम का प्रबन्ध बांसी में किया जाय, बस्ती में न किया जाय।

*३६—श्री राम लखन मिश्र—क्या सरकार इटावा अस्पताल में पोस्ट मार्टम कराने की व्यवस्था पर कोई विचार कर रही है ?

श्री बनारसी दास—इस समय किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है।

*३७-३८—श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—[२२ अक्तूबर, १९५२ के लिए स्थगित किये गए ।]

पंचायत राज इंस्पेक्टरों की नियुक्ति

*३९—श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि पंचायत राज इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति किस आफिसर के द्वारा की जाती है ?

श्री मोहनलाल गौतम—पब्लिक सर्विस कमीशन के परामर्श तथा स्वीकृति के पश्चात् स्वीकृत सूची में से निरीक्षकों की नियुक्ति के अधिकारी संचालक पंचायत राज हैं ।

*४०—श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक कितने पंचायत राज इंस्पेक्टर्स नियुक्त किये गये हैं ? उनकी नियुक्ति के पूर्व इच्छुक उम्मीदवारों की सूचनार्थ विज्ञापन निकाले गये थे या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम—अब तक कुल ६१५ व्यक्तियों को पंचायत राज इंस्पेक्टर्स के पद पर नियुक्ति के आदेशपत्र दिये गये हैं, उसमें से इस समय केवल ४२६ व्यक्ति कार्य कर रहे हैं । केवल विलीनीकृत राज्यों के कर्मचारियों की स्थायी नियुक्तियों को छोड़-कर अन्य नियुक्तियां विज्ञापन निकालने के बाद की गयी हैं।

अस्थायी स्थानापन्न नियुक्ति (टेम्पोरेरी आफिशियेटिंग एप्वाइंटमेंट) के लिये विज्ञापन नहीं निकाला जाता।

श्री हरदयाल सिंह पिपल—यह बतलाया गया है कि ६१५ व्यक्तियों को पंचायत राज इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है, जिनमें ४२६ काम कर रहे हैं, तो बाकी १८९ क्यों नहीं काम कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—जो ६१५ नियुक्त किये गये थे वह तो पंचायत राज संचालक ने नियुक्त किये । इस वक्त ४२६ काम कर रहे हैं। कुछ लोग छोड़कर चले गये, कुछ लोग दूसरी जगह ट्रांसफर हो गये, कुछ लोग नालायक करके निकाल दिये गये। इस वक्त ४२६ काम कर रहे हैं और जितनी संख्या आपने बताई है वह मुहकमें से अलग हो चुके हैं।

श्री हरदयाल सिंह पिपल—जो पंचायत राज इंस्पेक्टर छोड़कर चले गये हैं या जिनको निकाल दिया गया है उनकी जगह पर नियुक्ति सरकार कब तक करने जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—उनके स्थान पर, जैसा कि कहा गया कि टेम्पोरेली सेक्रेटरीज और क्लर्क्स में से जो पंचायत राज के हैं, जगह भर ली जाती है और पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने यह मामला जल्दी ही जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व नियुक्तियां बिना पब्लिक सर्विस कमीशन की राय के की गयीं थीं ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, एडहाक कमेटी ने की थीं।

श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह—क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि इन खाली जगहों पर हरिजन भाइयों को मुकर्रर कर दिया जाय ?

श्री मोहनलाल गौतम—गवर्नमेंट की यह साफ हिदायतें हैं कि दस फीसदी हरिजन रखे जायं और जो योग्य सेक्रेटरीज या क्लर्क्स में से हैं, उनको भी नियुक्त किया जा सकता है।

*४१--श्री हरटयाल सिंह पिपल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंचायत राज इंस्पेक्टर्स के लिये कितनी योग्यता का होना आवश्यक है और हरिजन उम्मीदवारों के लिये क्या विशेष रियायत रक्खी गयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम--पंचायत राज इंस्पेक्टर्स के प्रथम चुनाव के लिये जो योग्यतायें निर्धारित की गयीं थीं वह संलग्न हैं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २५२ पर)

हरिजन उम्मीदवारों के लिये निम्नलिखित विशेष रियायतें रक्खी गयी हैं --

१--अधितम आयु से ३ वर्ष की छूट।

२--१० प्रतिशत स्थान सुरक्षित किये जाते हैं।

३--गत निर्वाचन में योग्य हरिजन पदाकांक्षियों के न मिलने के कारण कुछ को शिक्षा योग्यता में रियायत विशेष रूप से दी गयी थी, अर्थात् इंटर के स्थान में हाई स्कूल भी ले लिये गये थे।

रायबरेली जिले के पंचायत कार्यालय से बिल गायब

*४२--श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)--क्या सरकार को ज्ञात है कि रायबरेली जिले के पंचायत कार्यालय से २८ सितम्बर, १९५१ ई०, का वह बिल जिस पर जाली हस्ताक्षर थे जो जांच हेतु वापस हुआ था, गायब हो गया ?

श्री मोहनलाल गौतम--२८ सितम्बर, १९५१ का बिल, जो जाली हस्ताक्षर कर के प्रस्तुत किया गया था, वह इस समय जिला पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

श्री दलबहादुर सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बिल गायब होने के लिये तत्कालीन योजनाधिकारी जिम्मेदार है या कार्यालय के प्रधान लेखक ?

श्री मोहनलाल गौतम--क्योंकि इस मामले की जांच हो रही है इसलिये इससे पहले मेरे लिये कोई राय देना मुनासिब नहीं है।

*४३--श्री दलबहादुर सिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह उक्त बिल के संबंध में अब क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम--उपरोक्त बिल के संबंध में तत्कालीन जिला नियोजन अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है तथा उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है।

बस्ती जिले की खलीलाबाद तहसील में पंचायत अदालत खाजो के अन्तर्गत विचाराधीन मुकद्दमें

*४४--श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती, तहसील खलीलाबाद, में कोई अदालत पंचायत खाजो है ? यदि है, तो उस अदालत पंचायत में कितने मुकद्दमें फैसले के लिये कब से पड़े हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम--जी हां, जिला बस्ती, तहसील खलीलाबाद, में खाजो नाम की पंचायती अदालत है। इस पंचायती अदालत में फौजदारी के ३५, दीवानी के ५, तथा माल के २४ मुकद्दमें विचाराधीन हैं। उनके विषय में ब्यौरा संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २५३ पर)

श्री धनुषधारी पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अदालती पंचायतों को मुकद्दमें फैसला करने के लिये कोई समय नियत है ?

श्री मोहनलाल गौतम--अभी तक इस प्रकार की टाइम लिमिट पर कोई कार्य-वाही नहीं हो सकी है ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--क्या मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि पंचायत अदालत के पंचों को पंचायत अदालत में आने का कोई समय निश्चित है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जिस समय कोई पंचायत बनती है तो उसकी नोटिस वे खुद दे देते हैं, वही समय होता है।

टाउन परिया क्षेत्रों में किराया नियन्त्रण तथा निष्कासन के सम्बन्ध में आदेश

* * * *

*२४--श्री रामस्वरूप गुप्त (अनुपस्थित)--क्या सरकार एक प्रति उस आदेश की टाउन एरिया मेज पर रखने की कृपा करेगी जो उसने टाउन एरिया क्षेत्रों में किराया नियंत्रण और निष्कासन (rent control and eviction) के संबंध में प्रचारित की थी ?

अन्न मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--कंट्रोल आफ रेंट ऐन्ड एविक्शन ऐक्ट भिन्न २ क्षेत्रों को भिन्न २ विज्ञप्तियों द्वारा लागू किया गया। इसकी अनुसूची मेज पर रख दी गयी है। जिस विशेष विज्ञप्ति की प्रति माननीय सदस्य चाहते हैं, उसकी सूचना आने पर प्रति देना संभव हो सकेगा।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २५५ पर)

दिल्ली तथा कानपुर की नार्दर्न रेलवे की स्थानीय परामर्शदात्री समितियों के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

अध्यक्ष--मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि दिल्ली की नार्दर्न रेलवे की स्थानीय परामर्श-दात्री समिति के एक स्थान की जो पूर्ति होनी थी उसमें श्रीदेवदत्त शर्मा चुने गए।

कानपुर की नार्दर्न रेलवे की स्थानीय परामर्शदात्री समिति के एक स्थान के लिये श्री परमानन्द सिन्हा चुने गये और दूसरे माननीय सदस्यों ने अपना नाम वापस ले लिया।

संस्कृत शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिये निर्वाचित सदस्य के नाम की घोषणा

अध्यक्ष--संस्कृत शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, के एक स्थान के लिये श्री दीनदयालु शास्त्री (सहारनपुर) चुने गए और और लोगों ने नाम वापस ले लिये ।

प्राक्कलन समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम

अध्यक्ष--प्राक्कलन समिति से श्रीमती चन्द्रवती जी और श्री द्वारिका प्रसाद मित्तल ने त्यागपत्र दे दिया है और मैंने उसको स्वीकार कर लिया है। उनकी जगह दो सदस्यों को चुना जाना है। उसके लिये यह कार्यक्रम है :--

नाम निर्देशन पत्रों के प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय : ६ अक्तूबर, १९५२ को ३ बजे तक।

नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा : ६ अक्तूबर, १९५२ को ४ बजे दिन के समय ।

नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि तथा समय : ८ अक्तूबर, १९५२ को ३ बजे तक।

निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो एकलसंक्रमणीय मतानुसार विधान वाचनालय में १० अक्तूबर को ११ बजे से ५ बजे तक होगा ।

*उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध विधेयक, १९५२

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध विधेयक, १९५२ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

गृह मंत्री साहब नैनीताल लेबर कांफ्रेंस में गये हुए हैं, इस वजह से मैं इस बिल को इस स्टेज पर लेने के लिये खड़ा हुआ हूं। सेलेक्ट कमेटी में यह बिल गया था। रिपोर्ट उसकी आ गयी है, मेम्बरान को मिल चुकी है। कायदे के मुताबिक इस रिपोर्ट के ऊपर कोई तकरीर ऐसी जिससे बिल के मुताल्लिक रोशनी डाली जाय, सिवाय इसके नहीं हो सकती है कि जो तरमीमें या संशोधन सेलेक्ट कमेटी ने कर दिये हैं, उनके मुताल्लिक अगर कुछ कहना हो तो सिर्फ वह कहा जाय और कोई बहस इस जमके पर नहीं हो सकती है। चूंकि रिपोर्ट मेम्बरान के सामने है और उसमें जो-जो तब्दीलियां सेलेक्ट कमेटी ने की हैं वे सब लिखी हुई हैं, इसलिये मैं जरूरी नहीं समझता हूं कि उनको इस हाउस के सामने बयान करूं। लेकिन उसमें से दो-तीन चुने हुए संशोधन जो हैं उनके मुताल्लिक मैं सिर्फ यह बतला देना चाहता हूं कि वे संशोधन असल में क्या हैं। यों तो इसका खंड २ जो है उसके उपखंड (१) में एक एक्सप्लेनेशन था। उस एक्सप्लेनेशन को सेलेक्ट कमेटी ने निकाल देना तजवीज किया है। ४ (२) में लफ्ज "का" है। खंड ५ में भी एक लफ्ज की जगह दूसरा लफ्ज रखना है। खंड ६ जो है, उसमें एक बात बढ़ाने के लिये सेलेक्ट कमेटी ने तजवीज किया है और वह यह है कि इस क्लाज के मातहत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह भी मालूम करना होगा, उस वक्त जबकि इसका मामला पेश है वह हैबिचुअल आफेंडर क्या काम या पेशा कर रहा है। उसके बाद इसी क्लाज में एक क्लाज और बढ़ाना तजवीज हुआ है जिसमें इस बात का मालूम करना जरूरी होगा कि किन हालात के अन्दर जिसके खिलाफ कि हुक्म हो गया है इसके लिये गवर्नमेंट प्रोविजन तजवीज करेगी। ऐसे ही और चन्द हैं जो छोटे-छोटे और लफ्ज के हैं। उनको छोड़कर इसमें एक सेक्शन १२ (ए) बढ़ाया गया है।

१२ (ए) इसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अख्तियार दिया जा रहा है कि वह इससे पहले कि हुक्म को मंजूर करे या उसको तरमीम करे या आयन्दा जारी रखने को तजवीज करे, हर एक असेसर से दरियाफ्त करेगा और उनकी राय जुबानी लेगा, कुछ सवाल करेगा, वह लिखे जायेंगे और जो राय असेसरान देंगे वह लिखी जायगी और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपना हुक्म देगा। लेकिन उसके ऊपर लाजिम नहीं होगा कि जो राय असेसर्स ने दी है उसके मुताबिक फैसला दे बल्कि वह अपना आजादाना फैसला दे सकता है।

इसके अलावा इसमें सिर्फ एक तरमीम और हुई है। एक दफा १३ है, इसका उपखंड (१) था। उसके बजाय दूसरा तजवीज किया गया है। उसमें यह है कि यह बिला पनिशेबिल के अलावा उन सजाओं के जो तजवीज की गयी हैं एक सजा यह भी दी जा सकेगी कि १२ महीने तक उनको किसी सेटिलमेंट में कैद रखें। यह नई बात इसमें तजवीज हुई है। इसके अलावा बाकी तरमीमें कुछ अल्फाज के मुताल्लिक हैं और वह एक आध जगह बढ़ा दिये गये हैं और कोई ऐसी बात नहीं है जिसको बयान करने की जरूरत हो। मेम्बर साहबान ने रिपोर्ट को पढ़ा भी होगा और उनके सामने रिपोर्ट मौजूद है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन एक तरमीम की सफाई पेश करके अर्ज करना तो महज हाउस का वक्त सर्फ करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस प्रवर समिति की इस रिपोर्ट को मंजूर कर लेगा।

---

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २२ सितम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, यह बिल प्रवर समिति से लौट कर आया है। जिस समय शुरू-शुरू में यह बिल सदन के सामने प्रस्तुत हुआ था तो हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी को इसके लिये बधाई दी थी कि यह प्रान्त में अपराधों को रोकने के लिये सक्रिय प्रयत्न है। सिलेक्ट कमेटी के तथा अन्य बहुत से सुझाव हमारे दल की ओर से हुए हैं जो महत्वपूर्ण हैं और उनको मंत्री जी ने माना है। इसलिये इस बिल को लाने के लिये हम गृह मंत्री जी को दुबारा बधाई देना चाहते हैं और इस बात के लिये विशेषतौर से कि जब जब हमारी तरफ से दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश में अपराधों में वृद्धि हो रही है .....

अध्यक्ष--माननीय सदस्य विरोध करना चाहते हैं या अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी--दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

अध्यक्ष--इस तरह से भाषण नहीं हो सकता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--सपोर्ट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष--नियम के अनुसार कोई वाद-विवाद नहीं हो सकता है। यदि विरोध करना चाहते हैं या तरमीम लाना चाहते हैं तो सदन में बोल सकते हैं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध विधेयक, १९५२, पर जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

परिभाषायें

२--(१) विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :

(क) "कोड" का तात्पर्य कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८, से है।

१८९८ का ऐक्ट, संख्या ५

(ख) "जिला मैजिस्ट्रेट" के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट) अथवा राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से इस अधिनियम के अधीन जिला मैजिस्ट्रेट के कार्यों का सम्पादन करने के लिये अधिकृत किया गया प्रथम श्रणी का कोई अन्य मैजिस्ट्रेट भी है।

(ग) "अभ्यस्त अपराधी" (habitual offender) का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस अधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व या पश्चात् अनुसूची में उल्लिखित (set forth) किसी अपराध के लिये कम से कम तीन-पृथक पृथक अवसरों पर मौलिक अवधि के कारावास (substantive term of imprisonment) का दंड दिया गया हो, और ऐसा कारावास का दंड अपील अथवा पुनरीक्षण (revision) में निरस्त (set aside) न कर दिया गया हो।

(घ) "प्रतिबन्ध आज्ञा" (order of restriction) का तात्पर्य धारा ३ में उल्लिखित प्रकार की आज्ञा से है।

(ङ) "नियत" (prescribed) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है।

(च) "बस्ती" (settlement) का तात्पर्य धारा ११ के अधीन स्थापित अथवा प्रमाणित (established or certified) बस्ती से है।

(छ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।
(ज) इस अधिनियम में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों के, जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं दी गयी है, वही अर्थ होंगे जो कि कोड में उनके किये गये हैं।

(२) यदि कोई व्यक्ति साधारणतः किसी स्थान पर रहता हो या वहाँ पर रहने के लिये अपने अधिकार में कोई मकान रखता हो तो वह साधारणतः उस स्थान का निवासी समझा जायगा।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एजेन्डे के १६ नम्बर पर हमारा संशोधन खंड (२) के उपखंड १(ग) को निकाल देने के लिये है। अगर यह मान लिया जाता है कि यह निकाल दिया जाय तब कोई जरूरत नहीं है कि और संशोधनों की बात करें। अगर न निकाला जाय तब शुरू किया जाय।

अध्यक्ष---निकाल दिया जाय, अगर यह संशोधन है तो इसकी प्रथा यह है कि आप विरोध कर सकते हैं। आपके पहले जो जयपाल सिंह जी का संशोधन है यह अगर स्वीकृत हो जाता है तो आपका संशोधन नहीं आता और अगर आप पूरा क्लाज निकाल देना चाहते हैं तो जयपाल सिंह जी का जो संशोधन है उसका विरोध करके उसे आप गिरा दें।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) (ग) की पंक्ति २ में शब्द "ऐसे व्यक्ति से है" और शब्द "जिसे" के बीच शब्द "जिसकी उम्र १८ वर्ष से कम न हो और" जोड़ दिये जायं।

मैं इस संशोधन को इसलिये आवश्यक समझता हूं कि आगे धारा ४ (२) (१) में यह दिया हुआ है कि वह नोटिस की दिनांक पर १८ वर्ष से कम उम्र का था तो मेरा संशोधन यह है कि जब हम आगे की धाराओं में यह प्रतिबन्ध लगा रहे हैं कि वह अपने मामले में यह बात साबित कर सके कि फलाँ व्यक्ति १८ साल से कम उम्र का है, ज्यादा का नहीं है, इसलिये वह इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत नहीं होता है और उस पर यह प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है। जब हम उसको यह हक देते हैं कि वह इस तरह की पैरवी कर सके तो मैं यह जरूरी समझता हूं कि इस तरह से हम अभ्यस्त की जो परिभाषा है उसमें इस तरह का संशोधन ले आया जाय जिससे १८ साल की कम उम्र के लोग बच सकें और उनके ऊपर किसी तरह का प्रतिबन्ध न लग सके। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जायगा।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं श्री जयपाल सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं लेकिन मैं उस संशोधन का समर्थन करता हूं जो कि लिखित भाषा में है। वह इतना महत्वपूर्ण संशोधन है कि अगर वह स्वीकार कर लिया गया तो इस विधेयक की सीमा बहुत कम हो जाती है और मैं इस सदन से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक की सीमा निश्चित रूप से सीमित होनी चाहिये। इस विधेयक का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति तीन बार सजा पा चुका हो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है और वह कार्यवाही यह है कि उसके ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जाय और वह एक स्थान में रहे और उस स्थान में रह कर वहाँ किसी थाने में अपने रहने की इत्तिला दे और उस पर जिस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया गया है उसका वह पालन करे। अगर वह उस प्रतिबन्ध को तोड़ता है तो इस विधेयक के अन्दर सरकार को यह अख्तियार हो जाता है कि उसको तीन वर्ष के लिये किसी सेटिलमेंट में रक्खा जा सकता है। इसकी अवधि यह हो जाती है कि लगभग सजा पाने के बाद एक व्यक्ति ८ वर्ष तक या साढ़े आठ वर्ष तक इस विधेयक के अन्दर प्रतिबन्ध में रखा जा सकता है। इस प्रतिबन्ध

के अनुसार अदालत और कचहरी में ऐसे हुक्मों की कोई जाँच नहीं हो सकती है। यहाँ पर माननीय वित्त मंत्री और माननीय मंत्री न्याय बैठे हुए हैं और दोनों आदमी खुशकिस्मती से मेरे पेशे के हैं। इसलिये मुझे आशा है कि मैं जो कहूंगा उसको वह सहानुभूति के साथ सुनेंगे। मेरे विचार से किसी व्यक्ति को ८ वर्ष तक प्रतिबन्ध में रखना एक बहुत ही गंभीर बात होगी और उसके लिये इस विधेयक में जो कायदे बनाये गये हैं उन कायदे के अन्दर यह बेशक रखा गया है कि कोई अवसर पर मैजिस्ट्रेट उसकी जाँच कर सकता है और अपने हुक्म में संशोधन कर सकता है। इसके अतिरिक्त ३ महीने के बाद मामले की जाँच-पड़ताल हो सकती है और उसमें असेसरों के साथ पूछताछ हो सकती है। यहाँ पर असेसर्स हैं, जूरी नहीं हैं . . .।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य संशोधन के विषय पर आने की कृपा करें।

श्री शिवनाथ काटजू--मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि इस संशोधन को माना जाता है तो इस विधेयक की सीमा बहुत घट जाती है। मेरा मतलब यह है कि यह विधेयक इतना गंभीर है कि इसकी सीमा को कम किया जाय। इसकी गंभीरता पर मैं यह निवेदन करता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैंने अभी बतलाई। इस कारण से मेरे लिये यह आवश्यक हो जाता है कि मैं पूरे विधेयक पर प्रकाश डालूं, क्योंकि जब तक मैं विधेयक की सीमा का सदन को ज्ञान प्राप्त न कराऊंगा तो मेरा जो निवेदन है कि इसकी सीमा को सीमित रखना चाहिये वह मेरा विवेदन सदन के सामने पूरी तरह से नहीं आ सकता है।

अध्यक्ष--संशोधन तो केवल यह है कि १८ वर्ष से कम न हो और यह बात बहुत साधारण सी है।

श्री शिवनाथ काटजू--यदि यह मान लिया जाय कि अभ्यस्त अपराधी वही होगा जो कि १८ वर्ष से कम का हो, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस विधेयक के अन्दर जो कार्यवाही की जा सकती थी वह उन्हीं लोगों के लिये की जा सकती थी जो कि १८ वर्ष के अन्दर हैं . . .।

अध्यक्ष--मैं आपको पूरे बिल पर बोलने की इजाजत नहीं दे सकता।

श्री शिवनाथ काटजू--मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक को सीमित ही रखा जाय और उसके लिये मैं श्रीमान् से प्रार्थना करूंगा कि मुझे इसका अवसर दिया जाय कि मैं सदन को बतला सकूं कि इसको सीमित क्यों रखा जाय। इस विधेयक के अन्दर अभ्यस्त अपराधी को मौका दिया गया है कि वह मैजिस्ट्रेट के सामने ३ महीने के बाद अपने मामले को रखे और मैजिस्ट्रेट के निश्चय करने के बाद फिर उसके खिलाफ अदालत में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि मैजिस्ट्रेट के सामने क्या बात रहेगी यह देखना है। इस विधेयक में यह कहीं नहीं कहा गया है कि किस प्रकार से इन पुराने सजायाफ्ता लोगों पर कार्यवाही चलाई जाय। यह इस विधेयक में साफ नहीं बतलाया गया है कि जितने भी तीन बार के सजायाफ्ता हैं उन पर किस तरह से कार्यवाही चलाई जाय अथवा उनमें से किन लोगों पर कार्यवाही की जा सकती है। इसका फैसला केवल दरोगा के हाथ में या थाने के हाथ में रहेगा। उनकी रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के सामने आयेगी। मैजिस्ट्रेट अपनी कार्यवाही करेगा। मंत्री जी के सामने या सेक्रेटेरिएट के सामने जब मामला आयेगा तो जो नीचे से लिखा हुआ आयेगा उसी पर कार्यवाही हो जायगी। मेरे विचार से किसी व्यक्ति के फन्डामेंटल राइट्स का लेना केवल दरोगा जी की रिपोर्ट पर, मैं इस सदन का सदस्य और एक वकील होने के नाते इसको बहुत ही अनुचित समझता हूं। मेरा निवेदन यह है कि अगर इसकी सीमा सीमित ही कर दी जाय तो बहुत सी इसकी बुराई दूर हो जायं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें तो १८ साल उम्र की बात थी और वह लम्बी-चौड़ी बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष--इसके लिये मैं उनको आगाह कर चुका हूं।

श्री शिवनाथ काटजू--जैसा मैंने आरम्भ में निवेदन किया कि यदि १८ साल की सीमा रखते हैं और अभियुक्त १८ वर्ष के नीचे का ही माना जायगा तो खराबी दूर हो जायगी।

अध्यक्ष--मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप इस आड़ में पूरे बिल पर सिंहावलोकन नहीं कर सकते।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के माननीय प्रस्तावक महोदय की मन्शा से सहानुभूति रखते हुए भी इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उन्होंने अपने संशोधन में कहा है कि "जिसकी उम्र १८ वर्ष की हो" उनकी मन्शा यही होगी कि जिसकी उम्र १८ वर्ष के नीचे हो। आगे खंड ६ में इस चीज को साफ कर दिया गया है उसको देख लें तो यह चीज साफ हो जाय। इस तरह से १८ साल की बात तो आ गयी लेकिन अगर कोई २१ साल का हो तो क्या होगा? इसलिये मैं समझता हूं कि आगे जो श्री कमला सिंह जी का संशोधन है कि "१८ साल से कम का न हो" वह ठीक होगा। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि प्रस्तावक महोदय अपने इस संशोधन को वापिस ले लेंगे और सदन श्री कमला सिंह जी का जो संशोधन है उसे स्वीकार करेगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं जनाबवाला, इस फिक्र में हूं कि कहने वालों का मतलब है क्या। एक बात मैं समझता हूं कि सही है और उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि १८ वर्ष के आदमी को आदमी समझा जाय और कार्रवाई जो की जाय उसके खिलाफ हो और १८ साल से कम वाले के खिलाफ न हो। सही बात है लेकिन उसकी डेफिनिशन में वह अल्फाज बढ़ा दिये जायं तो इब्तदाई काम करने वाला जो आदमी है वह १८ और १९ में क्या इम्तियाज कर सकता है या कोई १९ का है तो उसको १८ का समझा जा सकता है और इसी तरह से १८ साल वाले को ज्यादा का समझा जा सकता है। लेकिन जब कभी भी कोई उम्र कायम होगी तो वह प्रूफ से होगी। इसलिये खंड ४ में चन्द बातें रख दी गयी हैं। सबसे पहले यह लिखा है कि वह शख्स जिसके खिलाफ इस कार्यवाही के करने का नोटिस दिया हो वह जवाबदेही कर सकता है जिसकी उम्र १८ साल से कम या १८ साल की हो। इसलिये इसमें नोटिस देने की पहली बात है और उस पर वह उज्र कर सकता है। इस कानून ने पूरा मौका दिया है। इसलिये जब यह बात वहाँ साफ है तो मैं यह समझने से कासिर हूं कि इस जगह पर भी इस तरमीम के जरिये से इसे करने की क्या जरूरत है। इसलिये मैं समझता हूं कि तरमीम का जो मन्शा है वह पहले से इस में मौजूद है। इसलिये इसकी जरूरत नहीं है।

श्री जयपाल सिंह--अध्यक्ष महोदय, मेरा मंशा तो यह था कि जब हम कोई कानून बनाने जा रहे हैं तो उसमें एक डेफीनिटनेस होनी चाहिये। यह साफ होना चाहिये कि अभ्यस्त अपराधी कौन है।

अध्यक्ष---कृपया माननीय सदस्य श्री सुरेश प्रकाश सिंह जी का जो भाषण हुआ है उसकी तरफ भी ध्यान रखें।

श्री जयपाल सिंह--मेरा मतलब है कि वह साफ हो जाना चाहिये। जब यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री कमला सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) (ग) की पंक्ति २ में शब्द "व्यक्ति से है" के बाद शब्द "जो १८ वर्ष से कम का न हो और" बढ़ा दिये जायं।

यदि इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को पढ़ा जाय तो यह मालूम होगा कि अभ्यस्त अपराधी के मुताल्लिक यह निश्चित रूप से दिया गया है कि उस अपराधी की आयु १८ वर्ष से अधिक होना आवश्यक है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। अभ्यस्त अपराधी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस अधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व या पश्चात् अनुसूची में उल्लिखित किसी अपराध के लिये कम से कम तीन पृथक-पृथक अवसरों पर मौलिक अवधि के कारावास का दंड दिया गया हो, और ऐसा कारावास का दंड अपील अथवा पुनरीक्षण में निरस्त न कर दिया गया हो। इसमें १८ वर्ष से कम के लोगों का बिलकुल जिक्र नहीं किया गया है। इससे यह भी हो सकता है कि १८ से कम के जो लोग हैं उनको यदि पहले सजा मिल चुकी है तो अभ्यस्त अपराधी के रूप में उनको भी लिया जा सकता है। अभ्यस्त अपराधी की डेफिनिशन के अन्दर नाबालिग भी आ जाते हैं। यह सोचने की बात है कि नाबालिग को परेशान करना कहाँ तक उचित होगा।

अध्यक्ष--माननीय मंत्री जी ने धारा ४ का भी जिक्र किया है। तो आप जो वाद कर रहे हैं उस पर भी ध्यान रख कर वाद कीजिए।

श्री कमला सिंह--इसके मुताल्लिक मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस के पास पैदाइश और मौत का रजिस्टर रहता है। एक अपराधी जो कुछ भी नहीं जानता, पढ़ा-लिखा नहीं है या जिसके पास पैसा भी नहीं है अपने को डिफेंड कर सके, उस आदमी को अदालत में भेजा जाय सिर्फ यह साबित करने के लिये कि वह १८ साल से कम का है यह कहाँ तक उचित होगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--तो कैसे जाना जायगा कि उसकी उम्र क्या है ?

श्री कमला सिंह--उसके लिये पुलिस के पास रेकार्ड्स हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--हजारों और लाखों आदमियों का कोई रेकार्ड नहीं है।

श्री कमला सिंह--और अब तो पंचायतों को भी यह आदेश है कि पैदाइश और मौत का रजिस्टर रखें। अंग्रेजों के जमाने से पुलिस का रेकार्ड चला आ रहा है। तो इसलिये मैं नहीं समझता कि एक निस्सहाय आदमी को इस बोझ से लादना कि वह यह साबित करे कि मैं १८ वर्ष से कम का हूं यह कहाँ तक उचित है। आपके पास डाक्टर्स और सिविल सर्जन मौजूद हैं। आप उसे वहाँ भेज कर उसकी उम्र मालूम करवा सकते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी से यह उम्मीद करना कि वह सिविल सर्जन के पास जाय और १६ रु० खर्च करे, उसकी फीस देने में यह न्यायसंगत नहीं होगा। और ऐसी हालत में मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात की तस्दीक करेंगे कि वह १८ वर्ष से कम तो नहीं है। आया वह आदमी जिसके बारे में वह नोटिस जा रहा है, जो तलब किया जा रहा है, उसकी आयु १८ साल से कम तो नहीं है। यह निश्चय पहिले से ही हो जाने चाहिये। इसकी वजह से जो गड़बड़ी या हथकंडे पुलिस द्वारा किये जाते हैं और नाबलिगों को परेशान किया जाता है वह न हो पायेगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, यह यकीनी तौर पर किस तरह से मालूम होगा कि उसकी उम्र क्या है। म्युनिसिपेलिटी में जो रिकार्ड्स रखे जाते हैं उनके बारे में मुझे मालूम है कि सैकड़ों आदमी ऐसे निकलेंगे जिनका नाम मेरे यहाँ लगाने में इंदराज नहीं होगा, थाने में भी रिकार्ड रखा जाता है, लेकिन वहाँ भी वही हाल है। उसमें भी बहुत सों के नाम नहीं मिलेंगे। इसका मतलब तो यह होगा कि पहिले इस कानून को नाफिज किया जाय कि सब का रिकार्ड रखा जाय। जब २०-२५ बरस गुजर जायं तब जाकर यह कानून लाया जाय नहीं तो पता ही नहीं चल सकता। लिहाजा जिस वजह से यह बात कही जा रही है वह वजह ही मौजूद नहीं है।

श्री कमला सिंह--क्या मंत्री जी इस चीज को बतला सकते हैं कि वह अक्यूज्ड क्या डिफेंस लेगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---वह अपने बाप, माँ या पड़ोसी को पेश करेगा और उसके पास कोई तहरीरी रिकार्ड नहीं है।

श्री कमला सिंह---मेरे विचार में यह बात नहीं आयी कि वह अभ्यस्त अपराधी कहाँ से सबूत पेश करेगा जोकि अदालत में पेश किया गया है। जैसे अभी अपने भाषण में यह कहा था कि सरकार के पास तो सिविल सर्जन हैं और पुलिस रेकार्ड भी है, म्युनिसिपैलिटी का रिकार्ड भी है। वह कहीं न कहीं से यह बात जान सकती हैं कि उसकी उम्र क्या है, लेकिन वह गरीब आदमी कहाँ से इस बात का सबूत देगा। इसलिये मेरा तो नम्र निवेदन यही है कि जब गवर्नमेन्ट उसको नोटिस दे तो पहिले यह निश्चय कर ले कि वाकई वह नाबालिग है या नहीं तो बहुत सुन्दर होगा। जितने जिले हैं उनमें इस वक्त प्रोबेशन अधिकारी भी नियुक्त किये गये हैं। उनके जरिये से सरकार को पता लगाना चाहिये कि उसकी उम्र क्या है और ऐसे निस्सहायों की रक्षा करनी चाहिये।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) (ग) की पंक्ति २ में शब्द "व्यक्ति से है" के बाद शब्द "जो १८ वर्ष से कम का न हो और" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दास (जिला फैजाबाद)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय यह अभ्यस्त अपराधी बिल जब पहिली बार इस सदन में आया था तो बिना बहस हुए सेलेक्ट कमेटी में चला गया जिससे इस सदन को यह नहीं मालूम हो सका कि जो प्रश्न हमारे माननीय सदस्य श्री परिपूर्णानन्द जी ने उठाया था कि अपराध, अपराधी और अभ्यस्त अपराधी के बारे में संसार के दूसरे देशों ने जो निर्णय किया है उसके बारे में भारत जैसे पवित्र देश में हम क्या करें? मैं विधेयक के "अभ्यस्त अपराधी" के पक्ष में नहीं हूं।

एक सदस्य---अभी माननीय सदस्य ने अपना संशोधन पेश नहीं किया।

श्री नारायण दास---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी पहिली बार से आपके सामने बोल रहा हूं। अगर कोई त्रुटि हो जाय तो क्षमा की जाय।

मेरा संशोधन इस प्रकार है---

खंड २ के उपखंड (१) (ग) की पंक्ति ३ के शब्द "पूर्व या" निकाल दिये जायं।

तो अध्यक्ष महोदय, यह "पूर्व या" शब्द जो है इस अधिनियम में वह चीज जाहिर करता है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जान पाते कि इस बिल के बनाने के पहिले कितने लोगों पर इसका प्रतिबंध लागू होगा और यह है कि अभी हमारी सरकार ने जो जरायम पेशा कानून रद्द किया अभी चन्द दिन हुये ३१ अगस्त को हमारे महामान्य राज्यपाल महोदय ने जब इसको रद्द करने की आकाशवाणी की तो सिर्फ ३२ लाख आदमियों ने ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के बच्चे बच्चे ने उस पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की और दुनिया को यह दिखला देने का मौका मिला कि उत्तर प्रदेश जो है वह बड़ा से बड़ा सुधार कर लेने के लिये तैयार है। जो यह "पूर्व या" शब्द इस विधेयक में हैं इससे जरायम पेशा कौम का ही कोई सवाल नहीं है बल्कि यह सारे उत्तर प्रदेश की जनता का सवाल है जिन्होंने कि आजाद होने के बाद अपने वोटाधिकार का सुन्दर प्रयोग करके यहाँ पर सरकार बनाने का मौका दिया। आज हम जिनको गरीब समझते हैं उन पर इस विधेयक की धारा लागू होगी और यही नहीं बल्कि जरायम पेशा कौम ने जो अब तक अपना सुधार किया, सैकड़ों आदमियों ने पंचायतों द्वारा अपने चरित्र का सुधार करके अपनी निगरानी खटवायी और जो सुन्दर जीवन व्यतीत कर रहे हैं और सेटेलमेंट के भी हजारों आदमियों पर जिन्होंने अपना सुधार कर लिया है, उन पर भी जरायम पेशा कानून की कुछ धारायें आमतौर पर लागू की जायं यह उचित नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में से "पूर्व या" शब्द निकाल दिया जाय। हमारी सरकार ने जो अब तक काम किया है जनता के लिहाज से यह

शब्द उसमें नहीं है तो स्वर्णाक्षरों में इतिहास लिखा जायगा। जहाँ हमने जमींदारी तोड़ कर के लोगों को दिखला दिया है कि आजाद हुए हैं वहाँ दूसरी बात यह भी है कि वे लोग जिन्होंने कि हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति और इतिहास में अपना सुन्दर चरित्र बनाया है और सुन्दर जीवन व्यतीत किया है और जिन्होंने सारे संसार को शिक्षा दी है आज वे लोग भी समझ सकेंगे कि हम भी आजाद हैं और हमारी गवर्नमेंट ने जो हमें आजादी दी है वह बहुत बड़ी आजादी है। इस तरह से उनको मौका मिलेगा कि वे अपने चरित्र को सुधारें।

मैंने अपने माननीय गृह मंत्री जी से पूछ कर उनकी अनुमति से ही यह संशोधन पेश किया था। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि वे यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। मैं यह चाहता हूं कि आप इस पर अन्तिम निर्णय करें और वे गरीब आदमी जो भूखे, नंगे चारों तरफ फिर रहे हैं उनके ऊपर हमदर्दी दिखलावें और इस शब्द "पूर्व या" को निकाल देने की कृपा करें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मुझे तो बहुत ताज्जुब है इस बात पर कि गृह मंत्री साहब ने इस बात की रजामन्दी दी है कि इस कानून को बनाया भी जाय और बनाने के साथ ही इसे मिटा भी दिया जाय। मैं समझ नहीं सका इस बात को। मकसद इस संशोधन का सिर्फ इतना है जो मैंने समझा कि जो आदमी इस कानून के जारी होने से पहले ३ दफा सजायाफ्ता हो चुका होगा उनके ऊपर तो नहीं बल्कि उसके बाद जब इतनी तादाद हो जाय कि तीन दफा जुर्म नया आदमी कर ले तो उनके खिलाफ कानून जारी हो। तो जो उसका मकसद है वह तो जाहिर ही है। और यह भी जाहिर है कि कम से कम वह आदमी जो इस कानून को लेकर दुनिया के सामने खड़ा हुआ है वह ऐसा नहीं कर सकता है। मैं इसकी माकूलियत या गैर-माकूलियत पर बहस करना नहीं चाहता हूं। लिहाजा मैं तो मजबूर हूं कि इस तरमीम को मंजूर करूं और मुझे अफसोस है कि मेरे दोस्त गृह मंत्री जी नहीं हैं नहीं तो वे शायद इसे मंजूर कर लेते जैसा कि उन्होंने आपसे फरमाया था।

श्री जयपाल सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कानून का मसविदा जिस समय हमारे हाउस के सामने आया उस वक्त भी हमको यह मालूम होता था कि यह मसविदा क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट की जगह लेने के लिये आ रहा है। ३१ अगस्त को यह क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट का कानून गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने रिपील किया और जगह-जगह उसका ऐलान किया। २९ अगस्त को यह कानून हमारे भवन के सामने आया था। जब मैंने यह देखा कि जिन लोगों के लिये यह कानून रिपील किया गया है उनमें सिर्फ क्रिमिनल ट्राइब्स की बात ही नहीं है बल्कि उनके छोटे बच्चों पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। जिन्होंने आजादी की सांस ली है उनके ऊपर किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन लगाना मुनासिब नहीं है। उस कानून को रिपील करते समय माननीय राज्यपाल महोदय ने जो सन्देश दिया था उसे मैं पढ़ देता हूं।

"अपराधशील जातीय अधिनियम गुलामी का अवशेष था, जिसका आज अन्त होने जा रहा है। सोलह लाख समुदाय की बनी हुई जातियों के उत्थान के लिये उत्तर प्रदेश शासन ने आज तक काफी प्रयत्न किया है। आज से वे स्वतंत्र और गौरवशील बनेंगे और स्वावलम्बनशील जीवन मार्ग पर चलेंगे।" इत्यादि इत्यादि। इसी प्रकार मुख्य मंत्री जी ने इस क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट को रिपील करते हुये जो संदेश दिया था वह इस प्रकार है—

"जरायम पेशा कानून का आज अन्त हो रहा है। यह हम सब के लिये बड़े हर्ष की बात है। किसी भी मनुष्य को उसके जन्म से ही कलंकित कर देना अनुचित और नीति विरुद्ध है।" इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से माननीय राज्यपाल ने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसको आजाद करने के लिये जो संदेश दिया है उसका पालन होना चाहिये और जिस कानून को रिपील करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने यह कार्य किया था मेरी समझ में नहीं आता कि इन्सान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं और स्वतंत्र रहने का जो अधिकार है उसको क्यों नहीं उनको दिया जाय। इस कानून के जोकि आज हैं पास होने से वह इस तरह से जुर्मों में आते हैं कि उनको सजायें दी जायं। तो जिनकी आजादी के लिये घोषणा की गई थी मैं नहीं समझता कि उनके ऊपर इस तरह से कानून लागू करना मुनासिब होगा। जो लोग

[श्री जयपाल सिंह]

डकैती करते हैं या कत्ल करते हैं उनके लिये तो यह कानून होना चाहिये लेकिन ऐसे लोगों के लिये भी जिनको अब तक पुलिस झूठमूठ फांस दिया करती थी उनको भी ले आना उचित नहीं है और उस डिक्लेयेरेशन के खिलाफ है जो राज्यपाल महोदय ने उनको स्वतंत्र करते समय किया था। अगर जनता की तरफ से यह मांग होती कि क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट के रिपील होने के बाद डकैतियां या कत्ल बढ़ गये हैं और उनमें इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है तो मैं समझ सकता था कि यह मुनासिब है कि उनके लिये कानून लागू किया जाय। लेकिन मैं नहीं समझता कि जिन लोगों को गुलाम बनाने के लिये सन् १८७१ में अंग्रेजी सरकार द्वारा कानून बनाया गया था व्यक्तियों की आजादी को दफनाने के लिये, उनकी आजादी की भावना को कुचलने के लिये, उनको जरायमपेशा जातियां करार देने के लिये जो कानून बनाया गया था उन्हीं कानूनों को किसी न किसी प्रकार से कायम रहने देना किस तरह से मुनासिब है और मैं यह समझता हूं कि वह संविधान के खिलाफ भी है। तो मैं समझता हूं कि उनको इस कानून से बरी कर दिया जाय। वह जब एक रिसेटिलमेंट में रहते हैं और कोई अपराध नहीं करते तो उनको इस कानून से जरूरी बरी होना चाहिये और मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं उनको बरी कर दिया जाता।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी, यह निवेदन करूंगा कि अगर वह सब नहीं निकाल सकते तो इसमें यह स्पष्ट कर दें कि भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट को रिपील करते समय जिन लोगों को आजाद करने के लिए ऐलान किया है उनको इस ऐक्ट के अनुसार मुजरिम नहीं करार दिया जायगा और उनको बरी कर दिया जायगा। मैं निवेदन करूंगा कि इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए कि इस कानून को बनाते समय हम यह ख्याल रखें कि हमने पिछले दिनों किन सामाजिक कमजोरियों और आर्थिक कमजोरियों के कारण जिनको क्रिमिनल ट्राइब्स करार दिया था उनके लिए इस तरह से जबतक कोई प्राविजन नहीं होगा जैसा कि हमारे संविधान में दिया हुआ है। संविधान का आर्टिकल ३८ यह है—

"The state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life."

[राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्य साधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा।]

तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसके अनुसार सोशल जस्टिस हमारे यहां मेनटेन होता है, हमने कौन से ऐसे तरीके अख्तियार किये हैं जिनसे सोशल और इकोनामिक जस्टिस उस जनता के साथ कर? जो १८७१ से इस क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट के अधीन गुलाम और पददलित बना दिये गये थे कुचल दिये गये थे, उनके लिये जब तक संविधान के आर्टिकल ३८ के अनुसार सोशल और इकोनामिक जस्टिस न कर दें तब तक उनको बराबर गुलाम बनाये रखना और आजादी का सांस न लेने देना यह नामुनासिब बात है और उनको इस तरह से क्यों न बरी किया जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो संशोधन माननीय नारायण दास पासी ने रखा है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मुझे दुख तो इस बात का है कि माननीय सदस्य ने इस संशोधन को सेलेक्ट कमेटी में जब कुछ.....

अध्यक्ष—सेलेक्ट कमेटी के अन्दर क्या बात हुई उसके बारे में जिक्र नहीं आ सकता।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा कम से कम सेकेक्ट कमेटी के मेम्बरान से कहते कि इस पर जोर दिया जाय । मुझे आशा थी कि वह वहां कुछ तब्दील हो जाता । लेकिन आज सदन के सामने जब मैं देखता हूं और भी बहुत से संशोधन इसमें आने वाले हैं। मैंने सोचा कि इस पर अपना विचार पहले ही प्रगट कर दूं और अगर वह उससे सहमत हों तो अपने संशोधन को वापस ले लें और सदन का समय बच जाय क्योंकि मैंने हिसाब लगाया है कि सिर्फ मेम्बरों के भत्ते से १५ रु० प्रतिमिनट का खर्चा है। इस तरह से जो समय नष्ट होगा वह बच जायगा। इसलिए इस पर मुझे कुछ रोशनी डालनी है। मुझे दुख इस बात का है कि विधान बने हुए तीन साल हो गये। हमारे माननीय सदस्य जो आज उनके काज को प्लीड कर रहे हैं अगर उन लोगों के बीच में बताया होता कि विधान ऐसा बन गया है। अब आपको अधिकार मिलने वाले हैं। तो आप लोग इन कामों को न करें तो शायद उन पर कुछ असर पड़ता और तीन साल पहले से इन जुल्मों को न करते। जो कानून आज बनाया जा रहा है उसके खंड ४ के (ख) (२) की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उसमें कहा गया है "कि उसे दिये गये कारावास के अन्तिम दंड की अवधि की समाप्ति के दिनांक और नोटिस के दिनांक के बीच तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है।" यानी ३ साल तो उनको मिल जायगे। यदि कभी कानून लागू करने पर एक नोटिस किसी व्यक्ति को दिया जाता है और अगर वह यह साबित कर दें कि ३ साल पहले तक उसने कोई जुर्म नहीं किया तो उसके पहले जो कुछ भी किया हो उसका नतीजा यह होगा कि वह छूट सकता है और उसके ऊपर यह कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तो जब यह तीन साल मिल चुके, सन् ४९ से जब से विधान की बात की जा रही है, मैं नहीं समझता कि अब और कितना समय वह चाहते हैं। क्या वह यह चाहते हैं कि अब तो दशहरे की छुट्टियां हैं थोड़े दिन अपर हाउस में जायगा और फिर गवर्नर महोदय की स्वीकृति के लिये जायगा तो इस बीच में वह कुछ और चोरियां वगैरह करवा लेंगे क्या ? अगर यह उनका मंशा हो तो उसके लिये मैं क्या कह सकता हूं। सवाल है कि जिसने भी जुर्म किया है, किसी जाति विशेष का सवाल ही नहीं है। इसका मुझे अफसोस है कि इसमें जातीयता की बू दिखाई दे रही है। अब तो सवाल सबके लिये लागू है चाहे वह हरिजन हो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी ट्राइब का हो हमारे प्रान्त का रहने वाला, जिसने ३ दफा जुर्म किया हो और बराबर जिसकी आदत पड़ गयी हो जुर्म करने की ऐसे लोगों के लिये कानून लागू है। मैं समझता हूं कि जब कानून में ३ साल की मोहलत दे दी गयी है तो अब इसके लिये यह कहना कि इसके "पूर्व" शब्द को निकाल दिया जाय यह वाजिब न होगा। अगर ऐसा कर दिया गया तो फिर तीन साल तक इस कानून को लागू करना पड़ेगा लागू होने के लिये, क्योंकि वह कह सकते हैं कि ३ साल तो हुए नहीं।

तो यह जो संशोधन हमारे माननीय सदस्य ने रखा है मैं उसका विरोध करता हूं और माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको वापस ले लें ताकि सदन का समय नष्ट न हो।

श्री श्याम लाल (जिला गोंडा)--माननीय अध्यक्ष जी, आज यह संशोधन जो आपके सामने है उसका मतलब सिर्फ यह है कि पिछले किये हुये कारनामे को फिर न दोहराया जाय। जो लोग कि पहले सजा पा चुके हैं ऐसे अपराध कर चुके हैं उनको फिर इसमें न लिया जाय, क्योंकि वह अपराध हो गया और उसकी सजा भी वह पा चुका और सेटिलमेंट में वह बंद भी रहा और ३१ अगस्त को वह छोड़ भी दिया गया तो उसके बाद फिर यह कानून लगायें कि जो पहले क्राइम हो गया है उसमें फिर वह जायें। यानी इस धारा से यह साबित होता है कि पुराने जो लोग जुर्म कर चुके हैं वह फिर छूटें नहीं बल्कि उन्हीं कटघरों में बन्द रहें। इसका मतलब यही साफ साफ है। ऐसा तो कोई कानून नहीं कहता कि जब एक दफा लोग जुर्म कर चुके और उनको उनकी सजा भी दी जा चुकी और फिर वह छोड़ दिये गये हैं तो आपके कानून से फिर आप कैसे मुकद्दमा चलायेंगे। मैं पूछता हूं अपने वित्त मंत्री

[श्री राम लाल]

से कि क्या यह लाजिम है कि जिन लोगों ने डाका और चोरी की और बाद में छूट गये तो क्या फिर उनके ऊपर कत्ल या डाके का मुकद्दमा चलाया गया। तो यह तो असंगत सी बात है। इसके साफ साफ मानी यह हैं कि जो लोग क्राइम करते थे जो सेटिलमेंट में बन्द थे फिर उनको लौट करके सेटिलमेंट में बन्द कर दिया जाय। तो मेरी प्रार्थना है कि इस संशोधन से मतलब यह है कि जो पहले जुर्म कर चुके हैं उनको इसमें न फांसा जाय और अब जो जुर्म करें उनको बराबर जेल दीजिये, सेटिलमेंट में भेजिये। क्योंकि वह तो साफ जाहिर हो चुका। और अगर मान लें कि ३ दफा जुर्म उन्होंने किया गवर्नमेन्ट के पास कानून होते हुए भी गवर्नमेन्ट सजा नहीं दे सकती तो गवर्नमेन्ट की कमजोरी थी और मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने ऐसे क्राइम किये हैं गवर्नमेन्ट ने उनको सजाएं दी हैं उनको सेटिलमेंट में रखा है और आजादी के नाम पर उनको छोड़ा गया और फिर दूसरी तरफ से उनको जेल में ठूंसने की बंदिश है।

अगर यह सही है तो आप की जो मंशा हो उसको करिये, लेकिन जब उनको आप छोड़ चुके हैं, उनमें विद्या का अच्छी तरह से प्रचार कीजिये और कोशिश यह कीजिये कि वे आगे क्राइम न कर सकें। इसलिये अगर कोई कानून आप बनायें तो सब बातों पर विचार करके बनायें, लेकिन उन्हें फिर जेल में ठूंसना ठीक नहीं है। मैं इस विषय पर और ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि अगर ज्यादा बोलूंगा तो अध्यक्ष जी रोकेंगे कि यह इस विषय से आगे चले गये। लिहाजा अगर कोई दूसरा संशोधन होगा तो उस पर बोलूंगा।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन के सामने अपने मित्र द्वारा पेश किये हुये संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस बिल में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके सम्बन्ध में अगर कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकल जाय जो डिसकशन के बाहर हो तो उसके लिये क्षमा चाहूंगा। जहां तक इस पूरे बिल की मंशा का सम्बन्ध है यह मेरी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। कुछ लोगों ने कहा कि यह हैबिचुअल आफैंडर ऐक्ट, क्रिमिनल ट्राइब ऐक्ट का रिप्लेसमेंट है। हो सकता है लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि इस बिल के लाने से एक बहुत बड़ा पालन संविधान का किया गया है। उसकी धारा १५ में यह दिया हुआ है कि जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर कोई भेद नहीं किया जायगा, उसका पालन इसमें हो रहा है।

दूसरी बात यह है कि इसके पहले वाला जो बिल था वह बहुत ही नीचे ले जाने और अप्रगतिशील था। उसको हटाकर यह बिल आया है इसलिये यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है।

अब रहा इस संशोधन का सवाल। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां हम यह मानते हैं कि सब को स्टेट समान अवसर देगी उन्नति करने का, हर एक लाने से सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक और सभी तरह से वहां इसके पहले जो इसका दुश्मन ऐक्ट था, जिसको हम क्रिमिनल ट्राइब ऐक्ट कहा करते थे, उसकी सब चीजों को इस बिल में रिपीट कर देना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। हम पूरी आशा करते हैं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे। उपाध्याय जी ने जो कहा उस पर हमें ताज्जुब हुआ कि उनका चैलेंज यह है कि हमारी पार्टी बड़ी प्रगतिशील है, लेकिन उनकी जो बात हुई वह ऐसी डिक्टेटरशिप की मालूम होती है जैसे कि अंग्रेज के जमाने में थी। उन क्रिमिनल ट्राइब्स को पाबन्द करने की जिम्मेदारी अंग्रेजों पर थी। अंग्रेजों ने कुछ अपने गुमाश्ते रखे थे जो यह किया करते थे कि जो उनकी शान के खिलाफ सिर उठाता था, जिसमें ज्यादातर हरिजन और गरीब कौमों के लोग हुआ करते थे और जिनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं था, उनके विरुद्ध चार छः झूठी-सच्ची शहादतें दिला करके उनको सजा दिला दिया करते थे।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य माइक्रोफोन का सदुपयोग करें तो अच्छा है।

श्री रामेश्वर प्रसाद--श्रीमान् जी, बहुत कम इसका अभ्यस्त हूं, इसलिये क्षमा चाहता हूं। श्रीमान् जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसा उपाध्याय जी ने कहा कि इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है, मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी नीति के लोग अंग्रेजों के जमाने में थे, जिन्होंने नाजायज सजा दिला करके गरीबों को सेटिलमेंट में पाबन्द कराया था। अब आप का यह चैलेंज है कि हम प्रगितशील हैं और कांग्रेस के आगे जाना चाहते हैं, तो आपको दूसरी बात कहनी चाहिये थी, लेकिन आप डिक्टेटरशिप की बात कह रहे हैं उपाध्याय जी इस पर सोचें और विचार करें। उन्होंने एक बात और गलत कह दी कि संविधान को लागू हुए तीन वर्ष हो गये। कैसे तीन वर्ष हो गये? मेरा जहाँ तक ख्याल है २६ जनवरी, सन् १९५० ई० को संविधान लागू हुआ था। तो तीन वर्ष कैसे पूरे हो गए? अगर तीन वर्ष पूरे हो गये होते तो यह सरकार बेवकूफ नहीं थी कि जो सेटिलमेंट में लोग रह रहे हैं उनको छोड़ देती। उनको रखा इसलिये कि तीन वर्ष अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो मैं गवर्नमेंट से यही चाहता हूं और हाथ जोड़ कर अपील करता हूं कि उनके साथ सहानुभूति करें और इस संशोधन को मान लें। जिन्होंने किया उन्होंने भुगता। बहुत से काम हो गये होंगे, बड़े-बड़े अपराध हो गये होंगे जिनके लिये उनको सजा मिल चुकी। हम लोग जब आजाद हुए थे उस दिन भी यह इनाम दिया गया था कि वे जेल से छोड़ दिये गये थे। तो उन थोड़े से आदमियों को जो अर्से से सेटिलमेंट में रखे गये एक नयी जिन्दगी बिताने के लिये एक दफा अवश्य अवसर दिया जाय। हमें विश्वास है कि हमारी सरकार जो एक बहुत ही प्रगतिशील सरकार है हमारी प्रार्थना को अवश्य ही स्वीकार करेगी। माननीय हाफिज जी हमसे बुजुर्ग हैं लेकिन वह शायद उतनी गहराई तक उस विषय में नहीं जा सके जितनी गहराई तक हम गये हैं। मैं तो उसी क्लास का हूं जिसको क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाया करता था। तो मुझे तो इस विधेयक को देखकर बड़ा हर्ष हुआ लेकिन साथ ही साथ इतनी सहानुभूति की और मांग करता हूं कि इस संशोधन में जो दो शब्द हैं और मान लिये जायं तो उस क्लास का बड़ा हित होगा और समाज में उन बेचारों को अपना जीवन सुधारने का एक मौका मिल सकेगा और जैसा कि आपका डिक्लेरेशन है समान अधिकार देने का, उसके अनुसार वे अपने जीवन को आगे चलायेंगे। फिर भी अगर कोई गलत काम करता है तो विधान का कोड़ा रखा है और हमारी पुलिस कहीं चली नहीं गयी है। अगर आप समझते हैं कि कोई आदमी छूट जायगा और क्राइम करेगा, मैं मानता हूं कि क्राइम रोकना जरूरी है, तो उसके लिये पुलिस है वह उसको फिर बन्द कर देगी और इस तरह का कार्य अगर वे करेंगे तो यह ऐक्ट उन पर लागू हो जायगा। इसलिये मैं फिर इस सदन से निवेदन करता हूं, जिसका डिक्लेरेशन है कि यह भारतवर्ष के सब सदनों से प्रगतिशील है और समान अधिकार देने वाला है तो उनको उस ऐक्ट से जो पुराना था बाहर कर दे और जिस दिन से यह कानून लागू हो उसी दिन से यह अमल में लाया जाय। बस, माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, भीख भी मांग ली और सब कुछ कह दिया, इससे ज्यादा मैं कर ही क्या सकता हूं। मानना न मानना इस सदन के ऊपर है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय जो संशोधन प्रस्तुत है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहाँ तक संशोधन रखने वालों का संबंध है और उनके विचारों और भावनाओं का ताल्लुक है वे वाकई ऐसी हैं कि उन पर विचार होना चाहिये। उनकी विचारधारायें और भावनाएं जिनको लेकर यह संशोधन रखा गया है, ऐसी हैं कि उन पर दया आती है और दया आने के कारण ही हमारे जो सेटिलमेंट में रहने वाले भाई थे, उनको ३१ अगस्त को मुक्त किया गया है। जिन भावनाओं को लेकर कुछ लोगों को जन्म के कारण ही अपराध

[श्री महीलाल]

मान लिया जाता था और कुछ सुधार की दृष्टि से उनको अलग बस्ती में रखा जाता था, परन्तु हमारे संशोधक महोदय के विचार के कारण ही सरकार ने आवश्यकता समझी कि किसी व्यक्ति को जन्म से ही अपराधी मान कर उसके सुधार का कार्य नहीं होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, कई संशोधन एक ही प्रकार के हैं और उसमें कुछ इत्तिफाक की बात यह भी है कि विशेषकर संशोधन ऐसे व्यक्तियों की ओर से आये हैं जो अधिकतर उन जातियों से संबंध रखते हैं, जो अपराधशील जातियों में से हैं। अथवा ३१ अगस्त से पहले अपराधशील जातियों में आते थे, लेकिन अब नहीं। वैसे तो मैं भी जाटव यानी चमार हूं। प्रान्त में ३१ अगस्त से पहले अपराधशील जातियों में मैं आता था। जब मैंने फेहरिस्त देखी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि तीन जिलों के चमार भी इसी में आते थे। यह दूर की बात रही और इससे संशोधन का कोई संबंध नहीं है। लेकिन विचारणीय बात यह है कि जो लोग सेटिलमेंट में रहते थे उनको अपराधी समझ कर या अपराध किया था, वे इसलिये नहीं रखे जाते थे बल्कि इसलिये रखे जाते थे कि वह आइन्दा कोई अपराध न करें। मेरा विचार यह है और मैं समझता हूं कि सदन के बहुत से माननीय सदस्य भी सहमत होंगे कि उन लोगों को इसलिये रखा जाता था कि वह जरायम न करें, इसलिये नहीं कि वह अपराध किये हुए होते थे।

अब जो ऐक्ट बनाया जा रहा है इसमें और हमारे उस ऐक्ट में जो कि हमारे प्रान्त में कुछ विशेष जातियों के ऊपर लागू था, अन्तर यह है कि उसमें तमाम वह लोग जो उन जातियों से संबंध रखते थे, जिनको शुरू से ही यह समझ कर कि वह आगे अपराध न करें, बन्दी बना लिये जाते थे। अब जो ऐक्ट बनाया जा रहा है वह यह है कि समाज में जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार अपराध करता है और जो किसी अपराध में दंडित हो चुके हैं उनके सुधार के लिये यह ऐक्ट बनाया जा रहा है माननीय सदस्य जिन्होंने यह संशोधन रखे हैं, मैं समझता हूं कि उन्हें एक भ्रम है, यह एक धोखा है कि यह ऐक्ट केवल उन्हीं लोगों के लिये बनाया जा रहा है, जिनको ३१ अगस्त से मुक्त किया गया है।

यह ऐक्ट उनके लिये नहीं बनाया जा रहा है बल्कि उन तमाम लोगों पर लागू होगा, जिन्होंने समाज में अपराध किया है, जो समाज में तीन बार दंडित किये जा चुके हैं। इसमें किसी जाति विशेष का कोई संबंध नहीं है। इसमें उन लोगों का संबंध नहीं है जो अब तक सुधार के लिये सेटिलमेंट में रखे जाते थे, अपराध करने वालों में ब्राह्मण भी आ सकता है, क्षत्रिय भी आ सकता है, वैश्य भी आ सकता है और हरिजन भी आते हैं। यदि हमारे संशोधन रखने वाले सदस्य यह कहें कि यह ऐक्ट केवल हरिजन समाज के लिये ही बनाया जा रहा है तब तो मैं उनसे पहले इस ऐक्ट का विरोध करने वाला होता। इसलिये कि हरिजन समाज के लिये जो सहानुभूति और हमदर्दी उनको है, संभव है ज्यादा नहीं तो उससे कम मुझे भी नहीं है। मैं भी उन लोगों से कम हमदर्दी नहीं रखता हूं जो कि ३१ अगस्त से पहले सेटिलमेंट में रहते थे। अब विचारने की बात यह होती है कि यह ऐक्ट जो कुछ दिन बाद सरकार की ओर से प्रचलित होगा उसमें हमारे वे भाई जो अब तक सेटिलमेंट में रहते थे वे सब इसमें आ जायेंगे या केवल वही आयेंगे जो अपराधी रहे हैं, जो अपराध करते हैं और निगरानी में रहते हुए भी तीन बार दंडित हो चुके हैं केवल वही आयेंगे या सभी आ जायेंगे। यदि यह मान लिया जाय कि सभी इसमें आ जायेंगे तो मैं समझता हूं कि यह मेरे भाई को धोखा है। वे भाई नहीं आयेंगे जो अब तक सेटिलमेंट में रहे हैं केवल वही आयेंगे जो सूची के अनुसार अपराधों में तीन बार दंडित हो चुके हैं। इसलिये हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये, न दुख ही होना चाहिये कि वे लोग जो दंडित हो चुके हैं, और जिनको यह मान लिया गया है, कि उन्होंने समाज के प्रति कुछ बुराइयाँ की हैं,

समाज को दूषित करने की कार्यवाहियाँ की हैं यदि उनके सुधार के लिये इस तरह का ऐक्ट लाया जाय तो कुछ बुराई की बात नहीं है, बल्कि मैं तो समझता हूं कि इसमें हरिजनों का भी हित है, दूसरों का भी हित है क्योंकि हमारे पूरे समाज के सुधारने की व्यवस्था की जा रही है। जहाँ तक चोर, बदमाश, डकैत या कातिल का संबंध है ऐसे लोगों का संबंध किसी जाति य। किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता, उनका तो अपना एक अलग सम्प्रदाय होता है, एक अलग वर्ग होता है, एक अलग जाति होती है और मेरे भाइयों को इसका अनुभव शायद न होगा तो कम से कम सुनी हुई बातों का अनुभव होगा और मेरा तो अपना अनुभव है कि एक जाति के डाकू ने उसी जाति के दूसरे लोगों के यहाँ डकैती डाली है, कातिल ने अपने सगे भाइयों या अपने ही दूसरे भाइयों को कत्ल किया है। तो यह प्रश्न नहीं उठता कि किसी जाति विशेष के साथ रिआयत की जाय या जाति विशेष के व्यक्ति को मौका दिया जाय। यहाँ तो एक अलग बात है जो जाति अपराधशील जाति है वह अपराधशील जाति नहीं जो ३१ अगस्त से पहले अपराधशील जाति मानी जाती थी बल्कि यह तो सभी जातियों से निकल कर एक अलग जाति बन जाती है, कातिलों, गुंडों, बदमाशों की और हम उस जाति को एक प्रकार से दंडित करने के लिये नहीं बल्कि उनके सुधार के लिये एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं जिससे उन लोगों से पूरे समाज की रक्षा हो सके। आज हम अपनी सरकार पर जो आरोप लगाते हैं, कि इस सरकार के समय में अपराध बढ़ गए हैं, कत्ल, चोरी, डकैती इत्यादि का प्रबन्ध हमारी सरकार नहीं कर सकी है तो एक ओर जहाँ हम सरकार का यह कर्तव्य समझते हैं कि उसे इन बुराइयों को रोकने की कोशिश करनी चाहिये, दूसरी ओर हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम जिम्मेदार लोग हैं और हमें सरकार को उसके हाथ मजबूत करने के लिये अधिकार देने चाहिये और अधिकार देने के बाद सरकार से यह मांग करें कि अब क्या कारण है कि जिससे कि अपराधों में कमी नहीं हुई। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे जो संशोधन रखने वाले भाई हैं वे इस चीज पर पुनः विचार करें और विचार करने के बाद मैं समझता हूं कि वह भी इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह आवश्यक है और अति आवश्यक है कि जिन लोगों ने इस ऐक्ट के जारी होने से पहले किसी अदालत से एक बार नहीं बल्कि तीन बार दंड पाया है। उनके ऊपर यह प्रतिबन्ध लगाया जाय। हो सकता है कि कुछ निर्दोष व्यक्तियों को भी सजायें मिल गयी हों पुलिस के जरिये गलत फंसाने पर, सरमायादारों के जरिये दबाने पर या जमींदारों के जरिये षड़यंत्र रचने पर या इसे भी मान लिया जाय कि हरिजन होने के कारण किसी जाति अभिमानी व्यक्ति के जरिये किये जाने वाले अत्याचारों के कारण वे लोग किसी कोर्ट में सजा तीन बार पा चुके हों, लेकिन यह मान लेना कि जितने व्यक्तियों ने सजा पाई है वह सभी निर्दोष थे, उनको छोड़ देना चाहिये, मैं समझता हूं कि यह सरकार के साथ ही नहीं बल्कि पूरे समाज के साथ अन्याय होगा। यदि हम एक तरफ समाज को रखें और दूसरों तरफ अपने विचारों को रखें कि जिनसे हम अपने उन भाइयों की रक्षा चाहते हैं जो तीन बार दंडित हो चुके हैं तो मैं यह समझता हूं कि मेरे भाई भी इस प्रकार मेरी तरह इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि समाज की बात को रखना प्रधान है और समाज की रक्षा करना प्रधान है उन व्यक्तियों की अपेक्षा जिनके लिये यह कानून बनाने जा रहे हैं। मेरे भाई इस बात पर गौर करेंगे और विचार करने के पश्चात अपने हृदय से इस भय को निकाल देंगे। कि यह ऐक्ट हमारे उन तमाम भाइयों के लिये बनने नहीं जा रहा है कि जो ३१ अगस्त को बन्दी थे। यह ऐक्ट उनके लिये ही नहीं बल्कि सब के लिये है चाहे वह किसी जाति के हों जो अदालत से सजा पा चुके हैं उनके सुधार के लिये यह ऐक्ट बनने जा रहा है। इसलिये हम चाहते हैं कि समाज में शान्ति के लिये सरकार के पास जो भी साधन हो सकते हैं उनको हम सरकार के हाथ में दें जिससे वह समाज की रक्षा कर सके। इस कारण हमारे लिये

[श्री महीलाल]

यह आवश्यक होगा कि इन संशोधनों को पेश करने वाले माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापस ले लें और अपने समाज के उन दुश्मनों के लिये जिन्होंने समाज के अन्दर अभी तक खलबली मचा रखी है और जिनकी वजह से लोग देहात से शहरों को भाग रहे हैं। उनसे रक्षा करने के लिये इस ऐक्ट को पास करें। एक ओर हमारा पूरा समाज है जिसकी यह दशा है। और दूसरी ओर, ऐक्ट में इस प्रकार संशोधन लाना कि जो लगभग ३ बार दंड पा चुके हैं उनको छोड़ दिया जाय और इस ऐक्ट के लागू होने के बाद जिन्होंने दंड पाया हो उनके लिये इसको लागू किया जाय, उचित नहीं मालूम होता है। मैं समझता हूं कि मैंने जो अभी तक अपने विचार प्रकट किये हैं उनसे मेरे भाइयों का भ्रम दूर हो गया होगा कि यह ऐक्ट केवल हरिजन भाइयों पर लागू नहीं होने जा रहा है या केवल उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होने जा रहा है जो अभी तक सेटिलमेंट में रहते थे और जिनको बन्दी बनाया गया था . . .

अध्यक्ष---आप अपने शब्दों को दोहरा रहे हैं।

श्री महीलाल---मैं अपने भाइयों से यह निवेदन करूंगा कि यह ऐक्ट उन लोगों के लिये बनने जा रहा है कि जो सेटिलमेंट के बाहर भी रहते हैं और तीन बार दंड पा चुके हैं और सेटिलमेंट के उन लोगों पर भी लागू होने जा रहा है जो सेटिलमेंट में निगरानी में रहते हुए तीन बार सजा पा चुके हैं। तो वे लोग, जो निगरानी में रहे और जिन्होंने रात दिन निगरानी में रहकर भी दंड का काम किया और तीन बार दंड पाया तो उन पर तो यह और भी लागू होना चाहिये और वह बन्दी होने चाहिये। इसके अतिरिक्त वे लोग जो निगरानी में नहीं रहे और उन्होंने तीन बार जुर्म किया तो उनको भी इसके अन्दर लाया गया है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जो निगरानी में रहे और उन्होंने जुर्म किया तो वह और भी दंड पाने के भागी हैं उनके लिये और भी सख्त कानून बनना चाहिये बजाय इसके कि उनको छोड़ा जाय।

जहां तक हरिजनों की सहानुभूति का प्रश्न है मैं यह उनसे कहूंगा कि वह यह न समझें कि वही उनके प्रतिनिधि हैं और उनको ही सहानुभूति है और उनका ही कर्त्तव्य है कि वह हरिजनों के हित के लिये सोचें। बल्कि दूसरों का भी कर्त्तव्य है कि हरिजनों की भलाई का ध्यान रखें। मैं संशोधन रखने वालों से यह निवेदन करूंगा कि यदि आप सच्चे माने में उनके हितैषी हैं तो उनके सुधार के लिये कड़े से कड़ा कानून बनाने का प्रयत्न करें जिससे वह उनके सुधार में सहायक हो सके। आप समाज के अन्दर इस प्रकार के वातावरण को उत्पन्न करें कि जिससे हमारा समाज कलंकित न हो। ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिये जिससे आज समाज की शान्ति खत्म होने जा रही हो। मैं समझता हूं यहां पर किसी को भी हरिजनों से सहानुभूति कम नहीं है। यदि किसी को दंड दिया जाय तो उसको अपराध करने की वृत्ति रोकने के लिये ही दिया जायेगा इसलिये नहीं कि वह कोई दुश्मन है। उसका सुधार करने के लिये उसको दंड दिया जाता है। मां अगर अपने बच्चे को मारती है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि वह उसकी दुश्मन है। हम देखते हैं कि मायें अपने बच्चे को बांध कर डाल देती हैं और उनको डांट देती हैं और इसी तरह की अन्य सजाएं देती हैं। तो क्या इससे यह समझा जाय कि वह उनका बुरा चाहती है? इसके मानी बच्चों से कोई दुश्मनी तो नहीं है बल्कि उनका मकसद यह होता है कि बच्चे का सुधार हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां इस विधेयक के विरोध का प्रश्न नहीं उठता लेकिन जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा कि अब जाति प्रथा उठ गयी है और उसका सवाल नहीं रह गया है, मैं इसको मानने

को तैयार नहीं हूं। मेरा इस बात से मतभेद है कि जातिभेद को मिटाने और हरिजनों को ऊपर उठाने की आवश्यकता नहीं रही है। मैं उपाध्याय जी की इस बात का विरोध करता हूं कि हरिजनों के साथ अब रियायत और सहानुभूति की आवश्यकता नहीं रह गयी है और उनको ऊपर उठाने के लिये कानून बनाने की जरूरत नहीं है। समाजवादी होने के नाते यदि वह यह कहते कि हरिजनों के साथ सहानुभूति रखना और उनको आर्थिक सहायता देना जरूरी है तो मैं उनका कृतज्ञ होता लेकिन उन्होंने कहा कि आज जातिभेद और समाज में ऊंचनीच का प्रश्न नहीं रह गया है, यह बात ठीक नहीं है। समाजवादी वह अपने को कहते हैं उनके मुख से ऐसी बात शोभा नहीं देती कि इस तरह से वह सच्चाई पर पर्दा डालें। आज वह ऐसी जिम्मेदार जगह पर रह कर ऐसी बात कहते हैं कि जहां वह सवा ६ करोड़ व्यक्तियों की तकदीर को बनाते हैं वहां बैठकर जिम्मेदारी की बात कहनी चाहिये।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य संशोधन से हटते जा रहे हैं। मैं उनको अब इजाजत नहीं देता, वह बैठ जायं।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो संशोधन श्री नारायण दास जी ने पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये हम खड़े हुए हैं। इस संशोधन के पीछे हिन्दुस्तान में उन लखूखा आदमियों का जिन्होंने सन् १८५७ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, उनका इतिहास छिपा हुआ था। यह वह सन् ५७ के बुजुर्ग थे कि जिन्होंने अंग्रेजों के निकालने की कोशिश की थी। आज यह तो सब जानते हैं कि वह लोग तरह तरह के चोर डाकू लुटेरे के नाम से मशहूर हैं लेकिन वह कौन लोग थे इसका पूर्व इतिहास क्या है यह कोई नहीं जानता; वह चीज मैं आज हाउस के सामने रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष--इसका उस इतिहास से संबंध नहीं है। जो संशोधन सामने है वह उसी पर बोलें और उसका संबंध भी तो बतलावें कि इससे क्या है।

श्री गंगा प्रसाद--मेरा कहना यह है कि जो आज चोर डाकू हैं वह पहले चोर डाकू नहीं थे बल्कि अंग्रेजी हुकूमत ने सन् १८५७ के बाद सन् १८७१ में कानून बनाया जिसमें ... . ।

अध्यक्ष--आप फिर संशोधन से अलग जा रहे हैं। इसमें हबूड़े आदि जाति का जिक्र नहीं है और उनका इस बिल से कोई संबंध नहीं है। मैं इसको इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गंगा प्रसाद--आज यह कहा जा रहा है कि यह चीज पूर्व की नहीं है मेरा मतलब यह है कि किसी ने दस साल की उम्र में एक जुर्म किया और फिर १५ साल की उम्र में कोई गुनाह किया और उसके बाद २५ साल की उम्र में फिर तीसरी बार कोई गलती कर ली तो २५ साल की उम्र में हो वह अपनी नौजवानी की उमंग में यह सब कर चुकता है तो वह इसमें आ जाता है और कहीं भी उसके लिये छूट नहीं है। इस ऐक्ट का मतलब तो यह निकला कि इसके अन्दर जो कोई आदमी किसी किस्म का जुर्म करता है वह आ जाता है। जिस जाति का जीवन पुलिस के कटघरे में ८२ साल तक बीता हो और जिनको आजादी की सांस नहीं दी गयी अब उनके लिये कहा जाता है कि यह कोई जाति नहीं है। हमारे समाजवादी दल के भाई मदनमोहन सिंह जी उपाध्याय ने कहा कि अब वह कोई जाति नहीं है। मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं। बम्बई में एक मारवाड़ी का लड़का ३ मर्तबा सजा पा चुका था। जब वह अदालत में पेश किया गया तो उससे कहा गया कि शोलापुर के सेटिलमेंट में जाओ तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि मारवाड़ी समाज में एक खलबली मच गयी और वहां वह नहीं भेजा गया। राजस्थान और पंजाब में

[श्री गंगा प्रसाद]

भी यह ऐक्ट बना लेकिन लागू नहीं किया गया। आज यही यहां क्रिमिनल जातियों के लिये बनाया जा रहा है"। यदि यह हमारे समाज के लिये एकसा लागू हो तो हम इसका स्वागत करते हैं। यदि यह कर दिया जाय कि १ दिसम्बर, सन् १९५२ से यह उन जातियों पर लागू नहीं होगा जो पहले सजा पाये हुए हैं तो हम इसका स्वागत करते हैं। आज जो माननीय उपाध्याय जी ने कहा मुझे तो उसे सुनकर ताज्जुब हुआ कि यह समाजवादी पार्टी है या तीतरबटेर की पार्टी है। आज समाजवादियों का हरिजनों के साथ क्या बरताव है? अगर कोई दूसरा बिल होता तो समाजवादी उसका विरोध करते लेकिन आज यहां १६ लाख आदमियों के जीवन-मरण का सवाल है वहां उनकी एक आवाज भी नहीं निकली। पता नहीं भगवान ने उन्हें किस तरह की बुद्धि दी है। खैर, अगर वे मार्क्सवादी हों और उनके उसूलों को मानते हों तो ठीक है। आज २४ दिन उनको स्वतंत्र हुए हैं। आज इस बिल के जरिये हमें फिर उसी जगह भेजा जा रहा है जहां वे पहले रहते थे। अगर सरकार की ओर से कोई ऐसा बिल आता है कि जो १६ लाख आदमी निकले हैं उनको जमीन और उद्योग धंधे के लिये पैसा दिया जायगा तो वे अच्छे नागरिक बन सकते थे, जिस तरह से कि और लोगों के लिये किया गया। लेकिन आज उनके जीवन के साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है। मुझे यही निवेदन करना है कि यह "पूर्व" शब्द बड़ा खतरनाक है। यह मानी हुई बात है और ऐसा होगा कि पुलिस इस ऐक्ट के अंदर उन्हीं लोगों को ढूंढ कर लावेगी जो पहले क्रिमिनल ट्राइब्स थे। ब्राह्मण और दूसरी बड़ी जातिवालों के पास वह नहीं जायगा। इसलिये आप इस पूर्व शब्द को हटा लें जिससे उनके जीवन की सुरक्षा हो। अभी भाई महीलाल जी ने समाज की बड़ी सुन्दर रूपरेखा प्रस्तुत की। हम जानते हैं कि वह रेखा क्या बनेगी। लेकिन साथ ही साथ इस जाति को हमें बनाना है। जब कि इंडियन पैनल कोड मौजूद है तो उसके लाने की क्या जरूरत थी। यदि आप चाहते हैं कि इन जातियों का सुधार हो सके, वे अच्छे नागरिक बन सकें तो उनको सरकार को जमीन देनी चाहिये, नौकरियों में जगह देनी चाहिये जिससे वे ऐसे कामों को करना छोड़ दें और इसी तरह से सामाजिक सुधार हो सकता है। चोरियों डकैतियों की संख्या बढ़ाने में पुलिस का बड़ा भारी हाथ है। इसलिये हमें कहना पड़ता है कि पुलिस वाले चोर और डकैत बनाने के लिये प्रयत्न करते हैं नहीं तो उनका खर्च कहां से चले। मेरे पास अपराधी जाति जांच समिति की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है "समिति सिफारिश करती है कि भारत दंड विधान के अध्याय १२ या १७ (ऐक्ट नं० ४५, १८६० ई०) के अन्तर्गत जब कोई अभियुक्त नाकाबिले जमानत जुर्म के अभियोग में तीन बार सजा पा चुका हो या भारतीय दंड विधान संग्रह की धारा ११० के अन्तर्गत जमानत न देने के कारण जेल भेजा जा चुका हो और उसी प्रकार के अपराध में संबंध में चौथी बार लगाये गये अपराध में अपराधी पाये जाने के बाद न्यायालय के समक्ष किया जाय तो अभियोग चलाने वाला इंस्पेक्टर या सरकारी वकील जैसी सूरत हो, अपराधी द्वारा पायी हुई पहली सजाओं में संबंधित सभी तथ्यों को जिले के प्रोबेशन आफिसर से, यदि कोई हो, रिपोर्ट मंगा लेने के पश्चात् न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर सकता है, उसको अभ्यस्त अपराधी नामजद कर सकता है और इसी ऐक्ट के अनुसार उसके साथ व्यवहार कर सकता है।" समिति यह भी सिफारिश करती है कि "सन् १९३५ ई० के पूर्व पाये हुए दंडों का विचार न किया जाय।"

इस भवन की जांच समिति की रिपोर्ट सन् १९४७ की है और उसने यह रिपोर्ट दी थी। लेकिन अभी तक उनकी जीविका का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। जो आदमी आज तक एक बन्दी के रूप में रखा गया है, जिसने अभी तक आजादी की सांस नहीं ली, उसको समाज से दूर रखा गया लेकिन जब वह आज से केवल

२३ दिन पूर्व स्वतंत्र हुआ उसके लिये यह पाबन्दी इस सदन के द्वारा लगाई जा रही है। इस २३ दिन में कितने कत्ल, चोरी और डकैतियां हो गयी हैं कि ऐक्ट के लाने की जरूरत पड़ गयी। सरकार को चाहिये था कि सुन्दर से सुन्दर ऐक्ट बनाती। इस जांच समिति के श्री परिपूर्णानन्द जो अध्यक्ष थे, न मालूम आज वे क्यों मौन बैठे हुए हैं। वे अमेरिका, इंगलैंड, रूस और चीन सब देशों की बात जानते हैं। मुझे उनसे पूर्ण आशा थी कि वे इस पर अपने विचार प्रकट करेंगे लेकिन नहीं मालूम उनके दिल में क्या है। आशा है कि वे इस पर अपनी राय अवश्य देंगे और वही राय देंगे जो उन्होंने भारतीय अपराध निरोधक समिति के अध्यक्ष पद से दी थी। उन्होंने कहा है कि कोई भी मनुष्य अपराधी नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिये कि इस बात पर एक कमेटी बिठाये कि आज अपराध क्यों बढ़ते हैं। अपराधों का सबसे मुख्य कारण संगति और दूसरा कारण है भूख। जब आदमी भूख से बाल-बच्चों से परेशान हो जाता है तो वह अपराध कर बैठता है। कोई नहीं चाहता है कि वह अपराधी बने, चोर, डकैत या गुंडा बने। लेकिन जब वह मजबूर हो जाता है या खराब संगति पा जाता है तो वह ऐसा काम करने लगता है। हमें यह देखना चाहिये कि हम क्या उपाय करें जिससे भारत में फिर कोई अपराध न हो। जैसा कि एक चीन के देश वाले ने हमारे भारत के बारे में कहा था कि भारत में दरवाजे नहीं लगते, खुले रहते हैं। हम गांधी जी का रामराज्य लाने के प्रयत्न में अगर अच्छे ढंग से व्यवस्था करें, पुलिस का सुधार करें, भ्रष्टाचार बन्द करें तो बहुत ही सुन्दर होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तभी वे नागरिक बन सकेंगे, सच्चे देशभक्त बन सकेंगे।

आपने देखा होगा कि वे अपने इलाके में जहां वे रहते हैं, कभी चोरी डकैती नहीं मारते। यही नहीं बल्कि मैं कहता हूं अगर उनके यहां कोई यात्री यहां आकर ठहर जाय और वह लाखों रुपये भी दे दे तो उनका एक पैसा भी वे नहीं छूते हैं। ये वे लोग हैं। आप उनकी ईमानदारी को देखें, उनकी सद्भावना को देखें और उनके अन्दर जाकर जांचें। आर्यसमाज वालों का तो कोई प्रश्न नहीं है। पहले उनके अन्दर प्रचार करने के लिये कुछ ईसाई मिशनरीज गयी थीं जिनका काम उन लोगों को ईसाई बनाना था। लेकिन अब तो हमारे भारत में ईसाई और हिन्दू-मुसलमान का कोई सवाल ही नहीं है, जाति-पांति का कोई सवाल ही नहीं है। जब से हमारा संविधान लागू हुआ है तब से यह चीज खत्म हो गयी है। आज जरूरत तो यह है कि उनके अन्दर मानवता का प्रचार किया जाय।

कल ही मैंने अखबार में देखा कि जरायम पेशा जाति हितकारिणी परिषद् की सदस्या श्रीमती रामेश्वर नेहरू ने कहा है कि इन जरायम पेशा जातियों को सरकारी पंजे से दूर रखा जाय।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य संशोधन की तरफ वापस आ जायं।

श्री गंगा प्रसाद--मैं एक मिसाल दे रहा था। मैं आपसे कहता हूं कि इस तरीके से अगर उनको दूर रखें और उनको सुधार करने का मौका दें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं आपसे कहता हूं कि सेटलमेंट के जो बाशिन्दे हैं उनके लिये तो आपने इस ऐक्ट में यह चीज कर दी लेकिन उनके बच्चों का क्या होगा। जांच समिति की जो रिपोर्ट है उसमें दिया हुआ है कि अगर यह देखा जाय कि वे बदमाश हैं तो उनके बच्चों को उनसे दूर रखा जाय। उनके बच्चों के पढ़ने-लिखने का जहां तक सवाल, ६ वर्ष से १४ वर्ष तक के बच्चों के पढ़ाने-लिखाने का प्रबन्ध होना चाहिये। जांच समिति की जो रिपोर्ट है उसमें यह बात कही गयी है कि यह चीज दूर हो सकती है। "धूर्व या" शब्द को निकालने का इसीलिये हमलोग समर्थन करते हैं और इसीलिये उस पर डटे हुए हैं। जहां तक प्रवर समिति की बात है, आज यहां पर बाबू जी

[श्री गंगा प्रसाद]

नहीं हैं, अगर बाबू जी मौजूद होते तो इसका दूसरा ही रूप होता। आपको इस संशोधन को मान लेना चाहिये जिससे कि इन जातियों की भलाई हो। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री हर दयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दास जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज हमारे प्रदेश के अन्दर ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वरन् समस्त भारतवर्ष के अन्दर अपराधों की संख्या दिन दूनी, रात चौगुनी होती चली जा रही है। प्रतिदिन अखबारों में यह पढ़ने में आता है कि आज फलां जगह डकैती पड़ गयी, अमुक जगह कत्ल हो गया, फलां जगह फलां व्यक्ति को डाकुओं द्वारा उठा ले जाया गया। हमारी सरकार के सामने यह प्रश्न बहुत अहम है कि अपने प्रदेश के अन्दर शांति को स्थापित करने के लिये कोई ऐसा कदम उठावें जिससे हमारे प्रदेश की जनता सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सके। हम यह भलीभांति जानते हैं कि आज हमारे प्रदेश के अन्दर अपराधों की संख्या यहां तक बढ़ गयी है कि वह केवल देहातों तक ही नहीं सीमित रही है वरन् बड़े-बड़े शहरों में भी दिन-रात अपराध हो रहे हैं। ऐसी हालत में यह जरूरी है कि हमारी सरकार उन अपराधों को रोकने के लिये कोई कानून बनावे और उन लोगों को जो अपराध करने में ही व्यस्त रहते हैं उनकी दशा को सुधारने के लिये कोई कानून लावे। इसी लक्ष्य को रख कर हमारी सरकार ने इस विधेयक को बनाया है। हमारे जितने भी माननीय सदस्य इस संशोधन के पक्ष में बोले हैं। उनके भाषणों से प्रतीत होता है कि वह बोलते समय जातीयता की भावनाओं से ओत-प्रोत थे। मेरी समझ में नहीं आता कि हर एक मामले में क्यों जातीयता की भावना पैदा की जाती है। हमारे सामने जो विधेयक प्रस्तुत है उसमें कहीं भी जातीयता की बात नहीं है। उनके भाषणों से यह प्रतीत होता है कि वह यह समझे बैठे हैं कि जो कौमें जरायमपेशा कानून के अन्दर थीं उन्हीं के ऊपर यह विधेयक लागू किया जायगा लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि यह कानून जातीयता पर आधारित नहीं है, इसमें जातीयता का लेशमात्र भी समावेश नहीं है। यह उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होगा जो अपराध करते हैं चाहे वह किसी भी जाति, किसी भी समाज और किसी भी धर्म के मानने वाले हों। माननीय जयपाल सिंह जी ने इस संशोधन के समर्थन में कहा कि सरकार ने एक तरफ तो जरायमपेशा कानून को उठाया था लेकिन उसके तुरन्त ही बाद यह विधेयक लागू कर दिया है और उन लोगों पर जो इस कानून से मुक्त हुए थे फिर मुसीबत डाली जा रही है। उनके भाषण से ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने विधेयक को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है। अगर उन्होंने पढ़ा होता तो उन्हें पता लगा होता कि उनकी भावना गलत है। इस विधेयक की धारा ४-ए में साफ-साफ लिखा हुआ है उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं [धारा ४ (२) के (२) में यह लिखा हुआ है] "उसे दिये गये कारावास के अंतिम दंड की अवधि के समाप्ति के दिनांक और नोटिस के दिनांक के बीच तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है"।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अन्तिम बार अपराधी घोषित हो चुका है उस पर नोटिस देने के तीन वर्ष के बाद तक वह विधेयक लागू न होगा। इसलिये इसमें सवाल तुरन्त ही का पैदा नहीं होता। फिर इस विधेयक के द्वारा अपराधी घोषित हुआ हो और उसको तीन वर्ष का मौका हमारी सरकार ने दिया है। जो दूसरे महाशय श्री रामेश्वर प्रसाद और श्री गंगा

प्रसाद जी ने अपने भाषण में बातें कहीं उनमें मुझे कुछ सार नहीं मालूम होता। वह भी जातीयता की भावनाओं से ओत-प्रोत थे। उनकी सांत्वना के लिये मैं केवल यही बतला देना चाहता हूं कि यह विधेयक किसी जातीयता के आधार पर नहीं है। यह निष्पक्ष है, किसी जाति या लिंगभेद के आधार पर नहीं है। दूसरी चीज जो संशोधन में रखी गयी है "पूर्व" शब्द को निकालने के लिये है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा बतला देना चाहता हूं कि "पूर्व" शब्द ही विधेयक की जान है। इसी के ऊपर वह लक्ष्य निर्भर है जिसकी पूर्ति के लिये हमारी सरकार ने यह विधेयक बनाया है। अगर हम इस पूर्व शब्द को निकाल देते हैं तो पूरे विधेयक की जान निकल जाती है। फिर कोई चीज नहीं रह जाती जिससे इस कानून की आवश्यकता प्रतीत हो। इसलिये "पूर्व" शब्द का रहना बहुत जरूरी है। अगर इसको निकाल देते हैं और "पश्चात्" ही रहने देते हैं तो इसके साफ मतलब यह हैं कि हम उस व्यक्ति को तीन बार फिर अपराध करने का मौका देते हैं। लगभग तीन अपराधों में आठ या नौ साल तक फिर अपराध करता है और अपने अपराधों के द्वारा हमारी जनता को तरह तरह के दुख न हों इसलिये इस "पूर्व" शब्द का रहना नितांत ही आवश्यक है। इसलिये मैं उन माननीय सदस्यों से जिन्होंने इस संशोधन को प्रस्तुत किया है प्रार्थना करूंगा कि वह ठंडे दिल से सोचें और अपने संशोधन को वापस ले लें।

मैं अन्त में उपाध्याय जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने भी इसका विरोध किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने देखा कि हमारे समाजवादी भाई बहुत से उन जरायमपेशा लोगों के पास जाकर कहते थे कि हम तुम्हारा समर्थन करेंगे और पूरे तौर से स्वतंत्रता दिलायेंगे, सरकार को बाध्य करेंगे, वही माननीय सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं। यह देख कर मुझे खुशी हुई। उन्होंने सब बात कही और उन झूठे वादों को जो कि उस समय उन्होंने वोट लेने के लिये किये थे उनको भूल गये और वास्तविकता के ऊपर आकर उन्होंने इस संशोधन का विरोध किया।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती) --माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा पहले सदन के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अभी तालियां बजायी हैं।

इसके बाद मैं निहायत अदब से निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने संशोधन पेश किया, उनको साइकालोजी का ज्ञान नहीं है। उन्होंने ह्यूमन साइकालोजी का एक पेज भी नहीं उलटा है। अगर उन्होंने ह्यूमन साइकालोजी के पेज उलटे होते तो....।

श्री जयपाल सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि आपने साइकालोजी अबतक पढ़ी है या नहीं पढ़ी है?

श्री शिव नारायण--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मैंने साइकालोजी पढ़ी है। मैंने हैबिट्स का चैप्टर पढ़ा है। मैं आपको पढ़ा सकता हूं, दावा के साथ कहता हूं। मैंने नार्मल स्कूल्स के अन्दर वर्षों साइकालोजी पढ़ायी है। ऐसा डाइरेक्ट अटैक आपको नहीं करना चाहिए, कम से कम। इसका आपको ध्यान होना चाहिये, मैंने किसी माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया था।

मैं आपके द्वारा यह बता देना चाहता हूं आपकी इजाजत से कि यहां पर एतराज किया गया है कि हरिजनों के लिये यह है लेकिन मैं उपखंड 'ग' को पढ़े देता हूं। उसमें लिखा है "अभ्यस्त अपराधी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है" तो इसमें ऐसे "व्यक्ति" का जिक्र है, न हरिजन, न चमार, न ब्राह्मण, न कुर्मी, किसी का जिक्र नहीं है। उनको तो गवर्नमेन्ट के इस मेहरबानी का वेलकम करना चाहिये लेकिन उन्होंने हाउस में आकर उसका विरोध किया। गवर्नमेन्ट के ऊपर आज बड़ी जिम्मेदारी है उसे मारेजिदा को मैंटेन करना है। कंट्री के अन्दर

[श्री शिवनारायण]

डिमारेलाइजेशन इतना बढ़ रहा है कि कहीं ब्लैकमार्केटिंग की शिकायत है, कहीं चोरों की शिकायत है और रास्ता चलना दुश्वार है। मैं निहायत अदब के साथ आपके द्वारा बतलाना चाहता हूं कि गोरखपुर के एक स्कूल के बारे में मुझे मालूम है। वहां पर जो विद्यार्थियों की दशा है वह मैं आपको बतलाऊं कि नवीं क्लास तक पढ़ने वाले विद्यार्थी स्कूल से भाग कर चले जाते हैं और जाकर उस काम को करते हैं। कहते हैं कि घंटे दो घंटे की छुट्टी दे दो, हम दो हजार रुपया आपको देते हैं। मैं दूसरी मिसाल देता हूं। मुझे इन्फार्मेशन है कि १२ औरतों ने मिल कर एक रास्ता चलते हुए बच्चे का गला पैसे से दबा कर मार दिया। जब शोर हुआ तो कहा गया कि इस औरत के बच्चा पैदा हुआ है किसी मर्द की जाने की हिम्मत नहीं हुई। यह समाज का कलंक है उसको दूर करने के लिये हमारी सरकार ने बड़ा जोरदार कदम उठाया है। हम यहां रामराज्य का जिक्र करते हैं, रामराज्य के पुजारी हैं। रामराज्य के नेता का चित्र हमारे समक्ष है और हमारे सामने जो रामराज्य का बीज उन्हों ने बोया है हम उसकी पूर्ति करेंगे और हमारी सरकार उसके लिये कटिबद्ध है। जिन्होंने इस बिल का विरोध किया वह उन्होंने अपनी शैली नालिज के कारण किया है, उन्होंने अध्ययन नहीं किया। उनको कामली इस पर सोचना चाहिये। यहां पर चाहे कोई सोशलिस्ट हो या नान-सोशलिस्ट हो सबके कंधों पर एक जिम्मेदारी है और एक ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है। मैं उपाध्याय जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सही कदम उठाया है और एक ही बात को सामने रखा लेकिन मुझे दुख है कि हमारे दोस्त नारायण दत्त जी चुप हैं, इस समय वह गैलरी में चले गये हैं। वह इस समय क्यों चुप हैं इस बात का मुझे अफसोस है। तो अध्यक्ष महोदय, जिन भाइयों ने इसका विरोध किया, उनको समझ में बात नहीं आई, उन्होंने पढ़ा नहीं। सेलेक्ट कमेटी में मेरे साथ बैठने के बाद बापू जी को दुहाई दी गयी। बापू जी यहां होते तो शायद माननीय सदस्य बोलने की हिम्मत नहीं करते। जबकि इस विषय पर ३ दिन बैठकर सब बातों पर बहस की जा चुकी और घंटों रोजाना बहस हुई, मैं समझता था कि वह इसको सपोर्ट करेंगे.....।

श्री जयपाल सिंह--माननीय सदस्य ने यह बात कही है कि उन्होंने पढ़ा नहीं है। राज्यपाल का संदेश....।

श्री शिव नारायण--उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल इल्लेगल बात है कि बगैर प्वाइंट आफ आर्डर रेसा किये हुये कोई माननीय सदस्य बीच में कुछ पूछ बैठे। मैं चेयर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यह धांधली हाउस के अन्दर नहीं होनी चाहिये।

कहा गया है कि उन लोगों के रहने के लिये कोई रहने-सहने का इन्तजाम नहीं है। मैं आपकी आज्ञा से इंगलिश का जो अमेंडमेंट है वह पढ़ देना चाहता हूं -

"With a view to reforming habitual offenders and giving them an opportunity to take up some suitable employment....."

[अभ्यस्त अपराधियों को सुधारने और उन्हें उपयुक्त काम के लिए अवसर देने की दृष्टि से.....]

तो इसमें सुटेबिल इम्प्लायमेंट का प्रबन्ध हमारी गवर्नमेन्ट करेगी और वह इसके लिये जिम्मेदार है कि उनको पढ़ना-लिखना सिखाये और उनको समाज में रहने के काबिल बनाये।

यह सदन हुल्लड़बाजी के लिये नहीं है। यह सदन इसलिये है कि कानून बनाये जायं और कामली बैठ करके हर चीज पर विचार किया जाय। हम आप सवा छै करोड़ आदमियों के रिप्रेजेंटेटिव यहां बैठे हैं। जो बाहर के आदमी गैलरीज में बैठे हैं, वे हमारे आपके कारनामों को देखते हैं और बाहर नाना प्रकार की क्रिटिसिज्म चलता है। कुछ लोग हो-हो करते हैं, कुछ मखौल उड़ाना चाहते हैं। यह बात नहीं होनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि इसमें यह दिया हुआ है कि इम्पार्टिंग वोकेशनल ट्रेनिंग । यह नहीं है कि उनको जन्म भर के लिये बन्द कर दिया जायगा । पहले उनको हमेशा के लिये बन्द कर दिया जाता था, परन्तु अब केवल १२ महीने से तीन साल तक रखा जायगा । माननीय राजा साहब और दूसरे सदस्य बैठे हुये हैं, जो सेलेक्ट कमेटी के सदस्य थे, जिन्होंने काफी डिस्कशन किया और किसी बात को नहीं छोड़ा । हर मेम्बर ने निहायत दिलजोई के साथ उस पर सिलेक्ट कमेटी में बहस की । जब कोई बात यहां आती है तो यह होता है कि सिलेक्ट कमेटी में उसको पेश कर दिया जाय । मैं निहायत अदब के साथ आप के द्वारा यह बताना चाहता हूं कि लोगों ने नाना प्रकार की बातें यहां बताईं । एक सज्जन ने कहा कि गरीब का प्रश्न नहीं है । गरीब का बेटा सुन्दर कैरेक्टर रखता है । हम लोग भी झोपड़ी के रहने वाले हरिजनों के बेटे हैं । हम किसी राजा बाबू के बेटे नहीं हैं । राय बरेली में हमारा हरिजन सहायक अफसर एक हरिजन ही मौजूद है । उसके कैरेक्टर के सम्बन्ध में क्या कोई माई का लाल उसको चैलेंज कर सकता है । वह बीड़ी नहीं पीता है, सिगरेट नहीं पीता है, शराब नहीं पीता है, यहां तक कि सिनेमा नहीं देखता है, चाय तक नहीं पीता है । इसलिये अगर आप को सोसाइटी को दुरुस्त करना है तो आप को इसके लिये कटिबद्ध होना पड़ेगा और इस अमेंडमेंट को जिन लोगों ने पेश किया है, उनको वापस लेना चाहिये ।

एक सदस्य—माननीय शिवनारायण जी विषय पर बोल रहे हैं या जनरल डिस्कशन कर रहे हैं ?

श्री शिव नारायण—मैं विषय पर ही बोल रहा हूं । विषय से मैं एक इंच बाहर नहीं हूं । कम से कम हमारे माननीय सदस्यों को सावधान रहना चाहिये । उन्होंने नमूना दिया, हैबिचुअल अफेंडर्स में से कहीं बाहर से नहीं दिया । जाति-पांति का ब्योरा दिया गया । पहले ३१ अगस्त तक यह जरूरी था कि चमार, भंगी, मेहतर, डोम यह सब उसके अन्दर थे । पहले चाहे सरकार हमको बन्द कर लेती, चाहे भाई जयपाल सिंह को बन्द कर लेती, चाहे भाई गंगा राम को बन्द कर लेती और हम कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन आज सरकार बिलाइंडली नहीं बन्द कर सकती है । अब तो उपाध्याय जी को सरकार बन्द कर सकती है । हमारे भाई गेंदा सिंह जो यहां मौजूद नहीं हैं, उन्हें भी सरकार कहीं न पकड़ ले और वे इस ऐक्ट में आ जायं ।

उपाध्यक्ष जी, मैं आप के द्वारा बता देना चाहता हूं कि यह चीज जो आयी है यह बहुत सुन्दर है । हम लोगों को निहायत कामली और ईमानदारी के साथ इसको देखना है ।

एक बात और बताता हूं कि जहां तक डिसिप्लिन का क्वेश्चन है, हमको डिसिप्लिन लाना है । अगर आपने इन तमाम ऐबों को नहीं छोड़ा तो डिसिप्लिन मेन्टेन नहीं हो सकती है । आपने देखा होगा कि बाजारों में तमाम इक्के वाले, रिक्शे वाले और तांगे वाले हमसे और आपसे ज्यादा कमाते हैं, चार पांच रुपये रोज कमाते हैं, लेकिन उनका सारा पैसा कहां जाता है ? गैम्बलिंग और शराब पीने में । जब वे गैम्बलिंग करते हैं और शराब पीते हैं और उसके बाद जब पैसा घटता है तब दूसरों के यहां नकबजनी करते हैं । जब हमारे ला मिनिस्टर ने गैम्बलिंग ऐक्ट को पेश किया था तो उस दिन भी मैंने उसको सपोर्ट किया था और आज इस बिल को भी सपोर्ट करता हूं । इस अमेंडमेंट को मैं कहता हूं कि निकाल देना चाहिये और कहीं फेंक देना चाहिये । हमारे बहुत से भाई कहते हैं कि शिवनारायण जी कभी हरिजन प्राब्लम पर बोलते नहीं हैं ।

मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि मुझसे ज्यादा दर्द उनके दिल में नहीं है । मैं इस बात को जानता हूं कि "गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है, जरूरत हो तो अजमायें जिनका जी चाहे ।" मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि वह हमारी चलती गाड़ी में रोड़े न हो जायं । हरिजनों का उत्थान हो रहा है । अभी हाल में चंद सज्जन के कहने पर माननीय शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया था । मैं अपील करता हूं कि हमें

[श्री शिवनारायण]

जो सरकार से मिल रहा है उसे ले लें और ज्यादा के लिये चिल्लाते रहें, लेकिन अदब से चिल्लायें, यह नहीं कि किसी को गाली देकर, हम गाली देकर कुछ नहीं ले सकते हैं। चाहे कोई हरिजन हो, ठाकुर हो, कम्यूनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो या के०एम० पी० पी० हो अथवा जनसंघी हो, हर एक आदमी मुल्क के लिये रिस्पांसबिल है। हम महात्मा गांधी से सिद्धान्त पर .....।

उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य से कह देना उचित समझता हूं कि वह अपने भाषण को संशोधन तक ही सीमित रखें।

श्री शिवनारायण---उपाध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन पर ही बोलूंगा बाहर नहीं जाऊंगा। इसमें लिखा है कि "पूर्व या पश्चात् अनुसूची में उल्लिखित किसी अपराध के लिये कम से कम तीन पृथक्-पृथक् अवसरों पर मौलिक अवधि के कारावास का दंड दिया गया हो और ऐसा कारावास का दंड अपील अथवा पुनरीक्षण में निरस्त न कर दिया गया हो" तो मैं कहूंगा कि जरूर सजा दी जाय, क्योंकि अगर सांप को दूध पिलायें तो वह जरूर काटेगा।

मैं अपने माननीय सदस्यों से निहायत अदब के साथ अपील करूंगा कि सहजीब के साथ इस बिल का सपोर्ट किया जाय और पास किया जाय तथा इस संशोधन को वापस लिया जाय। चंद अपोजिशन के मेम्बर्स कहते हैं कि टाइम वेस्ट होता है। मैं कहता हूं कि कहीं नहीं होता, क्योंकि यह तो समाज सुधार की चीज है। हमारे भाई गजेन्द्र सिंह जी ने धर्म के नाम पर रिजोल्यूशन पेश किया था। मुझे याद है लेकिन मैंने बुरा नहीं माना कि तुम लाल टोपी पहने हो और धर्म को क्यों मानते हो। हमारे अन्दर से धर्म की बात जा नहीं सकती है। मैं भी राम-कृष्ण को मानता हूं और मंगल को हनुमान जी का व्रत रखता हूं।

हमारी गवर्नमेन्ट एडवांस्ड स्टेज में रन कर रही है। इतने दिनों के बाद आज इधर नजर की जा रही है। १२०० वर्ष मुसलमानों ने हुकूमत की और २०० वर्ष अंग्रेजों ने की लेकिन किसी ने इधर नजर नहीं की। लेकिन जब महात्मा गांधी जी और दयानन्द ने इधर नजर की तब सब की नजर गई। मैं बिल का समर्थन करता हूं और अपने भाई से कहूंगा कि वह संशोधन को वापस ले लें। मैं किसी से कुछ नहीं कहता।

श्री रामेश्वर प्रसाद---मैं शिवनारायण जी से पूछना चाहता हूं कि क्या अब भी भारतवर्ष में कोई ऐसा है, जो अंग्रेजों की दुहाई देता हो।

उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री शिवनारायण---उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर जब हम बात करते हैं तो माननीय सदस्य गलत बात करते हैं और मैं उपाध्यक्ष से अर्ज करूंगा कि ऐसी रूलिंग दे दी जाय कि इस तरह से गलत प्वाइंट आफ आर्डर न उठायें और माननीय सदस्यों से भी मेरी अपील है कि वह रूल्स को पढ़कर आया करें।

उपाध्यक्ष---आप अपने संशोधन पर ध्यान रखें।

श्री शिवनारायण---हमारी चलती हुई धारा टूट जाती है और हमें बड़ा कष्ट होता है।

श्री जगन्नाथ पटेल (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप प्वाइंट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं?

श्री शिवनारायण---हुजूरवाला, यह डाइरेक्ट बात कर रहे हैं। रूल्स में ऐसा नहीं है .....।

उपाध्यक्ष---जो संशोधन है उसी पर बोलिये।

श्री शिवनारायण---उसी पर आ रहा हूं। सेटिलमेंट की बात खत्म करके बैठ जाऊंगा। सेटिलमेन्ट में यह है कि बच्चों को पढ़ाया जाय, लिखाया जाय, सुयोग्य बनाया जाय। यह जो गवर्नमेन्ट ने स्कीम रक्खी है, उसमें सभी माननीय सदस्य थे, हम थे, चमार थे, राजा लोग

थे और विरोधी पक्ष के लोग भी थे । सब ने मिल कर तय किया कि ऐसा किया जाय। वी आर रनिंग ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट और डेमोक्रेसी में राजा या रंक का सवाल नहीं है। वहां समानता का व्यवहार होता है । मैं चाहता हूं कि यह बिल पास किया जाय । उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक-एक लफ्ज पर ४-४ घंटे बातें की जा सकती हैं । हरिजन का इसमें सवाल उठाया गया है । इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति तीन बार का सजायाफ्ता होगा उसी आदमी को उसमें लिया जाय । हमारी सरकार तो इसमें इतनी लीनियेंसी बरत रही है लेकिन इस पर भी चैन नहीं है । ट्रेजरी बेंच के बैठने वाले लोग भी उल्टी बातें करते हैं, इसका मुझे ताज्जुब है ।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन के पक्ष में बहुत कुछ मेरे भाइयों ने भाषण दिये, मैं समझता कि उन्होंने इस विधेयक को अच्छी तरह से समझा नहीं है और जात-पांत के सवाल में वे बह गये । लेकिन इस वियेयक का अर्थ बहुत सीधा सा है । आजकल भी निगरानी होती है । पुलिस जिसको चाहती है, जिसने कभी कोई कसूर किया हो और जिसको सजा मिल चुकी हो उसकी निगरानी मुद्दत तक चलती है, इस विधेयक में यह कहा गया है कि अगर निगरानी होगी तो उसको मौका दिया जायगा, वह यह बतला सकेगा कि मैं क्या काम कर रहा हूं, मेरी क्या परिस्थिति है । इन तमाम बातों को देखकर प्रतिबन्ध या निगरानी की जा सकेगी । इस तरह से जो मौजूदा निगरानी विद्यमान है उसी के ऊपर यह एक संशोधित योजना है । आज जिसकी निगरानी होती है, उसको कोई मौका नहीं दिया जाता, पुलिस जब चाहती है तब उसकी निगरानी करने लगती है । इस विधेयक के द्वारा इस पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है । उसको मौका दिया जायगा और तीन महीने के बाद उसकी फिर जांच होगी और इस तरह से यह प्रतिबन्ध तीन बरस से ज्यादा नहीं चल सकेगा ।

दो तरह के मुलजिमों पर यह लागू होता है । एक तो वे जिन्होंने कसूर किया है और जिनको सजा हो चुकी है और जिनकी निगरानी हो रही है । दूसरे वे जो क्रिमिनल ट्राइब्ज (criminal tribes) कहे जाते थे उन पर पर भी यह लागू हो सकता है, यदि उन्होंने तीन बरस के अन्दर सजा काटी हों । अगर तीन वर्ष के अन्दर कोई सजा न काटी हो तो उन पर लागू नहीं होगा और बाकी जो क्रिमिनल ट्राइब्ज के लोग हैं उन पर यह लागू नहीं होगा । इस तरह से आम तौर से यह उन्हीं पर लागू होगा जिनकी आज कल भी निगरानी हो रही है ।

इसके अलावा मैं हरिजन भाइयों से कह देना चाहता हूं कि जिन्होंने इसको पढ़ा, उनको मालूम होना चाहिये कि वे सज्जन क्रिमिनल ट्राइब्ज में नहीं आते हैं । अधिकांश हरिजन भाई यहां पर चमार जाति के हैं, सिर्फ तीन जिले हैं, जिनमें ये क्रिमिनल ट्राइब्ज में गिने जाते हैं—जौनपुर, इटावा और गाजीपुर । इसके अलावा ४८ जिलों में कहीं भी ये क्रिमिनल ट्राइब्ज में नहीं हैं । इसलिये हमारे हरिजन भाइयों का क्रिमिनल ट्राइब्ज से किसी प्रकार का सम्बन्ध है इसका सवाल ही नहीं पैदा होता । जोश में आकर उन्होंने यह कह डाला । इसलिये मैं समझता हूं कि यह विधेयक लागू होगा, अधिकांश उन्हीं पर, जिनकी आज कल निगरानी हो रही है ।

जो यह संशोधन आया है कि 'पूर्व या' शब्द को निकाल दिया जाय अगर यह स्वीकार हो जाय तो इसका मतलब यह है कि यह विधेयक ही बेकार हो जाता है क्योंकि अगर उनकी बात को मान लिया जाय तो इसका अर्थ यह होगा कि जब कोई अबसे तीन दफा जेलखाना जावे तब ही उस पर यह विधेयक लागू हो सकेगा । ऐसी दशा में यह विधेयक स्वयं बेकार हो जाता है । इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह जो संशोधन है, वह बिलकुल गलत है ।

[श्री रतनलाल जैन]

इसके अलावा मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक बस्ती का ताल्लुक है, यह तो तब लागू हो सकता है कि जब यहां प्रतिबन्ध लगाया गया हो। और प्रतिबन्ध के लगाने पर भी अपराध करता हो तभी बस्ती में भेजने का समय आता है। बस्ती में भेजने का मौका तभी आयेगा, जिसके ऊपर प्रतिबन्ध लागू हो और प्रतिबन्ध लगाने पर भी अपराधी है तभी उसके लिये यह सवाल पैदा होगा। इस तरह से मैं समझता हूं कि जो यह विधेयक है हमारा जो मौजूदा हालत है और मौजूदा जो कानून है उसमें बहुत सुधार करता है। हमें हरएक सदस्य को इसका स्वागत करना चाहिये था, न कि विरोध।

मैं इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसी दशा आज हो रही है, जिस प्रकार से डाकेजनी हो रही है और बढ़ रही है, जुर्म बढ़ रहे हैं, उन बढ़ते हुए डाके और जुर्मों पर फौरन ही प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा। अगर यह जुर्म बढ़ते रहेंगे तो कोई शासन नहीं हो सकता है। शासन की यह जिम्मेदारी है कि वह जुर्मों को रोके और जुर्म को न होने दे और जनता की रक्षा करे। आज अखबारों में पढ़ते हैं कि अमुक जगह डाका पड़ा, बल्कि कभी तो ऐसा देखने में आता है कि बड़े-बड़े शहरों में बड़े बड़े डाके पड़ते हैं और दिन में पड़ते हैं। जब जनता का हालत ऐसा है कि वह जुर्म की तरफ चल रही है और ऐसे अपराधों की ओर चल रही है तब तो बिलकुल आवश्यक है कि ऐसी चीज ढूंढी जाय जिससे इन अपराधों को रोका जा सके। जो रोग आज चल रहा है अगर उसको सरकार नहीं रोकती है तो सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती है। इसलिये अपराधों को रोकने के लिये यह बिलकुल जरूरी है कि यह विधेयक फौरन पास किया जाय। इस 'पूर्व या' के संशोधन को स्वीकार करने से इस विधेयक का तात्पर्य ही खत्म हो जाता है। इन शब्दों के साथ में अपने साथियों से यह अपील करूंगा कि वह इस पर विचार करें और उनको जो भ्रम हुआ है या धोखा लगा है, उसको दूर करें और अपने इस संशोधन को वापस लेने की कृपा करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथी नारायण दत पासी ने जो संशोधन पेश किया है और उस पर जो उपाध्याय जी ने भाषण दिया उससे माननीय सदस्यों को कुछ गलतफहमी हो गई और विशेषकर हमारी तरफ के सदस्यों को। उस गलतफहमी को दूर करने के लिये मुझे थोड़ा सा बोलना जरूरी है। उपाध्याय जी ने जो विरोध किया वह इसी संशोधन का था, जिसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। अगर इस संशोधन को मान लिया जाता है तो इसके मायने यह हो जाते हैं कि जो अभियुक्त अपराधी तीन बार अपराध कर चुका हो....।

श्री शिव नारायण--मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं, उपाध्याय जी ने जो बात कही है आप उस पर कहना चाहते हैं और संशोधन पर कुछ कहना नहीं चाहते।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर शिव नारायण जी कुछ सोच समझकर प्वाइंट आफ आर्डर उठाया करें तो अच्छा है। उपाध्याय जी ने इसलिये विरोध किया कि आज क्रिमिनल ट्राइब्स की बात नहीं है। अगर यह 'पूर्व या' शब्द हटा दिये जायं तो उससे क्रिमिनल ट्राइब्स पर कोई बात नहीं आती है। इसमें तो यह है कि जिसने पहले तीन बार सजा पाई हो और तीन बार जो जेलखाने जा चुका हो। शिड्यूल में जो दफा दी हुई हैं, वह खतरनाक जुर्मों की हैं। इस पर जिस वक्त सेलेक्ट कमेटी में विचार हो रहा था, उस वक्त हर दफा पर विचार किया गया। तो ऐसे आदमी को जो विभिन्न दफाओं में ३ बार सजा पा चुका हो, उसके पिछले कारनामें भुलाकर उसको इस ऐक्ट के लागू होने के बाद फिर छूट दे दी जाय और फिर उसके बाद वह दस बरस तक फिर अपराध करे तब कहीं फिर यह विधेयक उसके ऊपर लागू किया जाय। हमारा या हमारी पार्टी का झंडा यह नहीं है कि जो कायदे की बात गवर्नमेंट की तरफ से रखी जाय उसका भी विरोध किया जाय। इसीलिये हमने इस

संशोधन का विरोध किया। क्रिमिनल ट्राइब्स की हमदर्दी हममें भी है और मैं समझता हूं कि पिछले जमाने में उनके साथ काफी ज्यादती हुई है और अंग्रेजी राज्य में उनको काफी नीचे गिराया गया, यह बड़े कलंक की बात थी। लेकिन जो जाति-भेद की बात थी वह चीज इस सरकार ने अब नहीं रखी है और उसके हटाने पर हमने इस चीज का स्वागत भी किया। अब यह किसी भी बिरादरी के लिये लागू हो सकता है। वह माननीय सदस्य जिन्होंने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से इसका विरोध किया गया, मैं उनसे कहूंगा कि हमारी तरफ से डिवीजन चैलेंज किया जायगा और अगर वह सदस्य तैयार हैं तो गवर्नमेंट के खिलाफ वोट देने की हिम्मत करें, लेकिन खामख्वाह के लिये संशोधन पेश कर दिया और वापस ले लिया, इससे कोई फायदा नहीं होता। जो लोग सही मानों में उनसे हमदर्दी रखते हैं, वह देखें और इसके आगे श्री कमलासिंह जी का संशोधन है, उस समय हम देखेंगे कि वह कितने उनके हमदर्द हैं और कांग्रेस सरकार की कितनी मुखालफत कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि इस तरह से खामख्वाह के लिये किसी पार्टी को बदनाम करना मुनासिब नहीं है। हमने तो जानबूझ कर ऐक्ट की जो कायदे की बात है, उसको सपोर्ट किया है। अगर वह चैलेंज स्वीकार करते हैं तो गवर्नमेंट के खिलाफ वोट कर के दिखायें।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---मैं इस पर बहस बन्द करने का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि इस संशोधन पर वादविवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दास---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन पर जो वादविवाद यहां पर हुआ उसमें हमारे विरोधी पक्ष ने कहा कि यह संशोधन समय खराब करने के लिये है मगर हमारे पक्ष के माननीय साथियों ने कहा कि यह संशोधन इस बिल की जान है। मेरा मतलब केवल यह था कि इस बिल में भी जो उद्देश्य हमारी सरकार का है और वह यह है कि उन आदमियों को जो जुर्म कर रहे हैं राहेरास्त पर लाया जाय और उनको सही रास्ते पर लाकर आम आदमियों के समान कर दिया जाय। सभी को मालूम है कि यहां की संस्कृति कोई चोर डाकुओं की नहीं रही है बल्कि इस देश में तो वह समय था कि यहां ताले तक नहीं लगाये जाते थे और यही हमारा उद्देश्य है कि वह जमाना यहां फिर आ जाय । जो क्रिमिनल ट्राइब्स थे उनके कार्यकर्त्ताओं ने, पुलिस ने और सेटिलमेंट्स के अधिकारियों ने जितना भी काम किया है वह इस चीज को मद्देनजर रख कर किया है कि इन लोगों को अच्छा नागरिक बना दिया जाय और क्रिमिनल ट्राइब्स का नाम ही खत्म कर दिया जाय। ईश्वर की बड़ी भारी दया से सन् ३६ में बापू यहां आये हुए थे जबकि यहां के राज्य के कर्णधार पूज्य नेहरू जी ए० आई० सी० सी० के प्रेसीडेंट थे। उस वक्त प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय ने यहां एक हरिजन सम्मेलन रचा था और उसके प्रेसीडेंट मौजूदा माननीय श्री जगजीवन राम जी थे। वहां स्वर्गीय श्री रास बिहारी तिवारी कुछ कन्याओं को ले आये, वे अपराधी जाति मानी जाने वाली जाति में से थीं। उन्होंने बापू जी का स्वागत किया। माननीय दयाल दास जी ने और हमने बापू जी को प्लेटफार्म पर सहारा देकर मेज पर बैठा दिया। उस समय उन्होंने जो शब्द कहे वह मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि "छूआछूत और ऊंचनीच की भावना यह भारतीय समाज का कोढ़ है" और जब मालवीय जी ने उन कन्याओं की ओर इशारा किया तो पहिले बापू जी कुछ मौन हुए और फिर कहा कि यह जरायम पेशा कानून भारत का कलंक है, जो उन पर लगाया गया है। आज भी मैं वही सुधार चाहता हूं और चाहता हूं कि इस ऐक्ट

[श्री नारायण दास]

के जरिये से उन लोगों के ऊपर कोई बुरा असर न पड़े। किसी आदमी के विरुद्ध एक या दो बरस सजा से अधिक शिकायत नहीं है वह इस ऐक्ट में नहीं आना चाहिये। यह कोई जरायम पेशा की चीज नहीं है। हमारे सामने एक सवाल यह आता है कि हमारे इसी विधेयक के अन्दर एक धारा है जिसमें हम यह स्वीकार करते हैं कि हैबिचुअल क्रिमिनल वह है जो तीन बार का सजा पाया हुआ हो लेकिन अगर उसके बाद में तीन साल तक कोई सजा नहीं पाता है तो वह हैबीचुअल आफेंडर ऐक्ट से मुक्त हो जायगा तब एक या दो सजा पाने वाले को जो ३ वर्ष या अधिक वर्ष तक सजा नहीं पाई ऐसे व्यक्ति पर कोई रियायत नहीं की गयी बल्कि इस बिल में तीसरी बार उसकी पिछली सजायें जोड़कर जो पाबन्दी लगाई गयी है जो ठीक नहीं है। मान लिया कि किसी आदमी ने दो मर्तबा सजा पायी है और सजा पाने के १० बरस बाद फिर सजा होती है, १० बरस तक वह कोई ऐसा काम नहीं करता है तो उस पर ऐसी पाबन्दी आयद नहीं होनी चाहिये जो बिल में है हमें इसका विरोध है। किसी ने एक दो मर्तबा सजा पाई और उसको पुलिस में हाजिरी देने के लिये ३ साल का हुक्म हुआ। जब उसकी मियाद खत्म हो जाती है तो उसका नाम काट दिया जाता है ऐसी बात नहीं है कि अगर एक दो मर्तबा कोई सजा पा गया तो हमेशा ही हाजिरी देता रहे। अतः उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस तरह का आश्वासन मिलना चाहिये। हमें जो आश्वासन मिला है और जो बातें हमारे माननीय सदस्यों ने कही हैं उसका मतलब यही हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। बात यह है कि यह जो संशोधन है वह बहुत उचित है। लेकिन मुझे आश्वासन मिला है, मैं अपनी पार्टी के साथ हूं, मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि उससे ही हमारे संशोधन का मतलब निकल आयेगा। इसलिये मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि श्री नारायण दास का संशोधन वापस किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री जगन्नाथ मल्ल ने विभाजन की मांग की। विभाजन के अन्तर्गत जब सदस्यगण हस्ताक्षर के लिये जा रहे थे तो श्री सुरेश प्रकाश सिंह ने यह प्रश्न उठाया।)

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---श्रीमान्, मुझे आपकी नोटिस में यह लाना है कि कुछ सदस्य एक माननीय सदस्य का हाथ पकड़ कर ले गये हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा अनुचित है।

उपाध्यक्ष---मैं भी समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये।

(प्रश्न सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर स्वीकृत हुआ।)

पक्ष में---१९०

अजीज इमाम, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैय्यद
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव पांडेय, श्री

खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुलजार, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्याम दास, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तर सिंह निरन्जन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदा लाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जवाहर लाल, श्री
टीका राम , श्री
डल्ला राम, श्री
तुलसी राम, श्री
तुला राम, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दाता राम, श्री
दीनु दयाल शास्त्री, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देव दत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवल किशोर, श्री
नाजिम अली, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवतीसूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
फजलुल हक, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबू राम गुप्त, श्री
बाबू लाल शीतल, श्री
बिशम्भर, सिंह
बेचनराम,श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन मिश्र, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुन्नी लाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मही लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मोहन सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुराज सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश चन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री

राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
राम नरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद शंभुल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
राम बली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
राम लखन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम वचन यादव, श्री
राम शंकर द्विवेदी, श्री
राम शंकर रविदासी, श्री
राम सनेही भारतीय, श्री
राम सहाय शर्मा, श्री
राम सुन्दर राम, श्री
राम स्वरूप, श्री
राम स्वरूप गुप्त, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम स्वरूप सिंह विशारद, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विश्वम्भर नाथ पांडेय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजवासी लाल, श्री
ब्रजबिहारी मिश्र, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भू नाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिव दान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिव नारायण, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराम राय, श्री
शिव स्वरूप सिंह, श्री
श्याम लाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महरोत्रा, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यानन्द, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरदयाल सिंह पियल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
होती लाल दास, श्री

विपक्ष में--२१

उमाशंकर, श्री
कमला सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मलखान सिंह, श्री
यमुना सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राम नारायण त्रिपाठी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा.
सत्यसिंह रागा, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री

श्री कमला सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) (ग) की पंक्ति ३ में शब्द "किसी" के बाद शब्द "एक प्रकार के" बढ़ा दिये जायं।

यदि इस विधेयक को शुरू से आखीर तक पढ़ा जाय तो यह मालूम होगा कि इसकी अनुसूची में कई किस्म की धारायें दी गयी हैं जिनके मुताल्लिक आदमी को प्रतिबन्ध आज्ञा दी जा सकती है। जहां तक अभ्यस्त अपराधी की भाषा का, डेफिनिशन का संबंध है उससे यह साफ नहीं होता कि किसी एक अपराध के रेपीटीशन की वजह से वह हैबिचुअल आफेंडर समझा जायगा। डिक्शनरी जो बनी है, किसी भी डिक्शनरी को आप लें, हर एक में यह वर्ड है कि "रेपीटीशन आफ ए क्राइम" यानी किसी भी आफेंस को, अपराध को, कोई आदमी रिपीट करे, दोबारा या तिबारा करे, उसको हैबीचुअल समझना चाहिये। लेकिन इतना ही हम सीमित नहीं रहना चाहते हम तो यह चाहते हैं कि हम लोग इससे और विस्तृत हों। "एक प्रकार" का जो वर्ड हमने रखा है वह उसको कवर कर लेता है। अगर आप, इस सरकार की तरफ से जो क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी, १९४७ में बनी थी उसको देखें तो आपको मालूम होगा कि उसमें सरकार का कितना रुपया खर्च किया गया और उसमें योग्य-योग्य बहुत से विद्वान आफिसर्स उस कमेटी में रखे गये थे, इस बात का पता लगाने के लिये कि क्रिमिनल ट्राइब्स को एबालिश किया जाय तो उसके साथ-साथ जो नया ऐक्ट बना उसमें कौन-कौन सी धारायें लागू की जायं।

इसके मुताल्लिक मैं ज्यादा वक्त सदन का खर्च करना नहीं चाहता क्योंकि अभी हमारे एक भाई ने करीब दो हजार २५ रुपया सवा दो घंटे की बहस में खर्च किया है। मैं सिर्फ इतना पढ़ देना चाहता हूं कि उस कमेटी की रिपोर्ट में यह लिखा है:--

"The decision whether a person comes under the definitions of "Habitual Offender" or "Vagrant" should be made by court on recommendation of the prosecuting authority. Normally, if a person has received three previous convictions for non-bailable offences under Chapter XXII and XXVII of the Indian Penal Code or has been bound down under section 118 read with section 110 of the Cr.P.C. and is brought before the court for the fourth time for a similar offence' and is found guilty of it, the Prosecuting Inspector or the Government Advocate may bring his previous convictions to the notice of the court."

[क्या कोई व्यक्ति "अभ्यस्त अपराधी" या "आवारागर्द" की परिभाषाओं के अन्तर्गत आ जाता है, यह निर्णय न्यायालय को अभियोक्ता प्राधिकारी की अभिशंसा पर करना चाहिये।]

[श्री कमला सिंह]

साधारणतः से यदि कोई व्यक्ति अतिभाव्य अपराधों के लिए भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय ३१ और १७ के अन्तर्गत पिछले तीन अपराध सिद्धियां प्राप्त कर चुका हो या दण्ड विधि संहिता के सेक्शन ११० के साथ पढ़े गये सेक्शन ११८ के अन्तर्गत बद्ध हो गया है और वह उसी प्रकार के अपराध के लिए चतुर्थ बार न्यायालय के सामने लाया गया हो और वह अपराधी पाया गया हो तो अभियोक्ता इन्सपेक्टर या सरकारी अधिवक्ता उस की पिछली अपराध सिद्धियों को न्यायालय को ज्ञात में लावें ।]

तो सिमिलर वर्ड दिया हुआ है:

"And is found guilty of it, the Prosecuting Inspector or the Government advocate may bring his previous convictions to the notice of the court."

[और वह अपराधी पाया गया हो तो अभियोक्ता इन्सपेक्टर या सरकारी अधिवक्ता उसकी पिछली अपराध सिद्धियों को न्यायालय के ज्ञात में लावें ।]

तो जो आपकी इंक्वायारी कमेटी है उसने खुद इस बात को रिकमेंड किया है कि सिमिलर अफेंस होना चाहिये । मैं यह नहीं कहता कि २३१ का जो उसने अफेंस किया है उसी को जब वह रिपीट करे तब माना जाय बल्कि २३१ के मुकाबिले में इसी प्रकार के जो क्राइम हैं उनको भी अगर वह करे तब भी मान लिया जाय । जब कि गवर्नमेन्ट ने उस कमेटी का काम करने के लिये योग्य आदमियों को नियुक्त किया था तो उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको मानने में हमारे माननीय मंत्री जी कभी नहीं चूकेंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री कमला सिंह जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसके विरोध के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे माननीय सदस्य ने अपने संशोधन में कहा है कि यदि एक ही प्रकार के तीन अपराध हों तो उसके बाद उनको अभ्यस्त अपराधी समझा जाय । मैं तो इससे यह समझता हूं कि यदि एक अपराधी एक समय में कत्ल करे दूसरी बार वह डकैती करे, तीसरी बार चोरी करे और चौथी बार किसी चौथे प्रकार का जुर्म करे और जुर्म को बराबर करता रहे तब भी वह अभ्यस्त अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। मैं तो यह समझता हूं कि यह संशोधन बिलकुल ऐसा है कि इस के आने के बाद कोई भी होशियार किस्म का आदमी अभ्यस्त अपराधी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह एक तरह का जुर्म करने के बाद दूसरी दफा दूसरे प्रकार का जुर्म करे उसके बाद में तीसरे प्रकार का जुर्म करे तो वह जुर्म तो बराबर करता रहे और उनकी किस्में बदलता रहे और किस्में बदलने के बाद वह अभ्यस्त अपराधी न रहे। मैं तो अपने मित्र से आप के द्वारा यह निवेदन करूंगा कि उनके इस संशोधन से तो यही मंशा हो सकती है कि अपराध बराबर होते रहें और बढ़ते रहें, लेकिन कोई अभ्यस्त अपराधी न कहा जा सके। इस लिये मैं आप के द्वारा यह निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन की गहराई में जायं और सोचें कि वह कहां तक पहुंचता है । अतः मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि जो मैंने बातें कही हैं उनके ऊपर हमारे माननीय सदस्य सोचेंगे और अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर बड़े बड़े भाषण इस सदन में हो चुके हैं। यह अमेंडमेंट जो इस वक्त सदन में पेश कर दिया गया है उसका मैं विरोध करता हूं और इसका कारण यह है कि वक्ता महोदय ने जो बतलाया कि एक ही किस्म के अफेंसेज हो जायं तब ही वह हैबीचुअल आफेन्डर कहा जा सकता है। मैं समझता हूं कि यह कतई गलत है। सिमिलर आफेन्सेज हो जायं तो तब ही उनको हैबीचुअल आफेन्डर कहा जाय यह तो गलत मालूम होता है । इसके माने तो यह हैं कि हैबीचुअल आफेन्डर वह है जो आदतन हो, चाहे वह एक ही किस्म के या कई किस्म के आफेन्सेज

करे । यह जो अमेंडमेंट पेश किया गया है यह तो बुनियादी तौर पर गलत है और हाउस के सामने टिक नहीं सकता है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि यह संशोधन जो बेबुनियाद है उसको थ्रो आउट हो जाना चाहिये ।

अब मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करना चाहता हूं और उपाध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हैबीचुअल आफेंडर को सजा देने से या उसके ऊपर निगरानी करने से जो बुराई समाज में रहती है उसको खत्म नहीं कर सकते हैं केवल बुराई के ऊपर कुछ रोक-थाम कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि समाज को किसी भी बुराई को दूर करने के लिये कोरेटिव मेजर्स ही लेना काफी नहीं बल्कि इसके साथ साथ प्रोवेंटिव मेजर्स लेने की भी आवश्यकता है। सरकार का फर्ज हो जाता है कि जितनी भी कमियां हैं, बुराइयां हैं, तो सरकार को शोभा नहीं देता है कि जब बुराई हो जाय तब उसका इलाज करे। मैं समझता हूं कि बुद्धिमानी तो इसमें है कि बुराई पैदा हो न होने पाये वह परिस्थितियां जो किसी व्यक्ति को हैबीचुअल आफेंडर बनाती हैं उनको समाज में पैदा हो न होने देने का सरकार की ओर से बुद्धिमानी का काम होगा इसलिये मैं जोरदार शब्दों में निवेदन करूंगा कि सरकार को ज्यादा ध्यान इस ओर देना चाहिये कि वह परिस्थितियां जो किसी व्यक्ति को हैबीचुअल आफेंडर बनने के लिये मजबूर करती हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाय।

अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इसमें कोई शक नहीं है कि लैंड रिक्लेमेशन आफिसर और डायरेक्टर बनाये हैं लेकिन इसके साथ साथ हमें इससे भी ज्यादा जरूरत है कि लैंड रिक्लेमेशन आफिसर की तरह से ह्यूमेनिटी रिक्लेमेशन आफिसर्स भी बनाये जांय और एक ह्यूमेनिटी रिक्लेमेशन डिपार्टमेन्ट खोला जाना चाहिये । जिस तरह से कि जंगली जमीन को कल्चरल बनाया जा सकता है उसी तरह से वह इंसान जो उजड़ गये हैं या पागलपन की ओर अग्रसर हो गये हैं जो हैबीचुअल आफेन्डर्स हो चुके हैं उनको रिक्लेम करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाना चाहिये।

अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हैबीचुअल आफेन्डर्स दो प्रकार के होते हैं बहुत से परिस्थितियों से मजबूर होकर, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, इन मजबूरियों से मजबूर होते हैं कि वह समाज के अंदर चोरी करें, डाके डालें और मरडर करें तो इनके लिये तो थोड़ा सा जस्टीफिकेशन हो सकता है। अगर सरकार अपने आदमियों को रहने, बसाने का इंतजाम कर सकती है तो उसको गुजर बसर के लिये कोई न कोई स्टेप लेना चाहिये । मैं समझता हूं कि इंसान भूखा मरे, जो भूखा मरता है जैसे बंगाल में ३५ लाख मर गये तो मैं समझता हूं कि यह सब इंसानियत का अपमान है। जो जिन्दादिल हैं उनको प्रयास करना चाहिये और सरकार का उनको जिन्दगी के लिए और गुजर करने के लिये जरायों का मुहइया करना फर्ज है। एक तो ए क्लास के मजदूर आफेन्डर्स होते हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--उपाध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य अमेंडमेंट पर बोल रहे हैं या लैंड रिफार्म पर ?

उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य संशोधन पर बोलें ।

श्री चन्द्र सिंह रावत--मैं सरकार के सामने सुझाव पेश कर रहा हूं और मेरा पूरा अधिकार है कि हाउस के सामने इस प्रकार के सुझाव रख सकूं और कोई व्यक्ति मुझे अपने इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता । पार्लियामेंटरी प्रोसीजर को सामने रखते हुए मुझे उम्मीद है माननीय सदस्य अपने इस आक्षेप को वापस लेने में अपनी इज्जत बढ़ायेंगे। मैं यह कह रहा था कि साहित्य के अन्दर और सरकारी रिपोर्ट्स को देख कर इस बात का पता चलता है कि बहुत बड़े बड़े आदमियों के अन्दर तक इस प्रकार की एक डिजीज होती है। पार्लियामेंट में एक जमाने में एक बहुत बड़े आदमी मेम्बर थे वह अक्सर छाते चुरा ले जाया करते थे। उनकी बीबी उनसे बहुत परेशान थी और वह उन

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

छात्रों को वापस दे आया करती थी और माफी मांगती थी। तो अक्सर लोगों के दिमाग में यह एक प्रकार की बीमारी होती है, इसलिये हमारी सरकार को इन्तजाम करना चाहिये, उनका मेंटल केयर करना पड़ेगा। लिखे-पढ़े लोग होते हैं, लेकिन चोरी की उनको आदत पड़ जाती है, जुर्म करने की उनको आदत पड़ जाती है। उनके अन्दर एक तरह की बीमारी पैदा हो जाती है। और उस बीमारी को बिना केयर किये उनकी आदत को नहीं छुड़ाया जा सकता। इसलिये हमको प्रिवेन्टिव मेजर अख्तियार करना पड़ेगा ताकि यह जो हैबीचुअल आफेन्डर्स का प्रश्न है वह प्रश्न ही न उठे। इसलिये मैं नम्र निवेदन करता हूं कि मेरे यह सुझाव सरकार के सामने रख दिये जायं और सरकार उन पर गौर करे।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय श्री कमला सिंह ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अगर हम ध्यानपूर्वक इस संशोधन को देखेंगे और विधेयक की जो भावना है उसे उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें यह मालूम होगा कि संशोधन से किसी प्रकार का कोई परिवर्तन विधेयक की भावनाओं में नहीं होता। इस विधेयक में आखिर है क्या यह हमें देखना है। माननीय सदस्यों के भाषणों से यह मालूम होता है कि शायद यह अभ्यस्त अपराधों को रोकने के लिये आखिरी कानून है और अगर यह पास नहीं किया गया तो तमाम लाएंड आर्डर खत्म हो जायगा और अभ्यस्त अपराध बढ़ जायेंगे। मैं समझता हूं कि यह तो एक रिफार्मेटरी बिल है। उनको सुधारने के लिये रक्खा गया है। इसमें जो दंड रक्खा गया है उसके लिये यही प्राविजन है कि उनको सेटिलमेन्ट में रक्खा जाय यह नहीं को फांसी दे दी जाय या काला पानी भेज दिया जाय। सुधार के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। यह नहीं है कि कोई इंडियन पेनल कोड का एक्सेक्शन किया गया है या उसकी धाराओं को बदला गया है। वे तो अपने ही स्थान पर रहती हैं। कोई व्यक्ति आफेन्स करता है तो उसको आई० पी० सी० के अनुसार दन्ड मिलेगा इस विधेयक के अनुसार नहीं। यह तो केवल सुधारने के लिये है। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे विधेयक की रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है। इसमें एक भ्रम है। सोशलिस्ट पार्टी ने जो पहले संशोधन का विरोध किया और इसका समर्थन किया इसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं और वह यह है कि पहले कही जाने वाली क्रिमिनल ट्राइबल और अभ्यस्त अपराधियों के बीच में एक लाइन डाल दी जाय, इसलिये यह संशोधन पेश किया गया है। और वह ऐसे जरायम पेशा वाले लोगों के लिये जो किसी सेटिलमेन्ट में रखे गये थे क्योंकि वह सेटिलमेन्ट में क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट के अनुसार इसलिये रखे गये थे कि वहां पर उनका जीवन गुजर सके। तो अगर इन सुधरे हुये लोगों के लिये ऐसे जरायम पेशा लोगों के लिये यह विधेयक लागू कर देते हैं तो कम से कम वह इस विधेयक के सिद्धान्त के खिलाफ है। इस विधेयक में हमने लिख दिया है कि दफा १२ के "ए" में कि "कोड में किसी भी बात के होते हुए, कोई भी प्रथम श्रेणी का मैजिस्ट्रेट उपधारा (२) के अधीन बस्ती में आसेय का दंड दे सकता है" तीन वर्ष तक किसी सेटिलमेन्ट में रह चुका हो यानी कोई जरायम पेशे का व्यक्ति जिसने अपराध किया हो या नहीं किया हो, लेकिन अगर वह किसी सेटिलमेन्ट में रह चुका हो और उसके बारे में अफसर सन्तुष्ट हों कि वह सुधर सकता है और उसका सुधार हो चुका है तो फिर अगर उसको ३ साल तक सेटिलमेन्ट में रखा जाय तो इसकी पुनरावृत्ति न होनेदेने के लिये और स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करने के लिये यह संशोधन रखा गया है। अभ्यस्त अपराधी जो होते हैं उनको सेटिलमेन्ट में इसलिये रखा जाता था कि उनका जीवन बाहर व्यतीत नहीं हो सकता था और समाज में उससे गडबड़ी थी। तो जो सेटिलमेन्ट में रखे जाते थे उन पर ही यह लागू होता है। जो लोग जरायम पेशा के हैं और अपराध करते हैं सेटिलमेन्ट में नहीं रखे गये हैं उन पर यह संशोधन लागू नहीं होता। जिनका मैंने जिक्र पहले किया उन पर ही यह संशोधन लागू होता है। अगर इसको ध्यानपूर्वक देखा जाय तो इससे यह पता चलता है कि जरायम पेशा के लोग हैं किसी सेटिलमेन्ट में रह चुके हैं उनको दोबारा यह न महसूस होने दें

कि आगे भी उनको सेटिलमेण्ट में रहना पड़ेगा। तीन साल व्यतीत होने पर और किसी सैटिलमेण्ट में रह चुकने या न रह चुकने पर उनको विधान के अनुसार मौका दें कि वह स्वतन्त्र नागरिक की तरह से अपना जीवन व्यतीत करें। इससे उनको यह भावना पैदा होगी कि उस ऐक्ट के रिपील होने के बाद वह स्वतन्त्र नागरिक का जीवन बिता रहे हैं वह किसी प्रकार से अभ्यस्त अपराधी न माने जायं। अभ्यस्त अपराधी वह तभी माने जायंगे जब वह अपराध कर चुके होंगे। अगर वह स्वतन्त्र नागरिक का जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते हैं और अपराध करते रहते हैं तो उनको उचित दंड मिलेगा। यदि जरायम पेशा व्यक्ति बारबार तीन अपराध करता है तो उस पर यह ऐक्ट लागू होता है। यह आपका जो विधेयक है यह सुधार करने के लिये है और ला ऐन्ड आर्डर से सम्बन्ध रखने वाला विधेयक नहीं है। यह सुधार करने के लिये रखा गया है। इंडियन पेनल कोड का एक्सटेन्शन नहीं है। यह तो अभ्यस्त अपराधियों के लिये है। जिनका रिफार्म सैटिलमेन्ट में हो चुका था या हो रहा है उनको इस बात का मौका मिलना चाहिये कि अगर वह सैटिलमेण्ट में रह चुके हैं और उनको कुछ अनुभव हो चुका है, कुछ सुधार हो चुका है तो उनको एक बार स्वतंत्र नागरिक जीवन बसर करने का मौका हो। कोई अपराधों के बढ़ाने की भावना से यह संशोधन नहीं आया है केवल विधान की भावना के अनुसार और क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट के रिपील होने की भावना के अनुसार हो उन जरायम पेशा लोगों के लिये जो किसी सैटिलमेन्ट में रह चुके हैं या रह रहे हैं एक और मौका देने के लिये यह संशोधन है। इस पर काफी लोगों ने अपने विचार प्रकट किये हैं और बहस हो चुकी है उन सबकी भावनाओं का यह सामञ्जस्य है और मुझे आशा है कि भवन इसको स्वीकार करेगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अभी जो तकरीर हुई उसका मतलब तो मैं बिलकुल नहीं समझा कि वह किस चीज के मुताल्लिक थी मगर जिन्होंने संशोधन पेश किया है उनकी जो बात मैंने सुनी थी उससे तो मैं सिर्फ यह समझा था कि हैबिचुअल आफेंडर्स वह है जिसने तीन मर्तबा सिमिलर आफेंस में सजा पाई हो। मैं नहीं समझता कि मैं सही समझा या नारायण दत्त जी सही समझे लेकिन जो कुछ मैं समझा हूं उसी की बिना पर मैं जवाब देता हूं। हैबिचुअल आफेंडर के जो दो लफ्ज हैं उनके मानी अगर समझे जायं तो उनका मतलब सिर्फ यह होगा कि जिसके दिमाग में कोई क्रिमिनलिटी पैदा हो गई है, जुर्म करने की तरफ किसी का रुझान हो गया है तो उसको हैबीचुअल आफेंडर कहा जायगा। यह बात उसमें पाई जायगी जो एक ही जुर्म को बार-बार करेगा, आज चोरी की, फिर की और फिर चोरी की और अगर आज चोरी की, कल को डकैती की, परसों को कत्ल किया तो इसमें भी क्रिमिनल मेंटेलिटी मौजूद है। इसका मतलब यह है कि उस आदमी में जुर्म करने की एक आदत पैदा हो गई है और उस को ठीक करने की अगर मन्शा है तो मैं समझता हूं कि इसमें दोनों के लिये ही इंतजाम किया गया है, अगर किसी ने बार-बार एक ही जुर्म किया तो और चाहे बदल बदल कर जुर्म किया तो, दोनों की इस्लाह की जरूरत है। अगर हम इस तरह से सिमिलर बढ़ा दें तो इस कानून का मतलब ही फौत हो जायगा और कोई मकसद उससे हासिल नहीं हो सकता। मेरे दोस्त जो इधर से तकरीर कर रहे थे उन्होंने बयान फरमाया कि एक आदमी जो इस बात को एवायड करना चाहे वह हैबीचुअल आफेंडर की तारीफ से बचने के लिये तरह तरह के जुर्म बदल-बदल कर करता रह सकता है और बच सकता है। इसलिये मैं इस संशोधन का मतलब नहीं समझता कि इससे क्या फायदा हो सकता है। दलील जो उन्होंने दी उस में कहा गया कि क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट को खत्म करने के लिये जो कमेटी मुकर्रर की गई थी उसकी जो सिफारिश थी उसकी इबारत भी उन्होंने पढ़कर सुनाई। वह कमेटी बैठी और उसके बाद मंसूख भी हुई, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि उसके बाद इसी मजमून पर एक कमेटी गवर्नमेंट आफ इंडिया की भी बैठी और अगर वह हमारी कमेटी और गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की कमेटी की सिफारिशों को मिला कर पढ़ें तो उनको मालूम होगा कि हमने जो ऐक्ट बनाया है वह अपनी रिपोर्ट और सेण्ट्रल

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

कमेटी का रिपोर्ट को देखकर बनाया है और कमेटी की सिफारिश की हमारे ऊपर कोई पाबन्दी नहीं हो सकती और न किसी गवर्नमेंट का डिमाग कमेटियों की रिपोर्ट तक महदूद रह सकता है। हमारे मुताबिब यह समझा कि जब किसी आदमी के अन्दर उसकी आदत की इस्लाह करना है तो हर किस्म के जुर्म जो वह करता है उन सबकी इस्लाह की जरूरत होगी। इसलिये इस चीज की जरूरत नहीं है कि इसमें सिमिलर आफेंसेज रखा जाय और अगर एक से जुर्म न हों तो उसको छोड़ दिया जाय, इसलिये मैं इसको मंजूर करने से मजबूर हूं

श्री कमलापति सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी के भाषण को सुना, लेकिन उन्होंने डकैती चोरी वगैरह का जो जिक्र किया है उससे यह मालूम होता है कि उनको मालूम नहीं है कि राबरी, चोरी, डकैती, थैफ्ट एक्सटारशन वगैरह सब थैफ्ट में ही आ जाते हैं सिर्फ छोटे-बड़े का उनमें फर्क है। अगर नेचर देखी जाय तो थेफ्ट, एक्सटारशन, राबरी, डकैती यह सब सिमिलर से कवर हो जायेंगे। या कोई चीज किसी ने जबरदस्ती छीन ली है इस किस्म की सब चीजें इससे कवर हो जावेंगी और इसमें इन्क्लूड हो जाती है। इसीलिये यह सिमिलर वर्ड रखा गया है। जैसा कि हमारे मेम्बर साहब ने बतलाया कि डकैतियों और चोरियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है जब तक उनका रिपेटीशन न हो, सजा नहीं दी जाती या उनके खिलाफ कोई प्रतिबन्धात्मक आज्ञा न दी जाय। शायद उन्होंने इंडियन पैनल कोड को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा। अगर वे उसकी धारा ७५ को पढ़ें तो उनको मालूम होगा कि प्रीवियस कनविक्शन में वे सब बातें आ जाती हैं। ७५ आई० पी० सी० की धारा इसीलिये बनाई गई थी कि पिछले जितने भी आफेंसेज हों वे सब आ जायं और जो हैबिचुअल आफेंडर्स हैं उनको हैबियर पनिशमेंट दिया जाय। अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में इस बात की कोशिश की गई थी कि आदमी की इस धारणा को कम किया जाय। इसके लिये उन्होंने धारा ७५ का प्रयोग किया। अगर आप भी यह चाहते हैं कि जितने भी आदमी हैं सब इसके अन्तर्गत आ जायं तब तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है उसके बारे में जब मेरा दूसरा अमेंडमेंट आयेगा उस समय बतलाऊंगा।

एक चीज और मैं कहना चाहता हूं। मेरे एक लायक दोस्त ने बतलाया कि हैबिचुअल आफेंडर्स दो किस्म के होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं तीन किस्म के होते हैं। यानी:

"Those who inspite of good environment and family traditions become habitual criminals."

[वे जो कि अच्छे वातावरण और पारिवारिक परम्पराओं के होते हुए भी अभ्यस्त अपराधी हो जाते हैं।]

एक तो इस किस्म के होते हैं जो फैमिली के कारण से होते हैं तथा दूसरे इस किस्म के ऐसे होते हैं:

"Those who because of bad environments, particularly family traditions and associations take to life of crime according to the custom of their group and family and who are, therefore, not so much immoral as amoral".

[वे जो कि बुरे वातावरण विशेष रूप से पारिवारिक परम्पराओं और साहचर्यों के कारण अपने संघ या परिवार की प्रथाओं के अनुसार अपराध के जीवन का अनुसरण करते हैं और जो इसी लिये नैतिकता के दृष्टिकोण से इतने अनैतिक नहीं हैं।]

यानी एक वह होते हैं, जिनके खानदान का रवैया ही ऐसा है, जिसके कारण मजबूरन वे ऐसा करते हैं। इसके अलावा तीसरे किस्म के हैबिचुअल आफेंडर्स ऐसे होते हैं:

"Vagrants without any settled occupation who lead a life of crime, prostitution and idleness. Separate provisions will naturally have to be made in the Act.. ....."

[आवारे बिना स्थायी व्यवसाय के जो अपराध, व्यभिचार एवं बेपरवाही के जीवन को बिताते हैं उनके लिए स्वाभाविक रूप से अधिनियम में पृथक् उपबन्ध करना होगा।]

इस तरीके पर तीन प्रकार के हैबिचुअल आफेंडर्स होते हैं। लेकिन यह जो अभ्यस्त अपराधी विधेयक है उससे यह हमारी मन्शा नहीं है कि हम सीवियर पनिशमेंट दें। इससे हमारा उद्देश्य रिफार्म का है। अगर हमारी सरकार की धारणा यही है जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि जितने हमारे प्रान्त के निवासी हैं वे सब अभ्यस्त अपराधी के अन्दर आ जायं तब तो मुझे कोई एतराज नहीं है। क्योंकि दूसरी साइड मानने के लिए कोई दलील नहीं पेश की गई इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं जनाब के जरिये से मूवर साहब से एक बात दरियाफ्त करना चाहता हूं अगर वे बतलाये तो वह यह कि जिस आदमी ने नित नया ३ दफा जुर्म किया हो उस आदमी को आप क्यों छोड़ रहे हैं?

श्री कमला सिंह--इसलिये कि वह हैबिचुअल नहीं है। उसका सुधार हो सकता है। यह हो सकता है कि उसने सरकमस्टांसेज में पड़ कर ऐसा किया हो, ऐसी हालत में उसमें सुधार होने की गुंजायश रहती है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--एक सवाल और आपकी इजाजत से पूछना चाहता हूं। मान लिया कि उसने तीन अलहदा-अलहदा जुर्म किये और तीनों की अलहदा-अलहदा कहने से तो उस पर क्रिमिनैलिटी की लाइबिलिटी आयद हो जाती है, इसलिये मैं पूछ रहा हूं कि आप डिससिमिलर को क्यों छोड़ रहे हैं?

श्री कमला सिंह--अगर कोई साइकोलोजी पढ़ा हो तो वह यह समझ सकता है कि जिसको चोरी करने की आदत है वह मर्डर नहीं कर सकता।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह बात बिकुलल गलत है।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) (ग) की पंक्ति ३ में शब्द "किसी" के बाद शब्द "एक प्रकार के" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राम स्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है--खंड २ के उपखंड (१) (ग) की पंक्ति ३ व ४ में "किसी अपराध के लिये" के स्थान पर "किसी एक या अन्य अपराधों के लिये" रख दिये जायं।

इसकी जरूरत इसलिये है कि यदि हम किसी अपराध के लिये कहते हैं तो उसका अर्थ यह हो जाता है कि अनुसूची में उल्लिखित किसी अपराध के लिये कम से कम ३ पृथक्-पृथक् अवसरों पर कारावास का दंड दिया गया हो। अर्थात् जो अपराध सूची में गिनाये गये हैं उनमें किसी एक अपराध के लिये तीन बार सजा दी गई हो। जबकि हमारे इस विधेयक का आशय यह है कि वह व्यक्ति अपराध करने का अभ्यासी है, जो शिडयूल में गिनाये गये अपराधों में से किसी भी अपराध में तीन बार दंड पा चुका हो। तो यह जो शब्द अभी तक हैं वे दुविधा में डाल देते हैं और इससे अदालतों को एक संदेह पैदा हो जायेगा और बिल का जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं होगा। इसलिये इसको साफ करने के लिये यह संशोधन उपस्थित किया गया है। यह संशोधन ऐसा है कि किसी एक या अन्य अपराध के लिये तीन पृथक्-पृथक् अवसरों पर दंड दिया गया हो, इस बिल का अंग्रेजी का जो अनुवाद है मैं तो यही आशा

[श्री रामस्वरूप गुप्त]

करता हूं कि अंग्रेजी का अनुवाद हिन्दी से किया गया होगा उसमें जो शब्द हैं उनसे यह बात साफ हो जाती है। उसमें लिखा है कि--

"फार एनी वन आर ऐनअदर आफ दी आफेंसेज"

यानी यह कि कनविक्शन किसी एक या सूची में दिए हुए किसी दूसरे अपराध के लिये पृथक-पृथक अवसरों पर हुआ हो। लेकिन जब तक हिन्दी में हम साफ नहीं कर देते हैं, क्योंकि मूल विधेयक हिन्दी में ही होगा, तो उसमें भ्रम होने की गुंजाइश हो जाती है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी, इस वास्ते कि कानून के शब्द साफ हों और किसी तरह का भ्रम अदालतों को पैदा न हो, मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) (ग) की पंक्ति ३ व ४ में "किसी अपराध के लिये" के स्थान पर शब्द "किसी एक या अन्य अपराध के लिये" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कमला सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) (ग) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अपराधशील जातीय कानून (Criminal Tribes Act, 1924) के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति (Settlement) में रखा गया हो और ३१ अगस्त, १९५२ ई० को रिहा किया गया हो तो जब तक वह अनुसूची में उल्लिखित पृथक्-पृथक् तीन अपराध के अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रचलित होने के पश्चात् कारावास का दंड न पाया हो, तो अभ्यस्त अपराधी न समझा जायगा।"

श्री रामनरेश शुक्ल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मुझे एक आपत्ति है। चूंकि यह तीसरे नं० का जो संशोधन श्री नारायण दास जी ने पेश किया था उस पर इस सदन ने काफी विचार करने के बाद उसको मंजूर नहीं किया जिसमें यह था कि इस कानून के लागू होने के पूर्व या पश्चात् "पूर्व या" शब्द के संशोधन का प्रस्ताव उन्होंने रखा था। तो वह चूंकि गिर गया और मैं समझता हूं कि श्री कमला सिंह जी का जो नं० १४ का संशोधन है उसमें भी बिलकुल वही चीज है कि इस कानून के बाद होने वाले अपराध के लिये। तो मैं समझता हूं कि यह वैधानिक नहीं होगा कि इस पर यह सदन विचार करे।

श्री कमला सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो दूसरी तरफ से यह प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया गया है उसके मुताल्लिक मुझे यह अर्ज करना है कि "पूर्व या" शब्द निकालने के मुताल्लिक श्री नारायण दास जी का जो प्रस्ताव आया था वह सब के लिये था। जनरल क्रिमिनल ट्राइब्स में जितने लोग थे या जिनकी निगरानी वगैरह होती थी या जिनका रजिस्ट्रेशन होता था उन सबके मुताल्लिक था, लेकिन जो हमारा प्रस्ताव है वह सेटेलमेंट से जो लोग निकल गये हैं उन्हीं के मुताल्लिक है।

दूसरी चीज जो मुझे अर्ज करनी है वह यह है कि जो लोग क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट के अन्दर आते हैं उनको हम कंफाइनमेंट, कालोनीज के अन्दर लाना चाहते हैं। हमारा परपज जो है वह यह है कि जो हैबिचुअल आफेंडर्स हैं उनका सुधार किया जाय और वह सुधार कैसे किया जाय? उनको जमीन देकर, उनको काम देकर और उनको भोजन देकर। इस तरीके से हम उनका सुधार करना चाहते हैं और जो सेटलमेंट से निकले हुए आदमी हैं उनका काफी सुधार हो चुका है। और जो सेटेलमेंट से

निकाले हुए आदमी हैं उनका काफी सुधार हो चुका है और ३१ अगस्त १९५२ ई० को निकाले जा चुके हैं।

उपाध्यक्ष--आपको अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके इस संशोधन को पेश करने की आज्ञा देता हूं।

श्री कमला सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन का प्रश्न है सेटिलमेंट से जो आदमी निकाले गये हैं या सरकार ने अपनी कृपा दृष्टि से जिन्हें सेटिलमेंट में रख दिया था और उनको जो रिहा किया गया उसके लिये जो खुशियां मनाई गई थीं हम चाहते हैं कि वह खुशी अब भी वैसी कायम रहे ताकि ऐसे लोग जो सेटिलमेंट के अन्दर बसाये गये थे और जिन्हें बाहर रह कर अच्छे सिटीजन्स बनने का मौका दिया गया था वह अब भी जारी रहे। आप कांस्टीट्यूशन की धारा १९ को पढ़ें तो उसमें साफ दिया हुआ १९ (१) डी में "टु मूव एबाउट फ्रीली थ्रू आउट इंडिया" (भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का) तो यह फ्रीडम फंडामेंटल राइट हर एक का है। साथ ही साथ धारा १९ (५) के सब-सेक्शन तीन को देखेंगे तो इसमें जो लिस्ट दी हुई है--

"Nothing in sub-clauses (d) (e) and (f) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe."

[उक्त खंड के उपखंड (घ) (ङ) और (च) की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिये गये अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों के अथवा किसी अनुसूचित आदिम जाति के हितों का संरक्षण के लिये युक्ति-युक्त निर्बन्धन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव अथवा वैसे निर्बन्धन लगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट न डालेगी]

(इस समय ४ बज कर २ मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

उसमें ६३ जातियां ऐसी हैं जो सेटिलमेंट के अन्दर रखी गयी हैं यह उन्हीं लोगों से संबंधित होगा। यह उन्हीं लोगों के सेफगार्ड करने के लिये उनको प्रोटेक्शन देने के लिये यह धारा संविधान में बनाई गई थी और उसी के आधार पर ३१ अगस्त, १९५२ ई० को ऐसे लोग जो सेटिलमेंट या कालोनीज के अन्दर कनफाइन किये गये थे, रिहा किये गये थे। यदि इस विधेयक की धारा ४ (२) को देखें तो उसमें लिखा हुआ है "उपधारा (१) के अन्तर्गत जिस व्यक्ति के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया हो वह केवल निम्नलिखित आधारों पर ही, और किसी अन्य आधार पर नहीं, नोटिस का प्रतिवाद कर सकता है," और आगे "उसे दिये गये कारावास के अंतिम दंड की अवधि की समाप्ति के दिनांक और नोटिस के दिनांक के बीच तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है" तो मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इसके एक शब्द की ओर दिलाना चाहता हूं "उसे दिये गये कारावास के अंतिम दंड"। इसके मुताल्लिक अगर सेक्शन १३ के १ खंड ख को पढ़ें से उसमें है--

"बस्ती में १२ महीने के लिये या इससे अधिक अवधि के लिये जो तीन वर्ष से अधिक की न होगी और जिससे मैजिस्ट्रेट निश्चित करे" यानी जो बस्ती का दंड है वह भी दंड है और इसके पहिले जो लोग कन्फाइन थे वह भी दन्ड था तो यह दंड अन्तिम दंड है, यानी ३१ अगस्त, १९५२ को यदि कोई व्यक्ति रिहा किया गया हो तो उसके दंड की अवधि समाप्त समझी जायगी और अगर आज ही नोटिस दिया जाय तो तीन साल किसी कदर नहीं बिता सकता। इस तरीके पर जब सरकार

[श्री कमला सिंह]

ऐलान करती है कि जो अभ्यस्त अपराधी जो बहुत बड़े-बड़े जुर्म करते हैं उनको सिर्फ हम कनफाइनमेंट के अन्दर लाना चाहते हैं, ऐसी जातियां जो क्रिमिनल ट्राइब्स के अन्दर हैं उनको नहीं लाना चाहते, यह एक भूलभुलैया है। मैं तो कहूंगा कि अगर आप इस विधेयक की धारायें पढ़ें तो मालूम होगा कि यह विधेयक क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट, १९२४ का छोटा भाई है। और जो यह दिखलाया गया है कि पहले क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट इसलिये बनाया गया था कि जो ऐसी जातियां हैं जो जरायम पेशा हैं, उनमें जो पैदा हों उन लोगों के लिये यह ऐक्ट बनाया गया था, लेकिन यह विधेयक उन लोगों के लिये नहीं है जो कि उन जातियों में पैदा हों और अभ्यस्त अपराधी समझे जायं और उनकी निगरानी हो बल्कि ऐसे लोगों की निगरानी हो जो कि जुर्म करते हों। अगर आप इस चीज को भी देखें तो, जो आफेंडर्स का नाम लिखा है, मैं उसे मिसनोमर कह सकता हूं। चाहे आप सीधे नाक पकड़िये या घूम कर पकड़िये मतलब एक ही होता है। आप इस बात को समझें कि जितने आपके कनफाइनमेंट हैं वह किस चीज के लिये हैं। वे तो आफेंडर्स का सुधार करने के लिये हैं। अगर आप उद्देश्य को पढ़ें उसमें उस सरकार ने साफ साफ कहा है, "अभ्यस्त अपराधियों को सुधारने और उन्हें उपयुक्त काम के लिये अवसर देने की दृष्टि से राज्य सरकार का यह प्रस्ताव है कि उन्हें जीविका के निमित्त प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से बस्तियां स्थापित की जायं"।

इससे यह साफ जाहिर है कि क्राइम्स हमारे प्रान्त में क्यों बढ़ रहे हैं। हमारे माननीय शिवनारायण जी ने बतलाया कि अपराधों की संख्या दिन दूनी, रात चौगुनी बढ़ रही है। सरकार उसमें सुधार कर रही है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सेटिलमेंट में किन लोगों.....

अध्यक्ष--माननीय सदस्य अध्यक्ष की मारफत ही पूछ सकते हैं कोई सवाल। प्रत्यक्ष कोई सवाल नहीं पूछ सकते।

श्री कमला सिंह--मैं माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा यह बताना चाहता हूं कि जो हमारे माननीय शिवनारायण जी ने यह कहा था कि अपराधों की संख्या.....।

श्री शिव नारायण--अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठें।

श्री कमला सिंह--अभी मैं उद्देश्य और कारण के जरिये बता रहा था कि जितने अभ्यस्त अपराधी हैं उनको सेटिलमेंट में रख कर उनका सुधार किया जाता है और साथ ही साथ जमीन वगैरह भी दी जाती है और उनकी बदौलत जो जरायम करने की होती है उसको मोड़ कर दूसरी तरफ लाया जाता है। यदि आप देखें कि जितने लोग ३१ अगस्त, १९५२ ई० को सेटिलमेंट से बाहर निकले हैं उनमें बहुत से सारा जीवन अपना कालोनी में बिता चुके हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो पहिले बहुत से अपराध भी कर चुके हैं और अब भी वह सेटिलमेंट में रख कर उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो आज जैसे सरकार ने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि जितने सेटिलमेंट कालोनी के अन्दर लोग हैं उनका काफी सुधार हो चुका है और उनकी मनोवृत्ति जैसे किसी और सिटिजन की होनी चाहिये वैसा हो चुकी है। ऐसी हालत में मेरी समझ में नहीं आता कि अध्यक्ष महोदय, क्या वजह है कि सरकार फिर ऐसे लोगों को जो उनसे निकल चुके हैं, सेटिलमेंट या कालोनी में इस विधेयक के जरिये से फिर लाने की कोशिश कर रही है।

यदि देखा जाय कि ऐसे लोग जो कि सेटिलमेंट के अन्दर रखे गये थे वह किसी खास जाति के हैं या वे ऐसे अपराध कर चुके हैं कि उनकी निगरानी जरूरी है तो पुलिस

ऐक्ट में सरवेलेंस ऐक्ट बराबर जारी रहा है और पुलिस बराबर निगरानी करती है। हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसकी ५६५ धारा में दिया गया है कि अगर मैजिस्ट्रेट किसी जुर्म में सजा देता है उस वक्त यह भी जरूरी समझे कि उस आदमी के खिलाफ प्रतिबन्ध आज्ञा भी देनी जरूरी है तो उस हालत में ५ वर्ष तक रेजिडेंस तक लिये या गैरहाजिरी के लिये या मकान के मुताल्लिक रिपोर्ट दे सकता है। ऐसी हालत में इस धारा की मौजूदगी में सरकार को फिर इस हैबिचुअल आफेंडर्स विधेयक को लाने की जरूरत पड़ी यह समझ में नहीं आया। एक साहब ने यह बतलाया, इस सदन में कि यह विधेयक उन्हीं लोगों पर लागू होगा जिनकी निगरानी होती है। शायद उनको यह मालूम नहीं है कि यह निगरानी दो तरह की होती है। यह जो निगरानी इस ऐक्ट के आधार पर होगी वह दूसरी तरह की होगी और उसमें रिपोर्ट करना जरूरी होगा और उसमें एक तरीके का पनिशमेंट दिया जायगा, लेकिन पुलिस की जो निगरानी है वह दूसरे तरीके से होती है और पुलिस यह देखती है कि अपने मकान पर आदमी मौजूद है या नहीं।

एक दूसरी चीज जिसकी तरफ मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि मैजिस्ट्रेट को पावर के मुताल्लिक जहां तक डेफिनीशन का सवाल है उसमें ऐसे लोगों के लिये यानी अभ्यस्त जो अपराधी हैं उनके लिये सिर्फ इतना लिख दिया है कि तीन बार का प्रीवियस कनविक्ट हो ऐसे लोगों पर यह विधेयक लागू होगा। इसके मुताल्लिक यह अर्ज करना है कि यदि इस प्रकार के सजायाफ्ता पर ही लागू होगा तो ऐसे लोगों के साथ साथ ऐसे लोग जो सेटिलमेंट से अभी छूटे हैं वह भी इसके दायरे के अन्दर आ जाते हैं, इसमें तो शुबहा नहीं है। उनके साथ-साथ और लोग भी आ जाते हैं, तो जहां तक यह है कि तीन बार का प्रीवियस कनविक्ट हो उसके खिलाफ नोटिस दिया जाय तो मैं नहीं समझता कि यह उचित होगा। जैसा कि दफा ११० का प्रोसीडिंग में दिया हुआ है कि जो कई बार किसी क्राइम को कर चुका है वही हैबिचुअल आफेंडर है। यदि सरकार का मंशा यह है कि जो अभ्यस्त ऐसे अपराधी हैं उन्हीं के खिलाफ यह विधेयक लागू किया जाय तब तो ११० धारा काफी है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की है। कोई जरूरत नहीं है कि उनके लिये कोई नया अलग विधेयक बनाया जाय। साथ ही साथ यह भी देखना है कि अगर डेफिनीशन में तीन प्रीवियस कन्विक्शन्स लेते हैं तो मैजिस्ट्रेट को क्या पावर देते हैं जिसके जरिये ....।

अध्यक्ष—यह असंगत सा है। आप तो संशोधन द्वारा प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं। उसी पर आप अपना भाषण सीमित रखिये।

श्री कमला सिंह—अच्छा, इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इससे पहले जनाजवाला एक संशोधन यहां पेश हो चुका है और उसमें यह था कि इस क़ानून के बनने से पहले जो लोग तीन दफा सजा पा चुके हों उनके ऊपर यह क़ानून लागू न हो। उसमें सब लोग शामिल थे चाहे वह सेटिलमेंट में से निकले हों चाहे न निकले हों। जितने भी हैं सब उसमें शामिल हैं। उसका मैंने जब जवाब दिया तो उसमें यह बात कही कि गवर्नमेंट उसको इस वजह से मंजूर नहीं करती है कि जिन आदमियों के लिये खास तौर पर यह पेश किया गया है उन आदमियों का केस तो मेरी तरफ से मेरी उस राय में पहले से शामिल है। मैं जैसे औरों के लिये मंजूर नहीं करता वैसे ही उनके लिये भी मंजूर नहीं करता हूं। मगर मेरे दोस्त ने एक बात यह कही कि यह क़ानून जो हम बना रहे हैं यह एक डिसक्रिमिनेशन करता है लेकिन मैं यह अर्ज करूं कि उनका अमेंडमेंट डिस-क्रिमिनेशन जरूर करता है और अफेंड करता है कांस्टिट्यूशन के उन आर्टिकिल्स को कि जिनमें डिसक्रिमिनेशन के खिलाफ प्राविजन्स हैं। तो एक खतरा तो मैं यह मोल लूं कि आया यह क़ानून उन दफाओं में से किसी दफा को जद में आ जायगा या नहीं आ जायगा ऐसा डिसक्रिमिनेशन करने से क्योंकि एक बात खुली हुई है कि इस कांस्टिट्यूशन के बनने के बाद

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

क्रिमिनल सेटिलमेंट्स जो थे और क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट जो था उनको मौकूफ किया गया और उसकी वजह सब से बड़ी यह थी कि वह इन्कांसिसटेंट हो जाता, ला जो पहले जारी था इस कांस्टिटचूशन से क्योंकि वह थोड़े से आदमियों को डिसक्रिमिनेट कर रहा था बन्द करने के लिये, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन्स लगाने के लिये जबकि सारी दुनिया से यह कहा जा रहा था कि तुम आजाद रहो तुम्हारे ऊपर इस क़िस्म का क़ानून नहीं लगेगा। ऐसे क़ानून के लगाने में अगर एक क्लास को पार्टिकुलर्ली किसी वजह से मुस्तसना किया जाय तो यह बात मुनासिब नहीं हो सकती थी। यह तो क़ानूनी बात है और जहां तक वाक़यात का ताल्लुक़ है जो वजह कि उन्होंने बयान की है, जिन्होंने इस अमेंडमेंट को पेश किया कि इस वजह से उनको मुस्तसना किया जाय, मैं उसमें से किसी एक वजह को भी इतना कवी नहीं समझता कि उसकी वजह से मैं यह कहूं कि उनको मुस्तसना हो जाना चाहिये। आज मैं भी एक आदमी हूं और जो क्रिमिनल ट्राइब्स सेटिलमेंट से निकला है वह भी एक आदमी है। इस मामले में हम दोनों बराबर हैं कि अगर मैं तीन दफा जुर्म करूंगा तो हैबिचुअल आफेंडर क़रार दिया जाऊंगा और मेरे खिलाफ कार्यवाही हो जायगी, और जो सेटिलमेंट से आदमी निकला है वह अगर इसी तरह से जुर्म करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो जायगी ऐसी सूरत में मेरे नजदीक इस तरमीम को माने जाने की कतअन जरूरत नहीं मालूम होती और मैं जुरअत नहीं करता हूं इसलिये कि इस पर एक रूलिंग इसी में हो चुकी है वरना पहले से मेरे दिमाग में यह था कि चूंकि यह फेस पूरे का पूरा कवर्ड है उस फेस में जो पहले यहां डिसकस हो चुका है, इसलिये गालिबन यह इस हाउस में डिसकस न होता। मैं अब उस चीज को बयान नहीं करना चाहता लेकिन अपने आपको इस बात से बचाना चाहता हूं कि मैं इस क़ानून को क़ानून के कलेचेज में पड़ने दूं यह मेरे लिये कतअन मुनासिब नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विषय के संशोधन पर कुछ बहस इस सदन के सामने हुई और मुझे दुःख है कि उस समय हमारे सदन के कुछ माननीय सदस्यों की समझ में या तो मेरी बात आई नहीं या जो उनका गुस्सा इस हुकूमत से था वह मेरे ऊपर बौछार के रूप में मेरा नाम ले करके डालना शुरू किया। हो सकता है कि यह बातें उनके दिल की हों और मुझे टारजेट बनाकर जो बातें वह गवर्नमेंट को कहना चाहते थे, कहीं हों। मैं मानता हूं कि उनकी भी कमजोरियां हैं। मुझे दुःख है हम जब देखते हैं कि हमारे भाइयों की मन्शा सिर्फ यह थी कि.....

अध्यक्ष—माननीय सदस्य समर्थन कर रहे हैं या क्या?

श्री मदन मोहन उपाध्याय—जी हां, समर्थन करते हुए मैं उन माननीय सदस्यों से यह भी जानना चाहता हूं जो इन्हीं जातियों से आये हैं और जो हमसे ज्यादा हरिजनों के हमदर्द बनते हैं, उनकी भी राय मैं इस सिलसिले में जानना चाहूंगा, शायद वह बोलेंगे। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि मैं प्रोग्रेसिव नहीं हूं, मैं बड़ा रिएक्शनरी हूं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चोरी बढ़ाने के लिये मैं प्रोग्रेसिव नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि अन्त में चोरी कम हो, बदमाशी कम हो, लोग जुर्म कम करें और उसमें कमी हो, लोग अगर मुझसे आशा करते हैं कि मैं चोरी, डकैती वगैरह में प्रोत्साहन दूं तो यह उनकी एक गलतफहमी है। मैं प्रोग्रेसिव आइडियाज में हूं, थौट में हूं, देश की तरक्की के मामले में हूं।

मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हरिजनों की सेवा करने का दावा करते हैं तो मैं भी खुशकिस्मती से अपने यहां के मेहतरों के यूनियन का प्रेसीडेन्ट हूं। मैं दावा करता हूं कि मेरे जिले के एक भी मेहतर को कोई तोड़ ले तो मैं अपनी हार मान जाऊंगा। जो मेरे यहां हरिजनों की यूनियन है उसका मैं प्रेसीडेन्ट हूं जिनके मेरे यहां बहुत से मेम्बर हैं। इसलिये दावे के साथ कह सकता हूं कि हरिजनों की बदौलत ही यहां आया हूं और उन्होंने मुझे वोट दिया है इसलिये कि मैं उनके साथ हूं। उनकी झूठी हमदर्दी नहीं है ईमानदारी की है।

हमारे रामेश्वर प्रसाद जी ने बड़ा लेक्चर दे डाला। वही हैं जिन्होंने बहस के बाद प्रस्ताव वापस ले लिया। व्हिप का आर्डर ईश्यू हुआ तो जयपाल सिंह बैठ गये। आज जब वह जायेंगे तो दिखायेंगे कि हमने तुम्हारे लिये यह कह दिया, लेकिन जब कुछ पन्ने उल्टेंगे तो उनको उसी संशोधन को वापस लेने वाले में दस्तखत दिखलाई देंगे, जयपाल सिंह, रामेश्वर प्रसाद, गंगा सिंह वगैरह के। जब और पन्ने उल्टेंगे तो हमारा भाषण होगा, माननीय कमला सिंह जी का भाषण होगा। तब पता लगेगा कि असलियत किस में है। हम उनके साथ हैं। आप हिम्मत क्यों नहीं करते हैं।

श्री रामेश्वर प्रसाद--प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, मैं उपाध्याय जी को बताना चाहता हूं कि वह जो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं।

अध्यक्ष--यह कोई एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है। आप कृपा कर बैठ जायं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा से मुझे मौका मिला अपने ख्यालात इजहार करने का। मुझे वोट की जरूरत नहीं है। एक सदस्य ने अभी कहा कि मैं इसलिये क्रिमिनल ट्राइब्स के ऊपर बोला कि मुझे वोट्स के लिये कहना था। मैं उनमें से नहीं हूं। मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि इस हुकूमत में अगर कोई बिल आया जिसमें सर्व सम्मति रही, जिसमें कोई नोट आफ डिसेन्ट सिलेक्ट कमेटी में नहीं आया तो वह यही बिल है क्योंकि माननीय मन्त्री जी ने विरोधी पक्ष की राय को भी एकमोडेट किया। इसलिये यह बिल बहुत सुन्दर रूप में इस सदन के सामने आया था लेकिन कुछ गलत-फहमी में .....

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं तो जनाब के जरिये से यह मालूम करना चाहता था कि इस तरमीम के बाबत क्या इरशाद है?

श्री मदन मोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरमीम पर आ रहा हूं इसके विषय में मुझसे कुछ कहा गया था इसलिये उसका जवाब दे देना भी आवश्यक था। तरमीम पर कुछ राय मैंने पहले भी जाहिर कर दी है। मैं समझता हूं कि मेरे इन बातों के कहने से माननीय रामेश्वर दयाल जी अपने दिल में ठंढक महसूस करेंगे और गलत हमदर्दी लोगों की नहीं लेंगे। यह जो बिल सदन के सामने आया इस पर काफी लोगों ने जोश के साथ भाषण दिये। मैं माननीय सदस्यों को बतला देना चाहता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई शख्स जो पहले क्रिमिनल ट्राइब्स में था अब वह सिटिलमेंट से बाहर निकला और पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया, ऐसी बात नहीं है। इस तरह का गलत प्रचार न होना चाहिए। क्रिमिनल ट्राइब्स के जो लोग बाहर आयेंगे उनमें आपका कर्तव्य है कि आप प्रचार करें कि वे लोग यह काम अब न करें, अगर जुर्म करेंगे तो वे फंस जायेंगे। ऐसा प्रचार करने से जुर्म कम होगा। सेटिलमेंट की जो बात कही गई इस पर हम डिवीजन भी करवायेंगे, और वह इसलिये करवायेंगे कि ताकि हरिजन लोग जान सकें कि हमारी तरफ से तो यह चीज आई थी लेकिन उन महानुभावों ने जो अपने को क्रिमिनल ट्राइब्स का हमदर्द समझते हैं और जिन्होंने बड़ी लम्बी-चौड़ी तकरीरें दे डालीं, वास्तव में उनकी उनके साथ क्या हमदर्दी है। सवालों के वक्त सुनता हूं हरिजनों के बारे में बड़े-बड़े सवाल किये जाते हैं कि कितने प्रतिशत हरिजन विभिन्न विभाग में हैं, लेकिन मैं अपने हरिजन भाइयों से पूछता हूं कि आप के बीच में चमार हैं, मेहतर हैं, और जातियाँ हैं। दूसरी जाति वालों का आपने कभी ख्याल किया? मैं जानता हूं कि आपने नहीं किया। मैं मेहतर के यूनियन का प्रेसी-डेन्ट हूं। मुझे इसका तजुर्बा है। हमारे मेहतर भाई कहीं नहीं लिये जाते, उनकी कोई बात नहीं करता। उन्हें यह लोग खुद अछूत समझते हैं। पहले आप अपने दिल पर हाथ रखिए तब हरिजनों की बात करिए। यह २०० रुपये कहीं जाने वाले नहीं हैं, वे बराबर मिलते रहेंगे। पर क्यों नहीं उन बातों पर अड़े रहते हैं, जिन्हें आप ठीक समझते हैं। क्यों नहीं अगर दिल को ठेस पहुंचती है तो उस दल को छोड़कर जो ज्यादती करता है इस ओर आ जाते। उन्हीं के साथ चिपके हैं चाहे वहाँ धुत्कारे ही जावें।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य अब संशोधन पर आ जायें।

श्री सदन मोहन उपाध्याय—मैं संशोधन पर ही आ रहा हूं। मैं चाहता था कि मेरे दिल में भी जो गुबार है वह निकल जाये। गवर्नमेंट से तो वे कुछ कह नहीं पाते लिहाजा मुझे ही टार्गेट बनाकर सारा गुस्सा निकाला गया। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि हरिजनों के लिये जो कुछ किया जाय वह सच्ची हमदर्दी के साथ किया जाय। इतना कहने के बाद आगे मैं क्या कहूं, इसको चाहे संशोधन के समर्थन पर समझा जाय या संशोधन के विरोध में, यह मैं माननीय सदस्यों पर छोड़ता हूं। इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि गलत तरीके से इस सदन के अन्दर हरिजनों का प्रचार न किया जाय, इस तरह से काम नहीं चलेगा। सदन के अन्दर जिस तरह से हरिजन भाई चल रहे हैं यह रास्ता गलत है, वह जनता को धोका दे रहे हैं और उसकी तकलीफों को दूर नहीं कर रहे हैं। अगर सचमुच वह हरिजनों का लाभ करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ें और इधर आयें और हरिजनों का उद्धार करें, यही मैं चाहता हूं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मसले पर बहुत देर से विचार हो रहा है। मैंने बहुत ध्यान से पक्ष और विपक्ष की बातों को सुना। पुलिस पर शुबहा करना कि मुमकिन है कि जो यह अख्तियार मिल रहा है उसका वह दुरुपयोग न करे और जिन माननीय सदस्य ने अपने संशोधन को पेश किया है उनको स्वयं पुलिस का अनुभव है, वह कोई इन्सपेक्टर रह चुके हैं, इसलिये वे पुलिस के हथकन्डों को भली प्रकार से जानते हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना यह है कि दुनिया के अन्दर कोई कानून और कायदा ऐसा नहीं बना है कि जिसका कोई न कोई और कुछ न कुछ दुरुपयोग न किया गया हो या न हो सकता हो। लेकिन देखना यह है कि उससे लोगों को फायदा ज्यादा होता है या नुकसान ज्यादा होता है। अगर ज्यादा लोगों को फायदा होता है तो कानून बनाया जाता है और अगर नुकसान है तो कानून नहीं बनाया जाता है। यह हो सकता है कि इसका भी कुछ दुरुपयोग हो लेकिन कांग्रेस सरकार की यह कोशिश होगी कि इसका दुरुपयोग न होने पाये। मेरे दोस्त ने बड़े जोरदार शब्दों में फरमाया कि एक तरफ तो उन लोगों को छोड़ दिया गया, जरायम पेशा के लोगों को आजादी दी गई और फिर दूसरी तरफ कायदे-कानून बनाकर उनको बन्द किया जाने वाला है, यह चाल है और इस पर अफसोस जाहिर किया गया। मैं उनसे अर्ज करता हूं कि अगर सरकार की यह चाल होती तो जरायम पेशा के लोगों को आजाद करने की क्या जरूरत थी। उस कानून को कायम रखा जाता। एक तरफ तो उनको आजाद करें और दूसरी तरफ उनके प्रतिकूल कानून बनायें। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे मित्र का जैसा ख्याल है वह मुझे सही नहीं जंच पड़ता है। इसमें किसी तरह से शुबहे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सरकार ने जरायम पेशा कानून को रद्द किया ताकि फिर किसी को किसी जाति के घर में पैदा होने के कारण न सजा हो, यथानामस्तथागुणः के अनुसार शुबहा करने का पात्र न बन जाय लेकिन जिसको कुछ बुरी आदत पड़ जाती है वह उस काम को अवश्य करने को सोचता है और खासकर आज-कल के जमाने में जबकि गरीबी है और महंगाई है और परेशानी है। इसलिये जहां पर हमारी सरकार ने यह ख्याल किया कि उन लोगों को आजाद किया जाय वहाँ पर यह भी खयाल रखा कि पब्लिक को किसी तरह कष्ट न होने पाये और जनता का नुकसान न हो जाय। अध्यक्ष महोदय, संस्कृत का एक श्लोक है कि:

विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय।
खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय॥

अर्थात् अगर कोई बुरा आदमी विद्वान हो गया तो वह शास्त्रार्थ करके झगड़ा करता है, धनी हो गया तो अभिमान करता है, पहलवान हो गया तो धक्का देकर चलता है और यदि यह बातें किसी अच्छे

आदमी के पास पहुंच जायं तो विद्या ज्ञान के लिये, पैसा दान के लिये, शक्ति रक्षा के लिये होती है और उससे सबको सहायता मिलती है। इसलिये जरायम पेशा कानून को उठा लेने के बाद जनता को शरारत से बचाने के लिये यह कानून बनाया जा रहा है। अब इस पर साम्प्रदायिकता का राग अलापना और जातीयता का प्रश्न उठाना लाभदायक नहीं हो सकता। यहाँ से अब अंग्रेज चला गया जो साम्प्रदायिकता के प्रश्न को उठाया करता था और लोगों की पीठ ठोंका करता था, जिससे स्वार्थी लोग लीडरी हासिल किया करते थे। लेकिन अब वह जमाना चला गया, अब उससे लीडरी मिलने वाली नहीं है। यदि लीडरी की इच्छा है तो जरा मनन कीजिये और अच्छी बात कहिए। अच्छी बातों को हमारी सरकार अवश्य स्वीकार करती है। अभी एक तरमीम स्वीकार की गई है। हमारे विरोधी दल ने भी इस बिल का स्वागत और समर्थन किया है लेकिन हमारे दूसरे भाई इसका बहुत विरोध कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस लें और आईन्दा इस प्रकार की गलती करने की कोशिश न करें।

श्री रामनरेश शुक्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस संशोधन को मैं देखता हूं और अपने पहले भाषणों पर गौर करता हूं तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस सदन में आया संशोधन पर बोला जा रहा था अथवा कोई इस तरह का क्लास हो रहा था जिसमें नैतिकता पर भाषण हो रहे थे। जहाँ तक उपाध्याय जी का सम्बन्ध है उनके विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि उन्होंने स्वयं यह नहीं कहा है, यों जाब्ते से कह दिया कि संशोधन कर रहा हूं, लेकिन जसे कि आखिर में सबकी साफ बुद्धि हो जाती है वैसे ही उन्होंने कह दिया कि मैंने जो कुछ कहा वही कहा और इसी से सदन जो चाहे मतलब निकाल ले। लेकिन प्रस्तावक महोदय का यह कहना कुछ समझ में नहीं आता जब कि हम इसी कानून की ६ और ७ दफाओं को देखते हैं कि जो लोग क्रिमिनल सेटिलमेंट से निकाले हुए होंगे उनको फिर से नोटिस दिया जायगा और उसके बाद सैटिसफेक्शन पर फिर से विचार करेगा। तो अगर माननीय कमला सिंह जी को भ्रम हो गया हो, जैसा कि उनके यह कहने से साबित होता है कि सरकार का मौजूदा कानून उसी पुराने कानून का छोटा भाई है, मैं तो उनसे उम्मीद करता था कि वह बड़ा भाई कहेंगे लेकिन वह इस सरकार को बड़ा किसी तरह से कहने को तैयार नहीं हैं, इसलिये सम्भवतः उन्होंने छोटा भाई कहा है, तो अगर उनका यह ख्याल है कि इस कानून के लागू होते ही सेटिलमेंट के छूटे हुए लोगों को फिर इकट्ठा करके दूसरी जगह बन्द कर दिया जायगा तो यह उनकी गलतफहमी है। आगे की दफाओं में यह साफ कर दिया गया है कि उनको फिर से नोटिस दिया जायगा और उनकी बहुत सी बातों पर विचार किया जायगा कि वह आया तीन बार के अभियुक्त रहे हैं, उन्होंने कहा कि बहुत से सारे जीवन भी रहे होंगे, अगर दस बरस भी रहे होंगे या ५ साल भी मान लीजिए तब भी ३ बरस से ज्यादा का होगा और उन पर लागू ही नहीं होगा। उस वक्त उनका पेशा, उनकी हैसियत और उनकी मनोवृत्ति भी देखी जायगी। तो इस तरह का इन्तजाम आगे की दफाओं में मौजूद है। जैसा कि हमारे वित्त मन्त्री जी ने कहा, इसमें कोई शुभा करने की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय आजकल जरा यह फैशन सा हो गया है कि चाहे कोई छोटी या बड़ी कैसी ही बात हो उसमें संविधान की दुहाई दी जाती है और चाहे कोई उसकी दफा खिलाफ ही पड़ती हो लेकिन संविधान की दुहाई जरूर दी जायगी। जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि वह दफा लागू होने पर उनका इनफ्रिंजमेंट होता है। इसलिये मैं कहूंगा कि उनका अमेन्डमेंट और दलील केवल एक वकील की सी बहस है, जो कहता है कि प्रासिक्यूशन की स्टोरी गलत है और अगर वह बात नहीं मानी जाती है तो कहता है कि सबूत ठीक नहीं है और अगर वह चीज भी नहीं मानी जाती तो कहता है कि सफाई सुनी जाय और वह भी नहीं मानी जाती तो कहता है कि इस पर दया की जाय। आप के सब संशोधन ऐसे ही रहे कि कहीं सिमिलर आफेन्स बढ़ा दिया जाय, कहीं १८ साल से कम की बात हो और अब आखिर में यह संशोधन भी आप इसी तरह का लाये हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा और जैसा कि कुछ माननीय मित्रों ने कहा कि यह तो

[श्री रामनरेश शुक्ल]

एक प्रिवेन्टिव कानून है और इसके द्वारा हम मरीज को अच्छा करना चाहते हैं और यह जरूरी नहीं है कि हम इस फिक्र में रहें कि जब मर्ज बढ़ जाय तब कुछ करें कि तीन साल के बजाय ५ साल रखा जाय। अथवा इसकी भी जरूरत नहीं है कि एक किस्म का मरीज है जो किसी अस्पताल में रहा है और उसका मर्ज अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि वह अस्पताल में रह चुका है तो उसे बाहर आने की आजादी है, जिससे कि वह खुद तो मरीज है ही और अपने मर्ज से छुआछूत फैलाकर समाज को भी बरबाद कर दे। इसलिये मैं आपके द्वारा उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसे मरीजों की दवा करवायें और कृपा करके अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं आपकी आज्ञा से एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं चूंकि मैं ब्रीच आफ प्रिविलेज के प्रश्न में मग्न था इसलिये गलती से मैंने अपने पहले भाषण में इसी संशोधन को दृष्टि में रखते हुए भाषण दे दिया। इसलिये मैं सदन से प्रार्थी हूं और मुझे आशा है कि मैं भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करूंगा। तो इसी के कन्टीन्यूएशन में मैं यह कहना चाहता हूं कि विधान का प्रश्न जो माननीय मन्त्री जी ने उठाया था ....।

अध्यक्ष--क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन पर पहले एक दफा भाषण दे चुके हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--इसी संशोधन को दृष्टि में रखते हुए मैंने भाषण दिया है। उसका मैं जरा स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं और उसके लिये मैं आपसे माफी माँगता हूं।

अध्यक्ष--आप माननीय सदस्यों से कह सकते हैं कि वे आप के पहले किये हुए भाषण को इसी संशोधन पर किया हुआ भाषण समझें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इसीलिये मैंने स्पष्टीकरण कर दिया कि उसे इसी संशोधन पर किया हुआ भाषण समझा जाय। इसके लिये मैं आपसे माफी माँगता हूं। इसके बाद विधान का प्रश्न जो माननीय मन्त्री जी ने उठाया था.. ..

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम--मैंने कोई प्रश्न नहीं उठाया था।

अध्यक्ष--माननीय मन्त्री ने नहीं बल्कि पहले दूसरों ने उठाया था। उसके ऊपर उन्होंने यह जिक्र किया कि अगर वह आक्षेप नहीं मन्जूर हुआ तो कम से कम यह सदन यह गलती न करे कि वही बात कहीं इस तरह से मन्जूर हो। इसलिये उन्होंने कमेंट किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी--तो विधान के अनुसार भी अगर यह संशोधन मान लें तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जायगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं अपनी राय दे रहा हूं। मेरी राय के अनुसार अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो विधान के अनुसार यह डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होगा। चूंकि विधान की जो धारा १५ है वह इस प्रकार है --

"The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them."

[राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।]

उसके अगेन्स्ट हम तो फेवर करते हैं और इसलिये फेवर करते हैं कि वे पिछड़ी हुई जातियाँ हैं और उनको हम इस संशोधन द्वारा स्वतन्त्र नागरिकों के जीवन स्तर पर लाना चाहते हैं। जो संशोधन आया है उसमें कहीं भी जरायम पेशा व्यक्तियों का जिक्र नहीं है बल्कि स्पष्टतः यह लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अपराधशील हो और ३१ अगस्त

को छोड़ा गया हो । इसमें अपराधशील जाति शब्द इस्तेमाल किया गया है । इसका अर्थ केवल यह है कि ३१ अगस्त, १९५२ ई० को जो सेटिलमेंट से छोड़ा गया हो उसे सेटिलमेंट में सुधार करने के लिये फिर दोबारा न भेजा जाय । अगर एक अपराधशील व्यक्ति है जो सेटिलमेंट के अन्दर दो तीन साल तक रहा हो उसे फिर दोबारा दन्ड देने पर सेटिलमेंट में रखा जाय यह अनुपयुक्त होगा । यह विधान के अनुसार नहीं है और जो इस विधेयक की मन्शा है उसके अनुसार भी नहीं है । मान लीजिए कि एक अपराधशील जाति का व्यक्ति है जो तीन साल तक या उससे ज्यादा सेटिलमेंट में रह चुका है और सुधर भी चुका है तो उसको फिर इस विधेयक के अनुसार सेटिलमेंट में रखना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है । इस लिये इसको स्वीकार करने में माननीय मन्त्री जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

श्री कमला सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी शुक्ल जी ने यह बतलाया कि धारा ६, ७ के मुताल्लिक यह दिया हुआ है कि मैजिस्ट्रेट उनको नोटिस देगा । ऐसे अपराधी जो सेटिलमेंट में नहीं हैं, लेकिन पहले तीन अपराध कर चुके हैं, उनको मैजिस्ट्रेट के पास आज्ञा लेने के लिये आना होगा और वे उन पर विचार करेंगे तब अपनी आज्ञा उन पर लागू होने के लिये या न लागू होने के लिये आदेश देंगे । इसके मुताल्लिक मैं और जवाब देने के पहले इस सदन का ध्यान धारा ४ के खंड २ की तरफ दिलाना चाहता हूं, उसमें लिखा है--

"उपधारा १ के अन्तर्गत जिस व्यक्ति के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया हो वह निम्नलिखित आधारों में से किसी एक आधार पर ही नोटिस का प्रतिवाद कर सकता है"

धारा ७ में दिया हुआ है :--

"प्रतिबन्ध आज्ञा देते समय जिला मैजिस्ट्रेट निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा:--

(१) उन अपराधों का प्रकार जिनके लिये अभ्यस्त अपराधी अभिशस्त हुआ था और वे परिस्थितियां जिनमें वे अपराध किये गये हों ।

(२) उस क्षेत्र की उपयुक्तता जिसमें उसकी गतिविधि सीमित की जाने वाली हो ।"

इस सदन के सामने मैंने माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाया था कि यह जरूरी है कि पुलिस को या मैजिस्ट्रेट को आदेश दें कि पहले इस बात की जाँच करा लें कि वह अभियुक्त या वह व्यक्ति जिसके खिलाफ हम नोटिस दे रहे हैं वह नाबालिग है या नहीं । वह भी हमारे माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार नहीं किया और उसके स्वीकार न करने से जो नाबालिग था जिसके पास पैसा नहीं था और उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं था वह भी अपने स्थान से अदालत भेजा गया और सरकार के पास सिविल सर्जन है, पुलिस है, रिकर्ड है लेकिन इतना भी सरकार ने नहीं गवारा किया कि इस बात की जाँच पन्चायत के द्वारा या सिविल सर्जन के द्वारा पहले से करा लिया जाय ताकि उस अभियुक्त को अपना डिफेन्स पेश करने में दिक्कत न हो या वह सचमुच अपराधी न हो, तो वह बरी कर दिया जाय, इतना भी गवारा हमारे मन्त्री जी ने नहीं किया । साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि धारा ४ (२) में क, ख, ग, तीन धारायें हैं जिनमें यह है कि जिसके खिलाफ नोटिस दिया गया उसको यह भी मौका नहीं दिया गया और धारा ७ में दिया गया है कि सबूत अपने बचने के लिये पेश कर सके जबकि हमारे माननीय मन्त्री जी इस विचार के हैं कि हम किसी भी ऐसे नाबालिग को काफी मदद न कर सके और उस नाबालिग को मौका नहीं दे सके कि उसके खिलाफ किसी ऐसे प्रकार की कार्यवाही न हो । जब वे यह भी गवारा नहीं कर सके तब धारा ७ के अन्दर कैसे मैजिस्ट्रेट इस बात को गवारा करेगा, यह मेरी समझ में नहीं आया । दूसरी चीज जो इस सदन के माननीय सदस्यों को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैजिस्ट्रेट जिसके सामने वह व्यक्ति आयेगा उसके सामने सिवाय इन तीन धाराओं के और कोई भी सबूत ऐसा नहीं है जिसके जरिये से वह इस बात की जाँच कर सके कि कोई अभ्यस्त

[श्री कमला सिंह]

अपराधी है या नहीं। यदि आप देखें तो अभ्यस्त अपराधी की जो परिभाषा दी गई है वहाँ सिर्फ तीन बातें दी गईं यानी तीन पहले का कनविक्शन दर्ज किया गया है या नहीं। अगर यह बात मैजिस्ट्रेट के सामने रखी जाये तो मैं नहीं समझता कि वह किसी प्रकार भी खयाल करेगा कि उसको मौका दिया जाय या उसकी जाँच हो। यदि आप धारा ४ को देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि वह नोटिस देगा लेकिन उस नोटिस का आधार क्या होगा यह भी उसमें लिंक नहीं है और साथ ही साथ अगर आप देर तक देखें जहाँ तक उसकी आज्ञा का ताल्लुक है उसमें यह लिखा है, १८ में दिया हुआ है कि इसकी प्रोसीडिंग्ज समन्स केस की तरह होंगी। समन्स केस में क्या होता है? उसमें मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा हो जायगा। वह पूछेगा कि अभ्यस्त अपराधी हो? वह कहेगा, जी नहीं या जी हाँ। अगर हाँ कहता है तो कनविक्शन हो जाता है। और अगर नहीं कहता है तो एक दो सबूत लेगा और उसका कनविक्शन हो जायगा। ऐसे आदमी को जिसने कोई कुसूर नहीं किया है। उसका कुसूर क्या है वह धारा ३ में जो आज्ञाएं जारी की गयी हैं उनका उल्लंघन करता है यानी उसको यह आदेश दिया गया है कि तुम सरटेन एरिया में अपने को सीमित रखो यानी पीरियाडिकली या इतने समय के बाद फलाँ अधिकारी को सूचना दो कि यहाँ पर मैं हूं। यही उसका अपराध है जिसके कारण उसको यह सख्त सजा दी जाती है कि उसको तीन साल तक सेटेलमेंट में रखा जाय। तो मैं नहीं समझता कि यह न्यायसंगत है। फिर भी अगर उसे अपील करने का मौका होता तब मैं मान सकता था कि अगर मैजिस्ट्रेट ने कोई गलती की तो उसकी जाँच हो सकती थी और वह व्यक्ति जो इस विधेयक का शिकार किया गया है उससे बच सकता। लेकिन जब उसको अपील करने का भी मौका नहीं दिया गया तो मैं नहीं समझता कि कहाँ तक ऐसे लोगों की भलाई हो सकेगी।

अध्यक्ष--आप अपने संशोधन पर आ जायं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि पाँच मिनट पहले यह कार्यक्रम बन्द हो सके। उसके बाद माननीय वित्त मंत्री अनूपूरक अनुदानों के लिये मांगें पेश करेंगे।

श्री कमला सिंह--तो जहाँ तक इस अमेंडमेंट का सवाल है अगर आप इस अमेंडमेंट को लेते हैं तो सी० टी० ऐक्ट के जितने लोग हैं सब नहीं आते हैं। बल्कि इस विधेयक का खास उद्देश्य है कि लोगों का सुधार करने के लिये कनफाइनमेंट या सेटेलमेंट में रखा जायगा। जब उनका वैसा ही सुधार करना है जैसा कि उनका एक बार सुधार हो चुका है तो ऐसी हालत में उन लोगों के ऊपर नोटिस दी जाय और कालोनीज या सेटेलमेंट्स में फिर रखा जाय यह न्यायसंगत नहीं है।

ऐसी हालत में जबकि माननीय मंत्री जी ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जो संतोष-जनक हो मैं अपने संशोधन पर जोर देता हूं।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) (ग) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाए--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अपराधशील जातीय क़ानून (Criminal Tribes Act, 1924) के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति Settlement में रखा गया हो और ३१ अगस्त, १९५२ को रिहा किया गया हो तो जब तक वह अनूसूची में उल्लिखित पृथक-पृथक तीन अपराध के अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रचलित होने के पश्चात् कारावास का दंड न पाया हो तो अभ्यस्त अपराधी न समझा जायगा"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---१६
विपक्ष में---१८१)

श्री कमला सिंह--मैं दस्तखत लेकर डिवीजन चाहता हूं।

अध्यक्ष--डिवीजन को अवाइड (avoid) मैंने किया है। १८८ नियम देख लीजिये, उसकी आवश्यकता नहीं है।

वित्तीय वर्ष, १९५२-५३ के अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगें

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जनाब वाला, मैं वित्तीय वर्ष सन्, १९५२-५३ ई० के अनुपूरक अनुदानों के लिये माँगें उपस्थित करता हूं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलाशचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२४ सितम्बर, १९५२

परिशिष्ट 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०२ पर)

पंचायत राज इन्सपेक्टर्स के प्रथम चुनाव के लिये निर्धारित की गई योग्यतायें निम्न प्रकार हैं —

(क) उम्मीदवार का हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट बोर्ड की इन्टरमीडिनेट परीक्षा हिन्दी विषय के साथ अथवा सरकार द्वारा मान्य अन्य समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि हिन्दी भाषा इन्टरमीडियेट परीक्षा का एक विषय न रहा हो तो हाई स्कूल परीक्षा का विषय हिन्दी अवश्य होना चाहिये।

(ख) जिस उम्मीदवार ने निम्नांकित परीक्षाओं में से एक को और हाई स्कूल परीक्षा अंग्रेजी विषय के साथ पास की हो या अंग्रेजी भाषा को ऐच्छिक विषय के रूप में लेकर निम्नांकित परीक्षाओं से किसी एक को पास किया हो तो ऐसी योग्यता प्रस्तर 'क' में निर्धारित न्यूनतम योग्यता के समकक्ष मानी जायेगी —

(१) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, की मध्यमा परीक्षा।
(२) काशी विद्यापीठ की शास्त्री परीक्षा।
(३) गुरुकुल काँगड़ी की विद्या विनोद परीक्षा।
(४) क्वीन्स संस्कृत कालेज की मध्यमा परीक्षा।

आयु—२२ वर्ष से कम और ३५ वर्ष से अधिक न हो। सरकारी तथा स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारी ४५ वर्ष तक की आयु के लिये जा सकेंगे। देश की सेवा में त्याग की, और कष्ट पाये हुये व्यक्तियों के लिये आयु की चरमसीमा चार वर्ष अधिक होगी।

निवासी :—उम्मीदवार उत्तर प्रदेश अथवा बनारस, रामपुर या टेहरी-गढ़वाल की रियासत का निवासी हो।

उम्मीदवार को ग्रामीण जीवन और समाज सेवा कार्य का भी अनुभव होना चाहिये।

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०२ पर)

पंचायती अदालत खांजो निरीक्षक क्षेत्र, नाथ नगर के अन्तर्गत विचाराधीन वादों का विवरण

क्रम-संख्या	कब से चल रहे हैं	फौजदारी	दीवानी	माल	अन्य विवरण
१	सितम्बर, १९५२ से	१	..	..	..
२	अगस्त, १९५२ से	५	..	..	
३	जुलाई, १९५२ से	२	१	८	४ स्थगित हैं
४	जून, १९५२ से	२	१	..	..
५	अप्रैल, १९५२ से	..	१	..	..
६	फरवरी, १९५२ से	१	..	..	..
७	जनवरी, १९५२ से	४	..	..	..
८	दिसम्बर, १९५१ से	..	१	..	..
९	नवम्बर, १९५१ से	१	..	..	..
१०	सितम्बर, १९५१ से	१	..	..	..
११	अगस्त, १९५१ से	..	१	..	..
१२	जुलाई, १९५१ से	..	..	३	..
१३	अप्रैल, १९५१ से	२	..	..	..
१४	फरवरी, १९५१ से	१	..	..	..
१५	जनवरी, १९५१ से	१	..	..	..
१६	नवम्बर, १९५० से	२	..	..	..
१७	अक्तूबर, १९५० से	२	..	..	..
१८	सितम्बर, १९५० से	३	..	३	..

क्रम-संख्या	कब से चल रहे हैं	फौजदारी	दीवानी	माल	अन्य विवरण
१९	अगस्त, १९५० से ..	१	..	..	..
२०	जुलाई, १९५० से ..	१	..	३	..
२१	अप्रैल, १९५० से ..	..	..	३	..
२२	मार्च, १९५० से ..	४	..	२	..
२३	फरवरी, १९५० से ..	१	..	२	..
	योग ..	३५	५	२४	..

नत्थी 'ग'

(देखिए ताराँकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०३ पर)

विज्ञप्तियों की अनुसूची जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ टाउन एरिया क्षेत्रों में लागू है ।

क्रम संख्या	जिला	टाउन एरिया	धाराओं का लागू होना	विज्ञप्ति तथा तिथि	विशेष विवरण
१	देहरादून	राजपुर ..	सम्पूर्ण धारायें ..	२८९६/२९-बी (डी) -८/४६, १७ दिसम्बर, १९४६ ई० ।	
२	सहारनपुर	नाकुर ..	,, ..	४१६/जी० ई० ओ०-६१/१९४९, २८ अप्रैल १९४९ ई० ।	
		अम्बेहता ..	२, ३, ३-ए, ४, ५, ६ व ८, ११, १२, १४, १५ एवं १६ धारायें	२२४५/जी० ई० ओ०-७२०/४९, ८ सितम्बर, १९४९ ई० ।	
		सुल्तानपुर चिलहना	,, ..	,,	
		जबरेरा	,, ..	,,	
		रामपुर ..	,, ..	,,	
		तित्रान ..	,, ..	,,	
३	मुजफ्फरनगर	शामली ..	सम्पूर्ण ऐक्ट ..	२८९६/२९-बी (डी) -८/४६, १७ दिसम्बर, १९४६ ई० ।	
		खतौली	२, ३, ३-ए, ४, ५, ६, ८, ११, १२, १४, १५ एवं १६ धारायें	२२४५/जी० ई० ओ०-७२०/४९, ८ सितम्बर, १९४९ ई०	
		बुधना ..	,, ..	,,	
		चार्थावाल ..	,, ..	,,	
		जलालाबाद ..	,, ..	,,	
		जानसठ ..	,, ..	,,	
		झिनझाना ..	,, ..	,,	
		मीरनपुर ..	,, ..	,,	
		पुरकाजी ..	,, ..	,,	
		शाहपुर ..	,, ..	,,	
		थान भावन ..	,, ..	,,	
		सिसौली ..	,, ..	,,	

क्रम-संख्या	जिला	टाउन एरिया	धाराओं का लागू होना	विज्ञप्ति तथा तिथि	विशेष विवरण
४	मेरठ ..	सरधना ..	सम्पूर्ण ऐक्ट ..	११९/२९-बी (डी) ८-४६, १२ मार्च, १९४७ ई० ।	
		अब्दुल्लापुर ..	२, ३, ३-ए, ४, ५, ६, ८, ११, १२, १४, १५ एवं १६ धारायें	२२४५/जी० ई० ओ०-७२०/४९, ८ सितम्बर, १९४९ ई० ।	
		बक्सर खेरा ..	,, ..	,,	
		अमीनगर सराय	,, ..	,,	
		छपरौली	,, ..	,,	
		करीदनगर ..	,, ..	,,	
		गढ़मुक्तेश्वर ..	,, ..	,,	
		कनकार खेरा	,, ..	,,	
		खेकरा ..	,, ..	,,	
		लेवरर खास ..	,, ..	,,	
		मुरादनगर ..	,, ..	,,	
		परीक्षतगढ़ ..	,, ..	,,	
		कलौदा ..	,, ..	,,	
		मोदीनगर ..	,, ..	,,	
		बाबूगढ़ ..	,, ..	,,	
५	बुलन्दशहर	औरंगाबाद ..	सम्पूर्ण ऐक्ट ..	४५६/२९-बी० डी०-८/४६, १७ अप्रैल, १९५० ई०	
		छतरी ..	,, ..	,,	
		चनगौद ..	,, ..	,,	
		गुठौली ..	,, ..	,,	
		जहाँगीराबाद ..	,, ..	,,	
		जेवार ..	,, ..	,,	
		महासू ..	,, ..	,,	
		शिकारपुर ..	,, ..	,,	
		सिआना ..	,, ..	,,	
		दादरी ..	,, ..	,,	
		रबुपुरा ..	,, ..	,,	
		बिलासपुर	,, ..	,,	
		काकौर ..	२, ३, ३-ए, ४, ५, ६, ८, ११, १२, १४, १५ एवं १६ धारायें	२२४५/जी० ई० ओ०-७२०-४९, ८ सितम्बर, १९४९ ई०	

क्रम-संख्या	जिला	टाउन एरिया	धाराओं का लागू होना	विज्ञप्ति तथा तिथि	विशेष विवरण
६	अलीगढ़ ..	सासनी	.. सम्पूर्ण ऐक्ट	.. ७२०२/जी० ई० ओ० -८/४६,२४, दिसम्बर १९४८ ई०	
	मुरसान	..	,,	.. ८३२/जी० ई० ओ०- ६१/४९, १२ मई, १९४९ ई०।	
	सेयर	..	,,	.. १४१०/जी० ई० ओ०- ६१/४९, २२ जून, १९४९ ई०	
	वैस्त्रान	..	२, ३, ३-ए, ४, ५, ६, ८, ११, १२, १४, १५ एवं १६ धारायें	२२४५/जी० ई० ओ०- ७२०/४९, ८ सितम्बर, १९४९ई०।	
	बीजागढ़	..	,,	.. ,,	
	छर्रा	..	,,	.. ,,	
	हरदूगंज	..	,,	.. ,,	
	इसावन	..	,,	.. ,,	
	जलाली	..	,,	.. ,,	
	कौरियागंज	..	,,	.. ,,	
	मैन्डू	..	,,	.. ,,	
	पिलखाना	..	,,	.. ,,	
	पुदिलनगर	..	,,	.. ,,	
७	मथुरा ..	बलदेव	.. ,,	.. ,,	
		फर्राह	.. ,,	.. ,,	
		गोकुल	.. ,,	.. ,,	
		महाबन	.. ,,	.. ,,	
		राया	.. ,,	.. ,,	
		सादाबाद	.. ,,	.. ,,	
		साहपानू	.. ,,	.. ,,	
		सोंख	.. ,,	.. ,,	
		राधाकुन्ड	.. ,,	.. ,,	
८	आगरा ..	अचनेरा	.. ,,	.. ,,	
		बाह	.. ,,	.. ,,	
		फतेहाबाद	.. ,,	.. ,,	
		इतमादपुर	.. ,,	.. ,,	
		जगनेर	.. ,,	.. ,,	
		टून्डला	.. ,,	.. ,,	
		पिनहट	.. ,,	.. ,,	
		समशाबाद	.. ,,	.. ,,	

क्रम-संख्या	जिला	टाउन एरिया	धाराओं का लागू होना	विज्ञप्ति तथा तिथि	विशेष विवरण
९	सैनपुरी ..	सिरसागंज तथा २ मील का क्षेत्र	२, ३, ३-ए, ४, ५, ६, ८, ११, १२, १४, १५ एवं १६ धारायें	१०७९ जी० ई० ओ०-६९/४९, ३० जून, १९४९ ई०	
	भोनगाँव ..	,, ..		२२४५/जी० ई० ओ०-७२०/४९, ८ सितम्बर, १९४९ ई० ।	
	करहल ..	,, ..		,,	
	करौली ..	,, ..		,,	
	फरहा ..	,, ..		,,	
	जेवार ..	,, ..		,,	
	जासरान ..	,, ..		,,	
१०	एटा ..	अलीगंज ..	,, ..	,,	
		अमनपुर ..	,, ..	,,	
		आवागढ़ ..	,, ..	,,	
		बिलराम ..	,, ..	,,	
		मोहनपुर ..	,, ..	,,	
		निधौली ..	,, ..	,,	
		पटियाली ..	,, ..	,,	
		रामपुर ..	,, ..	,,	
		शाहवार ..	,, ..	,,	
		सकित ..	,, ..	,,	
११	बरेली ..	फरीदपुर	,, ..	,,	
		फतेहगंज ..	,, ..	,,	
		रिछा ..	,, ..	,,	
		सरौली ..	,, ..	,,	
		सेन्थाल ..	,, ..	,,	
		शाही ..	,, ..	,,	
		शीशगढ़ ..	,, ..	,,	
		नवाबगंज ..	सम्पूर्ण ऐक्ट ..	३६४/जी० ई० ओ०-६१/४९, ८ अप्रैल, १९४९ ई० ।	

क्रम-संख्या	जिला	टाउन एरिया	धाराओं का लागू होना	विज्ञप्ति तथा तिथि	विशेष विवरण
१२	बिजनौर ..	किरातपुर ..	सम्पूर्ण ऐक्ट ..	८०५/२९-बी० (डी)-८/४६, २२ जनवरी, १९४७ ई० ।	
		हलद्दौर ..	धारा ३ ..	७२०२ जी० ई० ओ०-८/४६, २४ दिसम्बर, १९४८ ई० ।	
		शिवहारा ..	२, ३, ३-ए, ४, ५, ६, ८, ११, १२, १४, १५ एवं १६ धारायें	९८०/जी० ई० ओ०-६१/४९, ३० जून, १९४९ ई० ।	
		अफजलगढ़ ..	,, ..	२२४५/जी० ई० ओ०-७२०४/४९, ८ सितम्बर, १९४९ ई० ।	
		झालू ..	,, ..	,,	
		मानदायर ..	,, ..	,,	
		शेरकोट ..	,, ..	,,	
१३	बदायूं .	आलापुर ..	,, ..	,,	
		गुन्नौर ..	,, ..	,,	
		इस्लामनगर ..	,, ..	,,	
		मुन्रिआ ..	,, ..	,,	
		उसेहत ..	,, ..	,,	
		गाबान ..	,, ..	,,	
		सिसौली ..	धारा ३ ..	७२०२/जी० ई० ओ०-८/४६, २४ दिसम्बर, १९४८ ई० ।	
		दातागंज ..	सम्पूर्ण ऐक्ट ..	३६४/जी० ई० ओ०-६१/४९, ८ अप्रैल, १९४९ ई० ।	
१४	मुरादाबाद	बछरावां ..	२, ३, ३-ए, ४, ५, ६, ८, ११, १२, १४, १५ एवं १६ धारायें	२२४५/जी० ई० ओ०-७२०/४९, ८ सितम्बर, १९४९ ई० ।	
		सिरसी ..	,, ..	,,	
		ननगवां सादात	,, ..	,,	
		बहजोई ..	सम्पूर्ण ऐक्ट ..	६५८/जी० ई० ओ०-६१/४९, ७ फरवरी, १९४९ ई० ।	
		बिलारी ..	,, ..	,,	
		ठाकुरद्वारा ..	,, ..	,,	
		कांथ ..	,, ..	६५५/जी० ई० ओ०-६१-४९, ४, मई, १९४९ ई० ।	
		कान्धारकी ..	,, ..	,,	

क्रम-संख्या	जिला	टाउन एरिया	धाराओं का लागू होना	विज्ञप्ति तथा तिथि	विशेष विवरण
१५	शाहजहांपुर	जलालाबाद ..	२, ३, ३-ए, ४, ५, ६, ८, ११, १२, १४, १५ एवं १६ धारायें	२२४५/जी० ई० ओ०,-७२०/४९, ८ सितम्बर, १९४९ ई० ।	
		मिरानकटरा ..	,, ..	,,	
		पाबायाम ..	,, ..	,,	
१६	पीलीभीत	बिलसान्डा ..	,, ..	,,	
		मेउरिया हुसेनपुर	,, ..	,,	
		पुरानपुर ..	,, ..	,,	
१७	रामपुर ..	..	..	..	
१८	फर्रुखाबाद	छिबरामऊ ..	२, ३, ३ए, ४, ५, ६, ८, ११, १२, १४, १५ एवं १६ धारायें	२२४५/जी० ई० ओ०-७२०/४९, ८ सितम्बर, १९४९ ई० ।	
		गंजतिरवा ..	,, ..	,,	
		समसाबाद ..	,, ..	,,	
		तालग्राम ..	,, ..	,,	
		कमालगंज ..	,, ..	,,	
१९	इटावा ..	लखना ..	,, ..	,,	
		फफूंद ..	,, ..	,,	
		इकडिल ..	,, ..	,,	
२०	कानपुर ..	बिल्हौर ..	,, ..	,,	
	..	बिठूर ..	,, ..	,,	
		झीनझाक ..	,, ..	,,	
		पोखरायन ..	,, ..	,,	
२१	फतेहपुर ..	किशनपुर ..	,, ..	,,	
		सभगा ..	,, ..	,,	
२२	इलाहाबाद	भारतगंज ..	,, ..	,,	
		झूसी ..	,, ..	,,	
		मउआइमा ..	,, ..	,,	
		सिरसा ..	,, ..	,,	
		सराय आकिल ..	,, ..	,,	

क्रम-संख्या	जिला	टाउन एरिया	धाराओं का लागू होना	विज्ञप्ति तथा तिथि	विशेष विवरण
२३	झांसी ..	भारत नगर ..	२, ३, ३-ए, ४, ५, ६,	२२४५/जी० ई० ओ०-	
		गुरसराय ..	८, ११ व १२, १४,	७२०/४९, ८ सितम्बर,	
		महरौनी ..	१५ एवं १६ धारायें	१९४९ ई०।	
		रानीपुर ..	,, ..	,,	
		तालबिहात	,, ..	,,	
		मोठ ..	,, ..	८११/जी० ई० ओ०-	
				६१/४९, १३ मई,	
				१९४९ ई०।	
		चिरगांव ..	सम्पूर्ण ऐक्ट ..	६५८५/जी० ई० ओ०-	
				८/४६, १० नवम्बर,	
				१९४९ ई० ।	
२४	जालौन ..	माधोगढ़ ..	२, ३, ३-ए, ४, ५, ६,	२२४५/जी० ई० ओ०-	
			८, ११, १२, १४, १५	७२०/४९, ८ सितम्बर.	
			एवं १६ धारायें	१९४९ ई० ।	
२५	बांदा ..	अतर्रा ..	सम्पूर्ण ऐक्ट	४२६/जी० ई० ओ०-	
				६१/४९, २२ अप्रैल,	
				१९४९ ई० ।	
		राजापुर ..	२, ३-३-ए, ४, ५, ६, ८,	२२४५/जी० ई० ओ०-	
			११, १२, १४, १५	७२०/४९, ८ सितम्बर,	
			एवं १६ धारायें	१९४९ ई० ।	
		सीतापुर	,, ..	,,	
		नरैनी ..	,, ..	,,	
२६	हमीरपुर ..	हमीरपुर ..	सम्पूर्ण ऐक्ट ..	११६२/२९-बी (डी)	
				८/४६, ८ फरवरी,	
				१९४७ ई० ।	
		भौदाहा ..	,, ..	८८/२९-बी (डी)	
				८/४६, २३ दिसम्बर,	
				१९४७ ई० ।	
		सुमेरपुर ..	२, ३, ३-ए, ४,५, ६, ८,	२२४५/जी० ई० ओ०-	
			११, १२, १४, १५,	७२०/४९, ८ सित-	
			एवं १६ धारायें	म्बर, १९४९ ई० ।	
२७	बनारस ..	गंगापुर ..	,, ..	,,	
		शिवपुर ..	,, ..	,,	

क्रम-संख्या	जिला	टाउन एरिया	धाराओं का लागू होना	विज्ञप्ति तथा तिथि	विशेष विवरण
२८	मिर्जापुर	चुरावल	.. २, ३, ३-ए, ४, ५, ६,	२२४५/जी० ई० ओ०-	
		कछवा	.. ८, ११, १२, १४,	७२०/४९, ८ सित-	
			१५, एवं १६ धाराएं	म्बर १९४९ ई०।	
		राबर्ट्सगंज	.. ,,	.. १३८६/जी० ई० ओ०	
				६१/४९, ९ जुलाई,	
				१९४९ ई०।	
२९	जौनपुर	केराकत	.. ,,	.. २२४५/जी० ई० ओ०-	
				७२०/४९, ८ सित-	
				म्बर, १९४९ ई०।	
		मछलीशहर	.. ,,	.. ,,	
		मड़ियाहू	.. ,,	.. ,,	
		जाफराबाद	,,	.. ,,	
३०	गाजीपुर	मोहम्मदाबाद	सम्पूर्ण ऐक्ट	६१९५/जी० ई० ओ०-	
				८/४६, १३ नवम्बर,	
				१९४८ ई०।	
		सैदपुर	.. ,,	.. ,,	
		जमानिया	,,	.. ,,	
		बहादुरगंज	.. ,,	.. ,,	
३१	बलिया	बांसडीह	.. २, ३, ३-ए, ४, ५, ६, ८,	२२४५/जी० ई० ओ०	
			११ व १२, १४, १५,	७२०/४९, ८ सित-	
			एवं १६ धारायें	म्बर, १९४९ ई०।	
		बड़ागांव	.. ,,	.. ,,	
		मैनार	,,	.. ,,	
		रिउटी	.. ,,	.. ,,	
		शाहतवार	,,	.. ,,	
		सिकन्दरपुर	.. ,,	.. ,,	
३२	गोरखपुर	बरहलगंज	.. ,,	.. ,,	
		कोला	.. ,,	.. ,,	
		लार	.. ,,	.. ,,	
		पिपराइच	.. ,,	.. ,,	
		रामपुर	.. ,,	.. ,,	
		रुद्रपुर	.. ,,	.. ,,	
		सिसवा बाजार	,,	.. ,,	
		कैप्टनगंज	.. ,,	.. ,,	
		नौतनवा	.. ,,	.. ,,	
३३	देवरिया	..	.. ..	..	

क्रम-संख्या	जिला	टाउन एरिया	धाराओं का लागू होना	विज्ञप्ति तथा तिथि	विशेष विवरण
३४	बस्ती ..	मेंहदावल ..	२, ३, ३-ए, ४, ५, ६, ८, ११, १२, १४, १५ एवं १६ धारायें	२२४५/जी० ई० ओ०-७२०/४९, ८ सितम्बर, १९४९ ई० ।	
३५	आजमगढ़	अतरौलिया	,, ..	,,	
		दोहरीघाट ..	,, ..	,,	
		कोपागंज ..	,, ..	,,	
		मोहम्मदाबाद ..	,, ..	,,	
		फूलपुर ..	,, ..	,,	
		सराय-मीर ..	,, ..	,,	
		निजामाबाद ..	,, ..	,,	
		अमिला ..	,, ..	,,	
		मुबारकपुर ..	,, ..	,,	
३६	अलमोड़ा ..	..	..	.	
३७	नैनीताल	जासपुर यूनियन	२, ३, ३-ए, ४, ५, ६, ८, ११, १२, १४ एवं १६ धारायें	२२४५/जी० ई० ओ०-७२०/४९, ८ सितम्बर, १९४९ ई० ।	
		भीमताल ..	सम्पूर्ण ऐक्ट ..	२३५८/बी० (डी) ८/४६, १६ जुलाई, १९४७ ई० ।	
३८	गढ़वाल ..	दुग डुा ..	,, ..	११६२/बी० (डी०) ८/४६, ८ फरवरी, १९४७ ई० ।	
		श्रीनगर ..	,, ..	१५६४/२९-बी (डी) ८/४६, १७ जुलाई, १९४७ ई० ।	
३९	टेहरी-गढ़वाल उत्तर काशी		,, ..	५६४/जी० ई० ओ०-६१/४९, १५ अप्रैल, १९५० ई० ।	
४०	लखनऊ ..	अमेठी ..	२, ३, ३-ए, ४, ५, ६, ८, ११, १२, १४, १५ एवं १६ धारायें	२२४५/जी० ई० ओ०-७२०/४९, ८ सितम्बर, १९४९ ई० ।	
		काकोरी ..	,, ..	,,	
		मलिहाबाद ..	,, ..	,,	
		गोसाईगंज ..	,, ..	,,	

क्रम-संख्या	जिला	टाउन एरिया	धाराओं का लागू होना	विज्ञप्ति तथा तिथि	विशेष विवरण
४१	उन्नाव ..	बांगरमऊ ..	२, ३, ३–ए, ४, ५, ६, ८, ११, १२, १४, १५ एवं १६ धारायें	२२४५/जी० ई० ओ०–७२०/४९, ८ सितम्बर, १९४९ ई० ।	
		भगवन्तनगर ..	,,	.. ,,	
		शाकोपुर ..	,,	.. ,,	
		मौरावाँ ..	,,	.. ,,	
४२	रायबरेली	डलमऊ	,,	.. ,,	
		लालगंज ..	,,	.. ,,	
		महाराजगंज ..	,,	.. ,,	
		जायस ..	,,	.. ,,	
		बछरावां ..	,,	.. ,,	
४३	सीतापुर ..	लहरपुर ..	,,	.. ,,	
४४	हरदोई ..	मालावान* ..	,,	.. ,,	
		पालेखास ..	,,	.. ,,	
		बेनीगंज ..	,,	.. ,,	
		माधोगंज ..	,,	.. ,,	
४५	खेरी	खेरी ..	२, ३, ३–ए, ४, ५, ६, ८, ११, १२, १४, १५ एवं १६ धारायें	२२४५/जी० ई० ओ०–७२०/४९, ८ सितम्बर, १९४९ ई० ।	
		ओयल ..	,,	.. ,,	
		पलिया ..	,,	.. ,,	
४६	फैजाबाद	अकबरपुर ..	,,	.. ,,	
		भदारस ..	,,	.. ,,	
		गोसाईगंज ..	,,	.. ,,	
		जलालपुर ..	,,	.. ,,	
४७	गोंडा ..	कब्रा ..	,,	.. ,,	
		खड़गपुर .	,,	.. ,,	
४८	बहराइच ..	..	..	.	
४९	सुल्तानपुर	..	..	..	

*नोट :—ऐक्ट विज्ञप्ति सं० १०८०/बी० ओ० एम०-३२०/४८, दिनांक ५ जून, १९५२ ई० द्वारा हटा लिया गया ।

क्रम-संख्या	जिला	टाउन एरिया	धाराओं का लागू होना	विज्ञप्ति तथा तिथि	विशेष विवरण
५०	प्रतापगढ़	कटरा मेदनीगंज	२, ३, ३-ए, ४, ५, ६, ८, ११, १२, १४, १५ एवं १६ धारायें।	२२४५/जो० ई० ओ०-७२०/४९, ८ सितम्बर, १९४९ ई०।	
		मानिकपुर ..	,, ..	,,	
		प्रतापगढ़ ..	,, ..	,,	
५१	बाराबंकी	बाराबंकी ..	,, ..	,,	
		दरियाबाद ..	,, ..	,,	
		फतेहगढ़ ..	,, ..	,,	
		रामनगर ..	,, ..	,,	
		सतरिखा ..	,, ..	,,	
		टिकैतनगर ..	,, ..	,,	
		जैदपुर ..	,, ..	,,	
		देवा ..	,, ..	,,	

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी०-४०--एल० ए०--१९५२-८३०